लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1—10)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 4, सोमवार, 20 मार्च, 1967 / 29 फाल्गुन, 1888 (शक)

No. 4—Monday, March 20, 1967 / Phalguna 29, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	**Members Sworn**	63
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions**	63-80
ता. प्र. संख्या **S. Q. Nos.**		
1. सेन्ट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी के कार्यकलाप	Activities of CIA	63-73
2. उत्तरी वियतनाम तथा क्यूबा के साथ भारत के सम्बन्ध	India's Relations with North Vietnam and Cuba	73-74
3. कच्छ न्यायाधिकरण	Kutch Tribunal	74-78
4. वियतनाम संघर्ष	Vietnam Conflict	78-80
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	80-87
तारांकितप्रश्न संख्या **Starred Question Nos.**		
5. तुर्की और ईरान द्वारा पाकिस्तान को दिये गये विमान	Aircrafts supplied to Pakistan by Turkey and Iran	80-81
6. छोटे समाचारपत्रों के लिये अखबारी कागज का कोटा	Newsprint Quota for Small Newspapers	81
7. अक्टूबर, 1964 का भारत श्रीलंका करार	Indo-Ceylon Agreement of October, 1964	81
8. आयातित प्रतिरक्षा उपकरण	Imported Defence Equipment	81
9. सूचना और प्रसारण के साधनों के सम्बन्ध में चंदा समिति की रिपोर्ट	Chanda Committee Report on Information and Broadcasting Media	81
10. ताशकंद समझौता	Tashkent Agreement	82
11. ट्राम्बे स्थित परमाणु शक्ति संस्थान के निर्माण कारखाने का हैदराबाद ले जाया जाना	Shifting of the Manufacturing unit of Atomic Energy Establishment, Trombay to Hyderabad	83
12. लैफ्टिनेंट जनरल कौल की "दी अनटोल्ड स्टोरी" नामक पुस्तक	The Untold Story by Lt. Genl. Kaul	84
13. परमाणु बम का निर्माण	Manufacture of Atom Bomb	83
15. छिपे हुए नागाओं से बातचीत	Talks with Underground Nagas	85

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign marked + above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

16. परमाणु बिजली घर, तारापुर	Atomic Power Station Tarapore	85
17. फरवरी, 1967 में भारत में अवैध रूप से घुस आने वाले पाकिस्तानी विमान का मार गिराया जाना	Shooting Down of Introding Pakistani Plane in February, 1967	86
18. मिग विमानों का निर्माण	Production of M.I.Gs.	87
अतारांकित प्रश्न संख्या		
1 Unstarred Questions Nos.		
1. सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये उच्च शक्तिशाली ट्रांसमिटर	High Power Transmitters for Border Areas	87
2. लड़ाकू तथा हेलीकाप्टर विमानों का निर्माण	Manufacture of Fighter and Helicopter Planes	88
3. भारत और चीन के बीच राजनयिक पत्र-व्यवहार	Notes Exchanged between India and China	88-89
4. परमाणु बिजली घर, तारापुर	Atomic Power Station, Tarapore	89
5. जर्मन लोकतंत्रामक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with the German Democratic Republic	89-90
6. चुनाव सम्बन्धी बुलेटिनों का प्रसारण	Broadcast of Election Bulletins	90
8. परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में संधि	Treaty on Nuclear non-proliferation	90-91
9. पालम हवाई अड्डे से टायरों और ट्यूबों की चोरी	Theft of Tyres and Tubes from Palam Airport	91
10. महाबलेश्वर सड़क पर दुर्घटना	Accident on Mahabaleshwar Road	91-92
11. झांसी जिल में चांदमारी क्षेत्र में विस्फोट	Explosion in Shooting Range in Jhansi Distt.	92
12. केन्द्रीय आयुध डिपो, चिओकी में अग्निकांड	Fire in C.O.D. Cheoki	92
13. पेकिंग में भारतीय दूतावास	Indian Embassy in Peking	93
14. योल, घुरकरी और कछियारी के चांदमारी क्षेत्र	Firing Ranges of Yol. Ghurkari and Kachhiari	93
मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Point of Personal Explanation by Minister	93-94
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notices (Query)	94-95
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	95
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	95
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति पैंतीसवां तथा छत्तीसवां प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings Thrity-fifth and Thirty-sixth Reports	95-96
गोआ, दमण, और दीव का आय व्ययक 1967-68 प्रस्तुत श्री मोरारजी देसाई	Goa, Daman and Diu Budget, 1967-68 Presented. Shri Morarji Desai	97-99
रेलवे आय व्ययक 1967-68 प्रस्तुत श्री चे. मु. पुनाचा	Railway Budget, 1967-68 presented Shri C. M. Poonacha	99.104
खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक-पुर:स्थापित	Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Amendment Bill-Introduced	104

अध्यादेश के बारे में विवरण	Statement Re. Ordinance	
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	104-105
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव-अस्वीकृत	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers—Negatived	105
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	105
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	105
श्रीमती गायत्री देवी	Shrimati Gayatri Devi	105-107
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bjaj	107
श्री मनोहरन	Shri K. Manoharan	108
श्री नरेन्द्रसिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	108-109
श्री श्री० अ० डांगे	Shri S. A. Dange	109-110
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	110-113
श्री पी० राममूर्ति	Shri P Ramamurti	113-114
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	114-117
श्रीमती इंदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	117
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri A. B. Vajpayee	117
सामान्य, आयव्ययक 1967-68 प्रस्तुत	General Budget, 1967-68-presented	
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	119-130
वित्त विधेयक 1967 प्रस्तुत	Finance Bill, 1967-Introduced	130

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 20 मार्च 1967 / 29 फाल्गुन, 1888 (शक)
Monday, March 20, 1967 / Phalguna, 29, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBERS SWORN

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर)* [हिन्दी]
श्री ब्रिजेन्द्र सिंह (भरतपुर) [अंग्रेजी]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सेन्ट्रल इंटेलीजेंस एजेन्सी के कार्यकलाप

***1 श्री जार्ज फरनैन्डीज :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हो० न० मुकर्जी : **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री उमानाथ :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका के पत्र-पत्रिकाओं में इस समय प्रकट की जा रही इस जानकारी का पता है कि सेन्ट्रल इंटैलीजेंस एजेन्सी अमरीका सरकार की ओर से विश्व के अनेक भागों में जासूसी तथा तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों का उपयोग कर रही है ;

---

*सदस्य के नाम के आगे दी गई भाषा इस बात की द्योतक है कि सदस्य ने उसी भाषा में शपथ ली थी ।

The language shown against the name of a Member indicates that he took oath in that language.

(ख) क्या सरकार के पास भारत में ऐसे संगठनों--पूर्णतया भारतीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियाँ—की सूची है जिन्हें अपने कार्यों के लिए किसी भी जरिये से सेन्ट्रल इंटैलीजैंस एजेन्सी से धन मिल रहा है; और

(ग) क्या सरकार का यह पता लगाने के लिए तुरन्त जाँच आरम्भ करने का विचार है कि अमरीका की सेन्ट्रल इंटैलीजैंस एजेन्सी से धन प्राप्त करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भारत में मजदूर संगठन तथा अन्य सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक संस्थायें कहाँ तक सम्बद्ध हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) (क) से (ग) : भारत सरकार ने अमरीकी प्रेस में छपी ऐसी रिपोर्ट देखी है कि अमरीका की केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सी ने अमरीका के विभिन्न संगठनों को धन दिया है जिन्होंने अपनी ओर से अन्य देशों के लोगों को अमरीका की यात्रा करने के लिए धन दिया है; उन्होंने विभिन्न सम्मेलनों, एसेम्बलियां की तथा अन्य कार्यकलापों के लिए भी धन दिया है। अखबारों की इन रिपोर्टों में कुछ भारतीय संस्थाएँ भी सम्मिलित की गई हैं जिन्हें इस प्रकार के धन का लाभ उठाने वालों की संज्ञा दी गई है। अन्य स्थानों पर प्राप्तकर्ताओं की तरह, इन भारतीय सस्थाओं ने अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से अनजाने में धन ले लिया क्योंकि उन्हें इस तथ्य का पता नहीं था कि संबद्ध अमरीकी संगठनों को अमरीका की केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सी धन देती है।

केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सी के जो कार्य अब बताए गए हैं, वे स्वभावत: ऐसे हैं जो गुप्त तरीके से किए जाते हैं और आमतौर से इन कार्यों की जाँच नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए निरन्तर सतर्क है। जहाँ कहीं संभव होता है, वह तोड़फोड़ तथा गुप्तचर कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई करती है। वर्तमान मामले में, अमरीका में जिन बातों का पता चला है, उसके संभावित परिणाम पर विचार किया जा रहा है और किसी खास कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो वह की जाएगी।

Shri George Fernandes : Whether the Government is aware that the Institution for Congress Cultural Freedom receive funds from the Central Intelligence Agency. The Asian Cultural Centre and the Indian Committee for Cultural freedom are the two branches of the Congress Cultural Freedom. These two institutions have been serving in India for quite a long time. The funds received from the World Youth Organisation through Central Intelligence Agency are used for the assistance of two organisation of India. The World Assembly of Youth Centre Trust and Indian Youth Congress.

श्री मु० क० चागला : मेरे पास उन संस्थाओं की सूची है जिनका जिक्र अमरीका के प्रेस में किया गया है। मेरे माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि सेन्ट्रल इंटेलजेंस एजेंसी द्वारा कांग्रेस के एक संगठन कांग्रेस फौर कलचरल फ्रीडम, इन्टरनैशनल यूथ सेंटर, देहली तथा वर्ल्ड असेम्बली आफ यूथ को भी धन राशि प्राप्त हो रही है, ठीक है।

Shri Madhu Limaye : I rise on point of order. Shri George Fernandes has not intended to ask whether there has or has not been the names of institutions printed in the reports published in America, but he wants to know whether the Government is aware that these institutions are receving funds. The questions should be answered correctly. I want that the precious time of the House should not be wasted.

श्री मु० क० चागला : मैं इसका उत्तर ठीक प्रकार दूँगा। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, उसका ध्यान सर्वप्रथम इस ओर जब दिलाया गया था जब ये रिपोर्टस अमरीका के प्रेस में प्रकाशित हुईं।

Shri Madhu Limaye : What this Intelligence Agency has been doing ? We are spending so much on it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : "निर्दोष" शब्द से क्या अभिप्राय है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री फरनैन्डीज अपना दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : महोदय, आपको इस ओर भी बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि प्रथम सदस्य को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है ।

Shri George Fernandes : Whether the Government is aware that the two institutions-The World Assembly of Youth Trust and the Indian Youth Congress which are getting funds from the C.I.A. are concerned with the two important ministers of Kavina.

श्री स० मो० बनर्जी : यह बहुत नाजुक विषय है । माननीय सदस्य ने दो संगठनों के नाम बताये हैं जिनसे केन्द्र के दो मंत्री सम्बन्धित हैं ।

Shri George Fernandes : I can also mention their names, if you like.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय को इसका उत्तर देने दें । वह प्रश्न पूछते समय अपना उद्देश्य बता देंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को प्रश्न का उत्तर देने दें ।

श्री मु० क० चागला : मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि भारत में इस संगठन से केन्द्र के कोई मंत्री, या दूसरे मंत्री या और कोई प्रमुख व्यक्ति का सम्बन्ध रहा हो । मुझे इन संगठनों के पदधारियों के नामों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है । जैसा की मैंने कहा है कि हाल में ही इस विषय पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है और यह मामला हमारे विचाराधीन है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि कोई केन्द्रीय मंत्री इस संगठन से सम्बन्धित हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी, जैसा की सरकार को नहीं है कि ये संगठन सेन्ट्रल इंटैलीजैन्स एजैन्सी से सहायता प्राप्त कर रहे थे ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker : My point of order is under Rule 41.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं नियम संख्या 41 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ ।

उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकेगा जो उस मन्त्री के विशेष संज्ञान में हो जिसे वह सम्बोधित किया गया हो ।

(2) प्रश्न पूछने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिए सर्वथा आवश्यक न हो :

माननीय सदस्य श्री जार्ज फरन्डीज ने किसी का नाम नहीं बताया था केवल यही कहा था कि दो केन्द्रीय मंत्री इससे सम्बन्धित थे । उसके उत्तर में श्री मु० क० चागला ने कहा था कि यदि

ये मंत्री इससे सम्बन्धित होते, तो वे इसके परिणाम से अनभिज्ञ थे कि सरकार को इसका बाद में पता लग जायेगा ।

मैं यह कहना पसन्द करूँगा कि क्योंकि इसमें दो केन्द्रीय मंत्रियों के विषय में कहा गया है तो यह आवश्यक हो गया है कि माननीय मंत्री उनके नाम घोषित कर दें । माननीय सदस्य ने यह निश्चित रूप से कहा है कि इससे दो मंत्री सम्बन्धित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है । इस विषय पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुये ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य नये हैं, यदि वह बोलने से पहले अपना नाम तथा राज्य का नाम बतला दें तो, इससे मुझे तथा रिपोर्टरस को भी सुविधा होगी । पुराने सदस्यों से तो मैं परिचित हूं, परन्तु बहुत से नये सदस्य खड़े हो रहे हैं और उनका नाम ढूढ़ने में कठिनाई हो रही है । यदि वह अपना तथा राज्य का नाम बतला दें तो इससे बहुत सहायता मिलेगी ।

श्री हनुमन्तैया : ऐसी कार्य विधि कहीं भी नहीं अपनाई जाती । यह कोई सार्वजनिक सभा नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा करने के लिए समय कहाँ है ।

अध्यक्ष महोदय : जब उनकी सीट नियत हो जायेगी तो रिपोटरस को पहिचानने में कठिनाई नहीं होगी । दो तीन दिन तक, जब तक उनकी सीट नियत नहीं हो जातीं, उनको पहिचानने में कठिनाई होगी । यदि वह ऐसा करना नहीं चाहते तो मैं उँगली के इशारे से उनका परिचय दूँगा । परन्तु रिपोर्टरस को इससे कठिनाई होगी ।

Shri Madhu Limaye : I had told Rule No. 41.

श्री क० क० चटर्जी : यदि हमेशा व्यवस्था का ही प्रश्न उठाया जाता रहा तो प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे ।

Shri Madhu Limaye : It is what we have to do exactly. We have to teach the Ministers that how should they reply the questions. Please see Rule 41 (3)

"उप नियम (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत रहते हुए, लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछा जा सकेगा जो उस मंत्री के विशेष संज्ञान मे हो जिसे वह सम्बोधित किया गया हो ।"

But no information has been received, then how can I prove. The hon. Member has asked whether two of the important members of Kivana are concerned with some of the Indian institutions which have been receiving funds through C.I.A. The Blitz has published one name and that is of our present Finance Minister. So much information should be kept I have received a letter of two lines from Shri George Fernades today which deeply concerned with it. I am reading it :

प्रिय मधु, आज सुबह मैंने ए० आई० सी० सी० के कार्यालय में यह पता करने के लिए टेलीफोन किया·····(बाधा)

I am giving you the full information. Please sit down and let me complete my point of order.

आज सुबह मैंने ए० आई० सी० सी० के कार्यालय में टेलीफोन किया.....

श्री रणधीर सिंह : किस नियम के अन्तर्गत आप यह चिट्ठी पढ़ रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : नियम 41 के अन्तर्गत।

I am ready to teach you this rule, but afterwards

आज सुबह मैंने इंण्डियन यूथ कांग्रेस के वरिष्ठ काग्रेसी का नाम जानने के लिए ए० आई० सी० सी० के कार्यालय टेलीफोन किया। जो महिला बोल रही थीं उन्होंने मुझे बतलाया कि कोई श्री तिवारी इसके अध्यक्ष तथा श्री डीमैलो इसके प्रधान सचिव हैं। जब मैंने पूछा कि कौन से वरिष्ठ कांग्रेसी इसके भारधारक हैं तो उस महिला ने बतलाया कि श्री दिनेश सिंह इस यूथ संगठन के कर्त्ताधर्ता हैं। और अधिक आवश्यक जानकारी के लिए मुझे उनसे सम्पर्क करना चाहिये।

The names of the two ministers have already been reached in the A.I.C.C. office.

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

उप-प्रधान तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : जहाँ तक मुझे जानकारी है ए० आई० सी० सी० स्थित इंण्डियन यूथ कांग्रेस का इन बातों से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम वर्ल्ड एसेम्बली आफ यूथ है और यहाँ उसकी एक भारतीय शाखा है।

यहाँ स्थित भारतीय शाखा ही यहाँ के युवकों के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय गृह बनवा रही है। उसके बहुत से न्यासधारी हैं और मैं उनके न्यासधारी बोर्ड का अध्यक्ष हूँ।

कुछ माननीय सदस्य : शर्मनाक, शर्मनाक।

श्री मोरार जी देसाई : उन्हें शर्म आनी चाहिए जो बिना किसी चीज को समझे 'शर्मनाक, शर्मनाक' कह रहे हैं।

(बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री मोरार जी देसाई : जैसे ही मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा.....

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय देश को बेच रहे हैं।

श्री मोरारजी देसाई : उस समय मैं मंत्री नहीं था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब आप मन्त्री हैं।

श्री मोरार जी देसाई : हाँ।

श्री ज्योतिमय बसु : और आप 20 साल से मन्त्री होते आ रहे हैं।

श्री मोरार जी देसाई : क्या सदस्य महोदय कुछ संयम से काम लेंगे ? जैसे ही इस बात की मुझे जानकारी हुई मैंने न्यासधारी प्रबन्धक से पूछा कि क्या इसे विभिन्न देशों से कुछ धनराशि प्राप्त हुई है।

इसने जवाब दिया कि इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसने मुझे बतलाया कि इसे कुछ धनराशि, जर्मनी, अमरीका तथा अमरीका के कुछ निकायो से प्राप्त हुई है, परन्तु सेन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी से नहीं। मैंने इससे यह कहा कि वह इन निकायो से पता करे कि जो धनराशि उन्होंने दी है वह उन्हें सेन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी से प्राप्त हुई थी अथवा वह

उन्होंने अपने पास से दी थी। इस विषय में पत्र व्यवहार चल रहा है। मैने न्यासधारी प्रबन्धक को हिदायत भी दे दी है कि यदि यह धनराशि उन्हें सेन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी से प्राप्त हुई हो तो, इसे उन्हें वापिस कर दिया जाये। सैन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी से धनराशि स्वीकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स. मो० बनर्जी : प्रबन्धक न्यासधारी कौन हैं।

श्री मोरार जी देसाई : श्री राम कृष्ण बजाज है।

कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े होते हैं

अध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा है उनको बोलने के लिये (प्राथमिकता) दी जायेगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैं प्रक्रिया के विषय में जानकारी चाहता हूँ। श्री मधु लिमये ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और इस पर आपको ही निर्णय देना था कि क्या वह व्यवस्था का प्रश्न है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह निर्णय देता हूँ कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं था।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : परन्तु इसके पश्चात् क्या हुआ। श्री मधु लिमये ने कुछ कहा और श्री मोरार जी देसाई उठे और उसका जबाब दिया। अध्यक्ष महोदय ने कुछ नहीं कहा। क्या यह ठीक है कि हम किसी भी क्षण उठें और प्रश्न कर दें। इस विषय में प्रक्रिया क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा था कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं था।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : तब उन्होंने उत्तर कैसे दिया ?

अध्यक्ष महोदय : उनके विरुद्ध आक्षेप किया गया था।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि वे कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो भारतीय समाज में सांस्कृतिक आजादी (सोसाईटी फौर कलचरल फ्रीडम इन इन्डिया) से सम्बन्धित हैं और सेन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजेन्सी से सहायता प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस समय इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। यदि माननीय सदस्य इसके लिये अलग से सूचना देंगे तो मैं इसका उत्तर दूँगा।

श्री हो० न० मुकर्जी : यह ध्यान में रखते हुए कि अक्टूबर, 1966 की राजनयिक सूची में 77 सहचारी (एटैची) भारत स्थित अमरीकी दूतावास से सम्बद्ध है, उनमें से कुछ को सैन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी का एजेन्ट पहिचान भी लिया गया है, और यह ध्यान में भी रखते हुये कि नई दिल्ली स्थित सेन्ट्रल इन्टैलिजैन्स ऐजेन्सी जिसका सीधा और पृथक सम्बन्ध, वाशिंगटन स्थित राजनयिक के अतिरिक्त अमरीका स्थित मुख्यालय से है, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार इस विषय में अब और अधिक जानती है। और सरकार इस विषय में क्या निश्चित कदम उठाने जा रही है जिससे कि यह सहचारी (एटैची) या इसी प्रकार के अन्य व्यक्तियों के रूप में ये गुप्तचर और जासूसी वृति वाले एजैन्ट हमारे देश में प्रवेश न पा सकें।

श्री मु० क० चागला : यह एक मित्र दूतावास के विरुद्ध बहुत गम्भीर आरोप है। यदि हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि किसी राजनायिक दूतावास में कोई पदा-

धिकारी, चाहे वह अमरीका का हो या किसी दूसरे देश का, जासूसी कार्यवाही कर रहा है तो इसके विरुद्ध हम कार्यवाही करेंगे। किसी मित्र देश के दूतावास के विरुद्ध एक ऐसा अस्पष्ट आरोप लगाना बहुत गम्भीर विषय है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे माननीय मित्र इसकी गम्भीरता को समझेंगे और इस प्रकार का आरोप नहीं लगायेंगे।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह एक तथ्य है।

श्री क० क० चटर्जी : क्या सरकार को इस बात का पता है कि सेन्ट्रल इन्टलिजैन्स एजैन्सी से प्राप्त धनराशि से कुछ संगठनों तथा व्यक्तियों को सहायता मिल रही है जो की कांग्रेस के विरुद्ध हैं ? क्या माननीय मन्त्री इस विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं कि क्या इस धनराशि का उनके द्वारा पिछले सामान्य निर्वाचनों में उपयोग किया गया।

श्री मु० क० चागला : मैं एक बात बता दूँ ताकि माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने में आसानी हो सके। अमरीका के प्रेस में छपी रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है। सैन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी भारत में तथा अन्य देशों में सीधी वित्तीय सहायता नहीं देती बल्कि वो किसी संस्थापन को धनराशि दे देती है जो दूसरे देशों में स्थित संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अतः जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री मोरार जी देसाई ने कहा कि भारत में कोई भी संगठन, किसी भी संस्थापन से, उसे सम्मानित संस्था समझ कर, और यह न जानकर कि इसे यह वित्त सहायता सैन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी से प्राप्त होती है, धन राशि प्राप्त कर सकता है। यह बात तो केवल अब प्रकाश में आई है।

माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि अमरीका में भी इस घटना पर बहुत रोष प्रकट किया गया है। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनको आमंत्रित किया गया हो। बहुत से ऐसे संगठन हो सकते हैं जो इस बात से अनभिज्ञ हों कि सैन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी गुप्त रूप से किसी खास संस्थापन को वित्त सहायता दे रही हों और वो संस्थापन और दूसरे संगठनों को वित्त सहायता दे रहा हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस विषय में क्या कर रहा था ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब से कोई दस दिन पहले समाचार पत्रों में एक समाचार छपा था जिसके अनुसार एक संगठन जिसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय स्वेच्छा सचिवालिय (इन्टरनैशनल सेक्रेटेरियट फॉर वॉलैंटियर सर्विस) है, की वार्षिक सभा या अधिवेशन नई दिल्ली में होने वाला है। यह भी समाचार मिला है कि श्री विलियम डिनालो इस संगठन के महा सचिव हैं। वह अमरीका के शान्ति दल के प्रमुख सलाहकार तथा सैन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी के एक लोक प्रिय एजैन्ट रहे हैं।

क्या माननीय मन्त्री महोदय यहां होने वाली इस सभा से अवगत हैं, यदि हां तो इस संगठन का अमरीका के शान्तिदल तथा सैन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी से घनिष्ठ सम्बन्ध को देखते हुये, सरकार ने उस सभा को करने की अनुमति न देने के लिये कुछ किया है, और यदि वह इसे करने पर अडिग हैं तो क्या वह कम से कम उन प्रमुख मन्त्रियों और कांग्रेस दल के मुख्य व्यक्तियों को जिनको इसमें आमंत्रित किया गया है, इसमें भाग लेने से रोकेगी। और क्या उनके वह जाने पर प्रतिबन्ध लगायेगी।

श्री मु० क० चागला : मैं तथ्य से अवगत हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले उन सदस्यों का नाम पुकारने दें जिनके नाम प्रश्न सूची में हैं। सामान्यता यही प्रथा चली आ रही हैं।

श्री मु० क० चागला : मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि बहुत थोड़े ही समय में इस प्रकार का सम्मेलन होने वाला है। इसका प्रबन्ध कुछ समय पहले किया गया था। परन्तु सदस्य महोदय के प्रश्न के दूसरे भाग, कि क्या इस संगठन के महा सचिव माने हुये सैन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी के एजैन्ट हैं, की मुझे जानकारी नहीं है।

मैंने यह पहली बार सुना है मुझे इस बात का पता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि यह धन राशि एक सीधा सीधा देश एक सीधी साधी संस्था को भेज रहा है, परन्तु मुझे डर है कि यह निर्दोष कांग्रेसियों को कलुषित न कर दे। चूंकि उप-प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने जोरदार शब्दों में कहा था कि वह एक संस्था से सम्बन्धित हैं परन्तु वह इस विषय में नहीं जानते, क्या और दूसरे मन्त्री विशेषकर श्री दिनेश सिंह, जो आज अनुपस्थित हैं···

कुछ माननीय सदस्य : वह उपस्थित हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं उनसे एक विवरण देने का निवेदन करूँगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि सैन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी से प्राप्त धनराशि का उपयोग सामान्य निर्वाचन में उन 44 संसद् सदस्यों को जो संसद् के अन्दर तथा बाहर प्रगतिशील थे, को हराने की योजना के लिये किया गया था। और क्या इस समस्त विषय में संसद् की समिति द्वारा जांच की जायेगी या मामला केन्द्रीय जांच बियोरो को और आगे जांच के लिये सौंप दिया जायेगा।

श्री मु० क० चागला : ये बिना किसी आधार के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। मैं यह नहीं समझ सका कि किस आधार पर यह कहा गया है कि 44 प्रगतिशील सदस्यों को हराने का यत्न किया गया था। कोई भी सदस्य सभा में निराधार आरोप नहीं लगा सकता और फिर मन्त्री से कहें कि क्या वह आरोप सही है या गलत।

अध्यक्ष महोदय : दो या तीन सदस्यों ने जिन्होंने प्रश्न पूछा है अवश्य प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मुझे आशा है कि सब सदस्य इससे सहमत होंगे। उनको अवसर प्रदान करने के बाद मैं माननीय सदस्य की ओर के सदस्यों की ओर भी ध्यान दूंगा। श्री खाडिलकर का नाम उन तीन या चार सदस्यों में नहीं है जिन्होने प्रश्न पूछा है। उनका नाम पुकारने के पश्चात मैं और सदस्यों का नाम पुकारूँगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मन्त्री महोदय ने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के प्रश्न में यह कहा कि मैंने यह आरोप लगाये हैं। मैं कानपुर का रहने वाला हूं जहां इन्डियन इन्सटिट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी का कार्यालय है। मेरे पास यह सूचना है कि सैन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी के एजैन्ट जो इससे सम्बन्धित हैं, ने कानपुर तथा अन्य स्थानों पर इस धनराशि का प्रयोग प्रगति शील सदस्यों को हराने के लिये किया।

श्री अ० क० गोपालन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि भारत स्थित अमरीका के दूतावास एक द्वितीय सचिव का नाम न्यूयार्क टाइम्स ने लिया है, जो कि सैन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी का पदाधिकारी है और हाल की प्रमुख घटनाओं से सम्बन्धित है। यदि हां तो

क्या सरकार उसको अमान्य व्यक्ति घोषित करने का तथा देश से निकालने की मांग का इरादा रखती है।

श्री म० क० चागला : मैंने न्यूयार्क टाईमस की रिपोर्ट देखी है जिसमें कहा गया है कि भारत स्थित अमरीका के दूतावास द्वितीय सचिव सैन्ट्रेल इन्टैलिजन्स एजैन्सी का एक एजैन्ट कार्य कर रहा था। हम इस विषय में दूतावास से बातचीत करेंगे। अमरीकी दूतावास ने स्पष्ट तथा जोरदार शब्दों में इस बात से इन्कार किया है कि वह सैन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी का एजैन्ट था। हमें यह बताया गया था कि वह दूतावास के स्टाफ का प्रभावशाली सदस्य है।

श्री उमानाथ : प्रेस की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सैन्ट्रल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी पी० एल 480 की कुछ धनराशि पर भी कार्यवाही कर रहा है। यह भी समाचार मिला है कि दिसम्बर तथा जनवरी में जिस समय देश में निरन्तर और प्रभावशाली ढंग से निर्वाचन के लिये प्रचार हो रहा था, उस समय असमान्य रूप से बहुत बड़ी धनराशि पी० एल 480 की धनराशि से निकाली गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है, यदि हाँ तो क्या सरकार ने इस मामले में जांच कराकर यह जानने का प्रयत्न किया है कि किस कांग्रेसी ने यह रुपया निकाला था (बाधायें) हां आप इतने घबराये हुए क्यों हैं। क्या आप यह समझते हैं कि अमरीकी धन देश भक्तों का धन है।

श्री म० क० चागला : मैं इस सभा को स्पष्ट आश्वासन देता हूं कि सरकार विदेशी धन का चाहे वह किसी भी जरिये से किसी भी देश से प्राप्त हो, चाहे वह हमारे निर्वाचन को उलटने या हमारी किसी संस्था को उलटने के लिये हो, सरकार आज्ञा नहीं देगी।

यदि सदस्य महोदय कोई विशिष्ट सूचना देते हैं तो मैं अवश्य ही इस पर ध्यान दूंगा। परन्तु मैं प्रेस में छपी निराधार रिपोर्ट पर ध्यान देने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने एक विशिष्ट उदाहरण दिया था।

श्री खाडिलकर : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सैन्ट्रेल इन्टैलिजैन्स एजैन्सी शीत-युद्ध यन्त्र है, इस जाल की रचना डल्लस के समय में हुई थी, और इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि हमारी विदेश नीति के उद्देश्य शीत युद्ध की समाप्ती है, यदि कोई एजैन्सी इसके कार्यों में हमारे देश में तीव्रता लाने का प्रयास करेगी, क्या सरकार, इन प्रकाशित रिपोर्टों के बाद जिनमें कहा गया है कि कम्बोदिया में भी इन्हीं सी० आई० ए० के एजैन्टों ने निर्वाचनों को उल्ट दिया, जो कि रिकार्ड में है, उन एजैन्सियों की जाँच पड़ताल करेगी। क्योंकि इनसे बहुत सी संस्थापिताओं को धन मिल रहा है तथा इनके विरुद्ध आरोप लगाये जा रहे हैं। सरकार इनके विरुद्ध एक आयोग नियुक्त करे जो कि इसके कार्यविधियों का विरोध करे, जो कि देश की एकता और विशेषकर हमारी विदेश नीति के उद्देश्य के लिये खतरा है।

श्री म० क० चागला : इन बातों के प्रकाश में आने के बाद, मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार इनके प्रति बहुत सतर्क रहेगी तथा बाहर से आने वाले धन तथा उनको प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर कड़ी निगाह रखेगी।

श्री हेम बरुआ : इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुये कि अवमूल्यन से लेकर रीता फारिया तक अमरीका ने हमें बदनाम करने की कोशिश की है, क्या यह सत्य नहीं है कि (क) स्टालिन की लड़की स्वेतलाना भारत से स्विटजरलैन्ड इसी एजैन्सी द्वारा भेजी गई, (ख) हमारे देश में वामपंथी

साम्यवादियों की गिरफ्तारियां इतने बड़े स्तर पर इसी की आज्ञा से हुईं। यदि यह सब तथ्य है तो सरकार ने सी० आई० ए० एजैन्टों को सब समान अपने देश से बाहर चले जाने के लिये क्यों नहीं कहा ?

श्री म० क० चागला : (क) यह बिलकुल ठीक नहीं है। मैं स्टालिन की लड़की के सम्बन्ध में कल सभा में एक वक्तव्य दूंगा तो सदस्य स्वयं ही इस बात का निर्णय करेंगे कि मेरे माननीय मित्र के इस प्रश्न के पूछने में क्या कोई आधार है। जहां तक (ख) का सम्बन्ध है इस बात में भी सच्चाई नहीं है कि किसी विदेशी सत्ता के दबाव में आकर, चाहे वह अमरीका हो या और कोई, गिरफ्तारियां की गईं या कुछ लोगों को नजरबन्द किया गया।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आपने इस विषय में अब तक क्या किया ? (बाधायें)

श्री म० क० चागला : श्री कृष्णामाचारी ने यह कहा था कि धन का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। उन्होंने इसके अलावा और कोई आरोप नहीं लगाया था जिसमें कहा गया हो कि धन हानिकारक प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया गया है। यदि किसी माननीय सदस्य को इस विषय में कोई जानकारी हो तो वह मुझे दे सकते हैं और वित्त मन्त्रालय इस पर जरूर ध्यान देगा।

श्री प्र० के० देव : क्या सरकार ने इस आरोप की जांच की है जिसमें कहा गया था कि स्वेतलाना के रूस को छोड़कर अमरीका की नागरिकता स्वीकार करने में सी० आई० ए० का हाथ था, यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम है ?

श्री म० क० चागला : मैंने इस तथ्य को अस्वीकार किया है। माननीय सदस्य धैर्य से काम लें। मैं इस प्रश्न के उत्तर में कल पूर्ण विवरण दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हमने 35 मिनट इस प्रश्न पर लगा दिये हैं। इस प्रश्न पर यदि एक घन्टे भी चर्चा हो जाये तो मैं ख्याल नहीं करूँगा, परन्तु एक प्रश्न के लिये 35 मिनट का दिया जाना मेरे विचार से उचित नहीं है।

श्री दिनेश सिंह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

श्री दिनेश सिंह : मेरी अनुपस्थिति में किन्हीं सदस्यों ने मेरा नाम सी० आई० ए० से सम्बन्धित किया था और कहा था कि मेरा.....

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह क्या है ? क्या यह उत्तर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं क्योंकि उनका नाम लिया गया था।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : पर प्रश्न काल की अवधि में ही क्यों ? वह प्रश्न काल के बाद भी दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के सम्बन्ध में ही वह प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं क्योंकि इसमें उनका नाम लिया गया था। यदि वह सभा को कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो अच्छा ही है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : वह प्रश्नों के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

श्री टी० विशवानाथन : केवल प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकाल में ही देना चाहिये। यदि किसी को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना है तो वह प्रश्नकाल की समाप्ती पर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्य यह चाहते थे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मन्त्री महोदय को या सम्बन्धित व्यक्ति को उस समय प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था जब वह पूछा गया था। परन्तु अब वह बीच में विवरण नहीं दे सकते। वह आपको लिख सकते हैं कि उनके विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे उसके सम्बन्ध में उन्हें व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की अनुमति मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य ने यह कहा भी था कि माननीय मंत्री सभा में अनुपस्थित हैं।

+

*2 **श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया** : मुझे भी अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : 35 मिनट पहले ही लग चुके हैं। बहुत से कांग्रेसी सदस्यों को भी बोलना था।

श्री विनेश सिंह : क्या मुझे स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, इसी प्रश्न में 35 मिनट लग गये अभी बहुत से आवश्यक प्रश्न बाकी हैं।

श्री शशि रंजन : यह उचित नहीं है। आपको उन्हें अवसर नहीं देना चाहिए था, पर जब आपने उन्हें अवसर दे दिया था तो उन्हें रोकना नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : यह अब निश्चित हो गया है कि वह प्रश्नकाल के पश्चात् व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देंगे।

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दूसरा प्रश्न पूछने के लिए कहा है। हमने पहले ही इस प्रश्न पर 35 मिनट ले लिए हैं,जा बहुत अधिक हैं।

उत्तरी वियतनाम तथा क्यूबा के साथ भारत के सम्बन्ध

+

*2 **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका अधिकाधिक दबाव डाल रहा है कि भारत उत्तर वियतनाम तथा क्यूबा के साथ सम्बन्ध न रखे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत को सहायता देने के मामले में यह भी एक शर्त है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : **(क) से (ग)** : अमरीका के ताजे कानून में सहायता के बारे में व्यवस्था की गई है कि जिसके अनुसार अमरीकी सरकार उन देशों को संभवत: सहायता का लाभ नहीं पहुँचाएगी जिनके उत्तर वियतनाम और क्यूबा के साथ व्यापारिक सम्बन्ध हैं और जो उत्तर वियतनाम को अथवा, किन्हीं विशेष निर्धारित सीमाओं को छोड़कर, क्यूबा को अपने समुद्री या हवाई जहाज बेचते हैं, देते हैं अथवा क्यूबा को या वियतनाम को या वहाँ से अपने समुद्री या हवाई जहाजों को माल लाने-लेजाने की इजाजत देते हैं।

यह अमरीका का कानून है जो अमरीका के अधिकारियों पर लागू किया जा सकता है; जाहिर हैं कि एक देश का कानून अन्य देशों की सरकारों पर नहीं लादा जा सकता।

अमरीका ने भारत सरकार पर ऐसा कोई दबाव नहीं डाला है कि वह क्यूबा अथवा उत्तर वियतनाम से कोई संबंध न रखे । हम स्वतंत्र हैं कि अपनी इच्छानुसार हम सहायता को स्वीकार करें या न करें । अमरीका की सरकार अब जो सहायता देने को तैयार है, वह हमारे राष्ट्रीय हित में है और उसे स्वीकार करने से हमारे प्रभुसत्तात्मक अधिकारों पर किसी तरह की कोई आँच नहीं आती । अगर किसी समय हमारे अधिकारों के हनन का कोई खतरा पैदा हुआ तो हमारी प्रतिक्रिया पूर्ण रूप से हमारे हित और सम्मान के अनुरूप होगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि अमरीका के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उत्तरी वियतनाम और क्यूबा के साथ हमारे व्यापार सम्बन्धों पर कभी कोई शर्त रखी थी और क्या यह शर्त उनके अपने कानून के अतिरिक्त थी और यदि हां, तो भारत सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया ?

श्री मु० क० चागला : अमरीका की ओर से जो व्यक्ति बातचीत में भाग ले रहे थे उन्होंने कभी भी यह सुझाव नहीं दिया कि हम उत्तर वियतनाम या क्यूबा के साथ व्यापार न करें । इस प्रश्न के बारे में दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई बात नहीं उठाई थी ।

श्री स० मो० बनर्जी : उत्तर वियतनाम के लोगों पर अमरीकी सरकार द्वारा घोर आक्रमण किये जाने के बाद हमने उत्तर वियतनाम के लोगों को व्यापार के मामले में किस प्रकार और क्या सहायता दी है ?

श्री मु० क० चागला : उत्तर वियतनाम के साथ हमारा कोई व्यापार नहीं है और उसका कारण यह है कि हमें भय है कि हम उत्तर वियतनाम को जो भी सामान भेजेंगे वह चीन के पास चला जायेगा और चीन हमारा कैसा मित्र है यह आप जानते हैं । जहां तक क्यूबा का सम्बन्ध है उसके साथ हमारा पटसन का व्यापार है जो कि अब भी चालू है । हम क्यूबा को पटसन निर्यात करते हैं और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है ।

प्रो० समर गुह : क्या यह सच है कि स्वयं प्रधान मंत्री ने एक प्रेस वक्तव्य में यह माना था कि अमरीका ने भारत पर दबाव डाला था कि वह उत्तर वियतनाम या क्यूबा से कोई दृढ़ व्यापार समझौता न करें.....

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : जी नहीं.....

प्रो० समर गुह : और क्या अमरीका ने यह नहीं कहा था कि यदि भारत ने अमरीका की नीति के विरुद्ध कार्य किया तो वह भारत को सहायता देने की स्थिति में नहीं होगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है : जी नहीं ।

श्री मु० क० चागला : दुर्भाग्य से समाचार पत्रों में प्रधान मंत्री के वक्तव्य को सही रूप में प्रतिवेदित नहीं किया । मेरे पास प्रधान मंत्री के वक्तव्य की सही प्रति है और यदि सभा चाहे तो मैं उसे पढ़ दूँ । वह हिन्दी में बोलीं थीं और रिपोर्टर उसको सही-सही नहीं लिख सके ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 3 1 श्री सूपकर ।

कच्छ न्यायाधिकरण

\+

*3 **श्री सूपकर**

श्री च० चु० देसाई :

श्री विश्वनाथ पांडेय :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री विभूति मिश्र :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ में सीमा के प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच विद्यमान विवाद को निबटाने में कच्छ न्यायाधिकरण ने अब तक क्या प्रगति की है; और

(ख) न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला पेश करने में भारत द्वारा अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : कच्छ में समान सीमा का कोई सवाल नहीं है। भारत का ख्याल है कि पश्चिम पाकिस्तान-गुजरात सीमा में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा मोटे तौर पर कच्छ को रन के उत्तरी किनारे के साथ-साथ जाती है जबकि पाकिस्तान का ख्याल है कि सीमा मोटे तौर पर 24 समानान्तर रेखा के साथ-साथ जाती है।

भारत-पाकिस्तान पश्चिमी सीमा ट्रिब्यूनल ने फरवरी 1966 में जेनेवा में आयोजित अपने पहले सत्र में जो निर्णय किया था, उसके अनुरूप भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों ने साथ-साथ क्रमशः 1 जून, 1 अगस्त को और सितम्बर 1966 में ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने-अपने ज्ञापन, प्रतिज्ञापन और उत्तर प्रस्तुत किए। जेनेवा में ट्रिब्यूनल के सामने 15 सितम्बर 1966 को सुनवाई शुरू हुई और भारत के अधिवक्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष भाषण दिया। भारतीय अधिवक्ता का प्रारंभिक भाषण 19 अक्तूबर को समाप्त हुआ। पाकिस्तान के प्रमुख अधिवक्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष 24 अक्तूबर 1966 से 17 फरवरी 1967 तक भाषण दिया। भारत के अधिवक्ता ने 15 मार्च 1967 से अपना उत्तर देना शुरू किया। भारत के अधिवक्ता के द्वारा उत्तर दे दिए जाने के बाद, पाकिस्तान का अधिवक्ता उत्तर देगा। और उसके बाद ट्रिब्यूनल अपना फैसला देगा।

(ख) अब तक जो वास्तविक खर्च हुआ है, उसका हिसाब अभी तैयार नहीं किया गया है।

श्री सूपकर : वास्तविक विवाद किस प्रश्न पर है और 1947 में विभाजन के समय जो सीमा निर्धारण हुआ था क्या पाकिस्तान उसको स्वीकार कर रहा है ?

श्री मु० क० चागला : हम यह कहते हैं कि 1947 में जब शान्ति का हस्तान्तरण किया गया तो रण समेत सारा कच्छ हमें हस्तांतरित किया गया था और वह हमारा क्षेत्र है। बाद में पाकिस्तान ने कच्छ पर हमला किया और मामले को न्याय-निर्णयन के लिये सौंपा गया था। अब यह न्यायाधिकरण इस बात का फैसला कर रहा है कि क्या हमारा कहना सही है और यदि हमारा कहना सही है तो यह न्यायाधिकरण इसके सामने रखी गई सामग्री के अनुसार अपना पंचार देगा।

श्री च० चु० वेसाई : वह क्षेत्र इस समय किसके कब्जे में है, भारत के या पाकिस्तान के ?

श्री मु० क० चागला : पाकिस्तान कहता है क्षेत्र उसका है और हम कहते हैं हमारा है। **(व्यवधान)** : अब प्रश्न यह है कि कच्छ का रण या इसका एक भाग पाकिस्तान का है या सारे का सारा हमारा है।

Shri Vishwauath Pandey : By whom the Indian case has been presented ?

श्री मु० क० चागला : भारत का पत्र हमारे महा न्यायवादी श्री दफ्तरी, संसद् सदस्य श्री एन० सी० चटर्जी और बम्बई के एक बहुत ही योग्य समुपदेशी श्री पालकीवाला द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

Shri K. N. Tiwary. : May I know whether some part of the disputed territory of Rann of Kutch is in the occupation of Pakistan, if so, whether we shall take any steps to get it vacated pending the decision of the Tribunal.

श्री मु० क० चागला : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोगों के मन में एक शंका है कि हो सकता है कच्छ न्यायाधिकरण एक राजनीतिक निर्णय दे । यदि ऐसा निर्णय दिया गया तो सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

श्री मु० क० चागला : जब मैं न्यायाधीश था तो मुझे यह बात पसन्द नहीं थी कि कोई समुपदेशी इस बात का अनुमान लगाये कि मैं क्या निर्णय देने वाला था । मुझे आशा है कि वे न्याय और साम्य के अनुसार अपना फैसला देंगे । न्यायाधिकरण में हमारा भी एक प्रतिनिधि है और पाकिस्तान का भी एक प्रतिनिधि है । न्यायाकधिरण के अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हैं और हमें आशा है कि निर्णय किसी राजनीतिक विचार के आधार पर नहीं दिया जायेगा अपितु न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गये तथ्यों और न्याय और साम्य के अनुसार दिया जायेगा ।

श्री च० चु० देसाई : क्या हम उस क्षेत्र पर मध्यस्थनिर्णय कराने जा रहे हैं जो कि हमारे कब्जे में है और जिसे हमने पाकिस्तान के आक्रमण से खाली कराया था ?

श्री मु० क० चागला : यह प्रश्न उस सन्धि के बारे में है जिस पर मेरे समय से पहले हस्ताक्षर किये गये थे । मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether our counsel for this has expressed their apprehensions that the Tribunal believes in prolonging this case, if so, the steps being taken to dispel those apprehensions ?

श्री मु० क० चागला : जब से मैंने इस पद का कार्यभार संभाला है हमने अपने दल की प्रत्येक मांग को पूरा किया है । मैंने किसी ऐसी शिकायत के बारे में नहीं सुना है कि न्यायाधिकरण जानबूझकर मामले को लम्बा कर रहा है । मैं अन्तर्राष्ट्रीय अदालत का सदस्य रह चुका हूँ और मुझे पता है कि इसकी प्रक्रिया असाधारण है । न्यायाधीश शायद ही कभी समुपदेशी को तर्क करने से रोकते हैं चाहे वह तर्क कितना भी असंगत क्यों न हो । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है और इसकी एक परम्परा यह है कि यदि आप समुपदेशी को बीच में रोकेंगे तो शायद वह यह समझे कि आप उसके विरुद्ध हैं । पाकिस्तान ने अपने मामले की सफाई पेश करने में लगभग 3 महीने लगाये । अतः यदि विलम्ब हुआ है तो वह न्यायाधिकरण के कारण नहीं हुआ है ।

श्री जी० जी० स्वेल : क्या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का निर्णय भारत सरकार पर बाध्य होगा चाहे वह निर्णय कुछ भी क्यों न हो ?

श्री मु० क० चागला : जी हाँ, हम इसको मानने के लिये वचनबद्ध हैं । यह एक वैकल्पिक प्रश्न है । मैं आशा करता हूँ कि निर्णय ऐसा होगा जिसको हमारा देश स्वीकार कर सकेगा ।

श्री शशि रंजन : पिछली ससद में इस प्रकार का एक प्रश्न उठाया गया था और श्री चटर्जी ने वहां की गतिविधियों का कुछ वर्णन किया था । बाद में उन्होंने कहा कि वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सभा को वहाँ की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाती रहे । क्या माननीय मत्री न्यायाधिकरण में होने वाली गतिविधियों की जानकारी सभा को देते रहेंगे ?

श्री मु० क० चागला : मैं तो हमेशा ही सभा को सूचित रखना चाहता हूँ, किन्तु मैं नहीं जानता कि सभा किन गतिविधियों से अवगत होना चाहती है । समुपदेशी मामले की सफाई पेश कर रहे हैं । हम जानते हैं कि विवाद क्या है । न्यायाधिकरण के सदस्यों के मस्तिष्कों में क्या चीज है यह हम नहीं जानते । हम केवल तारीखें दे सकते हैं । हम यह बता देंगे कि भारत ने अपनी सफाई

पेश करना कब समाप्त किया और पाकिस्तान ने सफाई पेश करना कब आरम्भ किया और यह कि निर्णय कब दिया जाने वाला है। इसके अतिरिक्त मैं नहीं जानता कि सभा क्या जानकारी चाहती है।

श्री हेम बरुआ : सारे देश में एक शंका फैली हुई है कि कुछ कागजात, विशेष रूप से विलय सम्बन्धी दस्तावेज, यहाँ पर हमारी सरकारी फाइलों से लापता थे और दस्तावेज को लन्दन से प्राप्त करना पड़ा था। यदि ऐसा है तो क्या सरकार हमारे वकीलों को सभी आवश्यक दस्तावेजों और कागजातों की मूल प्रतियां दे पाई है ?

श्री मु० क० चागला : हमारे दल ने जिनीवा से जो भी प्रार्थना भेजी है उसके बारे में मैंने आग्रह किया है कि चाहे कुछ भी व्यय क्यों न हो उनका उचित समर्थन किया जाना चाहिये क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह निर्णय हमारे देश के लिये कितना महत्व रखता है और मैं नहीं चाहता कि हमारे दल के मार्ग में कोई बाधा हो। वित्त मन्त्री से मैं इस बात पर बल देता रहा हूँ कि वित्त इस मामले में कोई महत्व नहीं रखता।

Shri Madhu Limaye : The answer does not meet the question at all *(Interruptions)*

Shri Kanwarlal Gupta : The question was whether that document has been lost or not and whether the same has been recovered or not ?

श्री मु० क० चागला : प्रश्न यह था कि न्यायाधिकरण के समक्ष सभी कागजात रख दिये गये थे और मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

Shri Madhu Limaye : First part of the question has not been answered.

श्री टेनेटी विश्वनाथन : क्या यह सच है कि विलय सम्बन्धी दस्तावेज हमारे अभिलेखों से वास्तव में गुम थी ?

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य इस बारे में या तो मुझे लिख भेजें और मैं उन्हें इसका उत्तर भेज दूँगा या वह अलग प्रश्न की सूचना दें क्योंकि यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Madhu Limaye : This question will have to be answered.

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : यह प्रश्न पिछले सत्र में कई बार पूछा गया था।

श्री हेम बरुआ : केवल एक बार।

श्रीमती इंदिरा गांधी : खैर कुछ भी सही, इसका स्पष्ट उत्तर दे दिया गया था कि यह दस्तावेज खोई नहीं है और सुरक्षित है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Why do you not give a Categorical reply ?

Shri Madhu Limaye : This reply is not correct. There were two copies of that document. Are both of them safe. Mr. Speaker, Sir, both the copies should be laid on the Table. We are havinga long correspondance with them in this connection. Concealing of facts in this way will not do.

श्री हेम बरुआ : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पिछली बार जब यह प्रश्न पूछा गया तो इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था और अग्रेतर स्पष्टीकरण के लिये मुझे सम्बन्धित मंत्री महोदय को लिखना पड़ा था। उस पत्र का अब तक उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं समझता कि मुझे कोई पत्र मिला है।

श्री हेम बरूआ : आपके पूर्वाधिकारी श्री स्वर्ण सिंह को वह पत्र लिखा गया था।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं।

वियतनाम संघर्ष

+

*4 **श्री ही० ना० मुकर्जी :**

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या वियतनाम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण तथा नियंत्रण आयोग या उसके सदस्य-देशों में से किसी देश ने वियतनाम के संघर्ष को समाप्त कराने के उपाय खोजने में पहल की है ;

(ख) : यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या क्या निश्चित कदम उठाये गये हैं : और

(ग) : यदि किन्हीं अन्य देशों ने इस सम्बन्ध में सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है तो उनके नाम क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) (क) से (ग) : वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियंत्रण कमीशन के तीनों सदस्य देश वियतनाम समस्या के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में बातचीत को सुविधाजनक बनाने और वियतनामी नव-वर्ष के अवसर पर युद्धविराम की अवधि बढ़वाने के लिए संबद्ध पक्षों से अपील करने की वांछनीयता पर अनौपचारिक तौर से आपस में सलाह-मशविरा करते रहे हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : वियतनाम में हाल के घोर युद्ध और बम्बारी को घ्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार इस संघर्ष का समझौता कराने के लिये विशेष कदम उठा रही है जो कि उसने अब तक नहीं उठाये और जिसकी उससे आशा की जाती थी ?

श्री मु० क० चागला : मैं अपने माननीय मित्र की बात से सहमत नहीं हूँ। भारत से जिस कार्य की आशा की जाती है भारत उसे कर रहा है और यही कारण है कि संसार के समुप-देशियों में भारत का स्थान बहुत ऊँचा है और भारत विश्व लोक मत बनाने में सहायता दे सकता है। जो युद्ध चल रहा है उस पर भारत ने अपने विचारों को निरन्तर रूप से व्यक्त किया है। हम कहते रहे हैं कि इस संघर्ष को युद्ध क्षेत्र में समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल समझौता वार्ता द्वारा ही इसको समाप्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव के उद्देश्य को पूरा करने में हम पूरी सहायता देते रहे हैं।

उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें गुप्त कूटनीति द्वारा ही किया जा सकता है। यह बताना लोकहित में नहीं है कि हमने क्या कार्यवाही की है। यहां तक कि महा सचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसके लिये अपील की है और इसलिये मैं सभा से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न न पूछें कि शांति स्थापित करने में सहायता देने के लिये भारत सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं। परन्तु मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूँ कि इस संघर्ष को समाप्त करने के लिये हम अपने हित में, शांति के हित में और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के हित में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : नवम्बर, 1966 में इस सभा को बताया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को जिसका कि भारत अध्यक्ष है, उस क्षेत्र में अमरीका द्वारा विषैले रसायन और गैसों के प्रयोग किये जाने के बारे में बहुत ही गम्भीर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और संसार भर में यह भी

खबर फैली हुई है कि अपने दुष्ट कार्यों के लिये अमरीका के पास मृत्यु की एक ऐसी प्रयोगशाला है। इसको ध्यान में रखते हुए और भारत की विशेष जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखते हुए कम से कम इन सभी प्रकार की जहरीली गैसों के प्रयोग को रोकने के लिये भारत को अपना कर्तव्य निभाना चाहिये। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं ?

श्री म० क० चागला : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की कार्य-प्रणाली के बारे मे एक निश्चित प्रक्रिया विदित है। भारत, पोलैंड और कनैडा इस आयोग के तीन सदस्य हैं। जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है आयोग इसकी जांच करता है और अपना प्रतिवेदन देता है। मुझे विश्वास है कि यदि कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, तो उसकी पूरी जांच की जायेगी और प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : नवम्बर में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि हमें ऐसी एक शिकायत मिली थी। इस बारे में आपने क्या किया है।

श्री म० क० चागला : केवल भारत ही नहीं पोलैंड और कनैडा को भी शिकायतों की जांच करनी है। हो सकता है भारत शीघ्र निर्णय लेना चाहे पर पोलैंड और कनैडा अपनी अपनी सरकारों से अनुदेशों की प्रतीक्षा करना चाहें, जिसमें समय लगता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यस्वथा कभी कभी बहुत धीमे काम करती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अमरीका ने भी इस बात से इन्कार नहीं किया है कि हाल के महीनों मे उत्तर वियतनाम में हवाई बम्बारी के अतिरिक्त दूर की मार करने वाले तोप के गोले भी छोड़े गये थे। क्या उत्तर वियतनाम के विरुद्ध इस अघोषित युद्ध में जो अमरीका उसके विरुद्ध लड़ रहा है, भारत सरकार ने अपने प्रतिनिधि को कोई अनुदेश दिये हैं यह सुनिश्चित करने के लिये कि कम से कम आयोग अमरीका के इस आक्रमण की निन्दा करता है और यदि हां, तो वे अनुदेश क्या हैं ?

श्री० म० क० चागला : जनेवा समझौते के अन्तर्गत यह आयोग का कृत्य नहीं है। जिनीवा समझौते में आयोग के कृत्य दिये गये हैं। यद्यपि हम आयोग के अध्यक्ष हैं, हम अपने क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जा सकते। जनेवा समझौते में हमारे श्रेत्राधिकार की पूरी व्याख्या की गई है। निन्दा करना आयोग कृत्यों में शामिल नहीं है। आयोग का काम तथ्यों का पता लगाना और अध्यक्ष को प्रतिवेदन देना है। यदि शिकायत आई तो हम उसकी जांच करेंगे और तथ्यों का पता लगाकर अध्यक्ष को प्रतिवेदन देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि माननीय मंत्री जो कुछ कहते हैं वह सच भी हो तब भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार ने अध्यक्ष को, जो कि हमारा प्रतिनिधि है कोई अनुदेश दिये हैं, यह एक तथ्यों का प्रश्न है।

श्री म० क० चागला : तथ्यों का पता लगाने के लिये तीनों बैठकर शिकायतों की जांच करनी होती है मामले पर चर्चा करनी पड़ती है और तब किन्हीं निष्कर्षों पर पहुँचना होता है।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : क्या वियतनाम में युद्ध बन्द कराने के लिये राजनयिक सूत्रों द्वारा कोई विशिष्ट प्रस्ताव भेजे गये हैं ?

श्री म० क० चागला : राजनयिक स्तर पर काफी कार्यवाही की गई है, परन्तु जैसा कि मैंने बताया उनको बताना लोक हित में नहीं होगा। मैं तो केवल यही कह सकता हूँ कि भारत ने वियतनाम के बारे में जो नीति अपनाई हुई है भारत उस पर टिका हुआ है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : माननीय मंत्री ने कहा कि आयोग के तीनों सदस्य एक शिकायत पर मिलकर विचार करते हैं और कुछ सदस्य यह कहते हैं कि उन्हें अपनी सरकारों से अनुदेश प्राप्त करने हैं। चूंकि यह एक अर्ध न्यायिक निकाज है जिसका मुख्य कर्तव्य तथ्यों के आधार पर शिकायत की जांच करना है, क्या यह सच नहीं है कि सम्बन्धित सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी सरकारों के हस्तक्षेप के बिना ही कार्य करें ?

श्री म० क० चागला : एक तरह से यह एक न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाज है। जैसे कि हमारे प्रतिनिधि को कई मामलों में हमसे अनुदेश लेने होते हैं। यही बात आयोग के अन्य सदस्यों पर भी लागू होती है। अतः आप आयोग के किसी सदस्य को उसकी अपनी सरकार से अनुदेश लेने से रोक नहीं सकते।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तुर्की और ईरान द्वारा पाकिस्तान को दिये गये विमान

*5 **श्री नाथपाई :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगा लिया है कि पाकिस्तान द्वारा मरम्मत के बहाने तुर्की और ईरान से प्राप्त किये गये विमान इस बीच वापस कर दिये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) :—(क) और (ख) : ईरान की सरकार ने हमें पहले यह आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान के पास हवाई जहाज सिर्फ मरम्मत, सफाई और तबदीली कराने के लिए भेजे गए थे और वे ईरान को वापस आ जाएंगे। इसके बाद, पश्चिम जर्मनी की सरकार ने भी हमें सूचना दी थी कि पाकिस्तान में जिन हवाई जहाजों की मरम्मत सफाई की जानी थी, उनमें से कुछ के सिवाय ईरान के उपयोग के लिये बेचे गये, सभी एफ 86 हवाई जहाज ईरान वापस आगए हैं और उस समय जिन कुछ हवाई जहाजों की मरम्मत-सफाई हो रही थी, वे भी ईरान के पास वापस चले जाएंगे।

सरकार ने इस आशय की कुछ रिपोर्ट देखी है कि ये हवाई जहाज पाकिस्तान के पास वापस चले गए हैं। हमारे पास इन रिपोर्टों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।

तुर्की द्वारा पाकिस्तान को हवाई जहाज देने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

Newsprint Quota For Small Newspapers

*6. **Shri Hukum Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether itis a fact that the Editors of small newspapers have recently threatened to launch a satyagraha against the newsprint quota policy ; and

(b) if so, their main demands and reaction of Government thereto ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Beyond a report in the press to this effect, Government have no information.

(b) Does not arise.

अक्टूबर 1964 का भारत-श्रीलंका करार

*7 **श्री सेझियान**

श्री सी० सी० देसाई : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1964 के भारत-श्रीलका करार के क्रियान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री म० क० चागला) : अक्तूबर 1964 के भारत-श्रीलंका करार पर अमल करने का प्राथमिक कार्य हाथ में ले लिया गया है और श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने से संबद्ध कानून बन जाने के बाद, जो अब श्रीलंका की संसद के सामने है, श्रीलंका और भारत द्वारा भारत । श्रीलंका की नागरिकता के लिये अर्जियां मंगाने के सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिए जाएंगे ।

आयातित प्रतिरक्षा-उपकरण

*8. **डा० कर्णी सिंहजी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये जाने वाले प्रतिरक्षा-उपकरणों के मल्य रूपये का अवमूल्यन होने के बाद बढ़ गये हैं;

(ख) रूपये का अवमूल्यन होने के बाद प्रतिरक्षा-उपकरणों के आयात में किस प्रकार की कमी हुई है; और

(ग) कितनी कमी हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) **और (ग)** : अवमूल्यन के पश्चात् रक्षा साजसामान के आयात में कोई कमी नहीं हुई है ।

सूचना और प्रसारण के साधनों के सम्बन्ध में चंदा समिति की रिपोर्ट

*9. **श्री सी० सी० देसाई** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना और प्रसारण के साधनों के संबंध में चंदा समिति की रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की किन-किन सिफारिशों को क्रियान्वित करना स्वीकार किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) (क) और (ख) : चंदा समिति द्वारा

(1) रेडियो और टेलीविजन

(2) वृत्तचित्र और समाचार-चित्र

(3) विज्ञापन और दृश्य प्रचार

(4) प्रेस सूचना और प्रचार

पर पेश की गई चार रिपोर्टों में से रेडियो और टेलीविजन की रिपोर्ट में दी गई अधिकांश सिफारिशों पर निर्णय कर लिए गये हैं। अन्य रिपोर्टें विचाराधीन हैं और उनमें की गई सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय लेने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है ।

ऐसे दो विवरण पहले ही सदन की मेज पर रखे जा चुके हैं जिनमें रेडियो और टेलीविजन सम्बन्धी रिपोर्टों की कुल 219 सिफारिशों में से 150 पर लिए गए निर्णय दिये गये थे। 30 और सिफारिशों के बारे में एक और विवरण चालू अधिवेशन में ही सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

ताशकंद समझौता

*10 **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कंवरलाल गुप्ता :
श्री नाथपाई :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० च० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री राम किशन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या एक वर्ष से अधिक समय से, जब ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, उसको क्रियान्वित के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) : इस समझौते के किन-किन उद्देश्यों को पूरा किया गया है; और

(ग) समझौते को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में क्या-क्या बाधायें हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : भारत सरकार ताशकंद घोषणा के अमल के प्रश्न पर बराबर ध्यान रखती रही है। फौजों की वापसी जैसी इसकी कुछ व्यवस्थाओं पर, अमल कर दिया गया है। लेकिन इसके तमाम उद्देश्यों की पूर्ति करना और आगे प्रगति करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने दोनों देशों के बीच विभिन्न समस्याओं पर बातचीत करने के हमारे प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया है। पाकिस्तान का रुख यह है कि पाकिस्तान की इच्छानुसार ताशकंद घोषणा के अमल पर आगे किसी प्रगति अथवा इस प्रकार की किसी बातचीत का संबंध कश्मीर के हल के बारे में "अर्थपूर्ण वार्ता" से होना चाहिये ।

फिर भी, हम ताशकंद घोषणा में उल्लिखित विभिन्न मामलों पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत करवाने की बराबर कोशिश कर रहे हैं।

ट्राम्बे स्थित परमाणु शक्ति संस्थान के निर्माण कारखाने का हैदराबाद ले जाया जाना

*11 **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री मधु लिमये :

श्री यशपाल सिंह :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु शक्ति संस्थान के निर्माण-कारखाने को बम्बई से हटाकर आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद में ले जाने का निर्णय कब किया गया था;

(ख) यह निर्णय किन कारणों से किया गया था ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस कारखाने को स्थानान्तरित किये जाने के बारे में मौखिक तथा लिखित रूप में विरोध प्रकट किया है; और

(घ) इस कारखाने को हैदराबाद ले जाने में कितना व्यय होगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) माननीय सदस्य का संकेत स्पष्टतः भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के इलैक्ट्रानिक्स उत्पादन यूनिटों को ट्राम्बे से हैदराबाद स्थानान्तर करने की ओर है।

इन यूनिटों को हैदराबाद स्थानान्तर करने का निर्णय परमाणु ऊर्जा आयोग ने जून 1965 में किया था।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र मुख्यतः एक अनुसंधान तथा विकास कार्य करने वाली संस्था है। इस केन्द्र के अच्छी तरह काम करने के लिये यह आवश्यक है कि यहां विकसित की गई ऐसी प्रविधियां जिनके आधार पर औद्योगिक उत्पादन सम्भव है की सहायता से उत्पादन अन्यत्र किया जाए। सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत इलैक्ट्रनिक उपकरणों के उत्पादन के लिये हैदराबाद में जो उद्योग लगाया जा रहा है उसको वे सब सुविधायें साझे में मिलेंगी जो वहीं स्थापित किये जा रहे परमाणु ईंधन बनाने वाले संयंत्र समूह को उपलब्ध होंगी। अन्य जिन आधारों पर यह निर्णय किया गया है वे हैं :—

हैदराबाद के वायु-मंडल में धूलि की मात्रा की कमी, वहाँ सारे वर्ष वायुमंडल में नमी की कमी, बिजली, पानी, रासयनिक पदार्थों तथा आवास सुविधाओं की उपलब्धि।

(ग) महाराष्ट्र सरकार के साथ यद्यपि इस बारे में कुछ लिखा पढ़ी हुई है तथापि उनकी ओर से कोई विरोध नहीं मिला है। महाराष्ट्र सरकार के विचार में नासिक या पूना इलैक्ट्रानिक्स संयंत्र स्थापित करने के लिये उपयुक्त स्थान है तथा वहां संयंत्र लगाने के बारे में विचार किया जाना चाहिये। ट्राम्बे में इलैक्ट्रानिक्स उत्पादन से सम्बद्ध कर्मचारियों को यह स्पष्टीकरण दिया जा चुका है कि केवल वे कर्मचारी ही जो स्वेच्छा से हैदराबाद जाना चाहें वहां भेजे जायेंगे तथा शेष को बम्बई में ही उपयुक्त नौकरी दे दी जायेगी।

(घ) अनुमान है कि उपकरणों तथा सामान को हैदराबाद भेजने में 30.5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं होगा। इसके अलावा जो कर्मचारी हैदराबाद जाने का अन्तिम रूप से निर्णय करेंगे उनके यात्रा भत्ते पर भी खर्च होगा। उत्पादन में कमी होने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि हैदराबाद स्थित औद्योगिक बस्ती में तुरन्त ही उत्पादन कार्य शुरू हो जायेगा तथा उसके साथ ही आन्ध्र-प्रदेश सरकार द्वारा उपहार में दी गई 972 एकड़ भूमि पर पक्की इमारतें बनाई जायेंगी।

लेफ्टिनेंट जनरल कौल की "दी अनटोल्ड स्टोरी" नामक पुस्तक

*12 **श्री एस० सूपकर :**
श्री कंवरलाल गुप्ता :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेफ्टिनेंट जनरल कौल ने अपनी "दी अनटोल्ड स्टोरी" नामक पुस्तक प्रकाशित करने से पहले भारत सरकार की अनुमति प्राप्ति की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने उस पुस्तक में कुछ सरकारी भेद प्रकट किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) **और** (ग) : ऐसा लगता है, कि पुस्तक के कई स्थल उस सूचना पर आधारित हैं, जो गोप्य दस्तावेज और पत्र व्यवहार तथा गोप्य विचार विमर्श से उन्हें प्राप्त हुई, कि जिसमें उन्होंने सरकारी-तौर पर भाग लिया। समस्त मामले पर सविस्तार जाच की जा रही है, और किसी अन्तिम निष्कर्षों पर पहुँच सकने के लिए, काफी अध्ययन और अनुसंधान आवश्यक है।

परमाणु बम का निर्माण

*13 **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री सी० सो० देसाई :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु बम के निर्माण में चीन द्वारा की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए भारत में परमाणु बम बनाने की वांछनीयता पर पुनर्विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)

(क) और (ख)—हमारी नीति बराबर परमाणु शक्ति का प्रयोग शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये करने की रही है। यह नीति निरन्तर विचाराधीन रखी जाती है और देश के बचाव तथा सुरक्षा के लिये जो कदम उठाये गये हैं, या उठाने का विचार है, उनके बारे में किसी प्रकार का खुला बयान देने में सरकार की मजबूरी को सदन भली प्रकार समझ सकता है।

पाकिस्तान के दौरे के समय ईरान के शाह का वक्तव्य

*14 **श्री नाथपाई** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार का ध्यान ईरान के शाह द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उनका देश काश्मीर पर पाकिस्तानी दावे का समर्थन करता है;

(ख) : क्या सरकार ने इस बारे में ईरान सरकार से पत्र व्यवहार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ईरान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) : अपनी हाल की पाकिस्तान यात्रा के दौरान शहंशाह ईरान द्वारा दिए गये कथित वक्तव्य के बारे में सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देख ली है।

(ख) और (ग) : हम इस मामले को ईरान की सरकार के साथ उठा रहे हैं।

छिपे हुए नागाओं से बातचीत

*15 **श्री सी० सी० देसाई** :

श्री यशपाल सिंह :

श्री हेम बरुआ :

श्री वी० च० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या छिपे हुए नागाओं के प्रतिनिधिमडल और प्रधान मंत्री के बीच हुई बातचीत के पांचवें दौर के परिणामस्वरूप कोई सफलता मिली है;

(ख) : यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) : इस सम्बन्ध में मौजूदा स्थिति क्या है ?

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) से (ग) : छिपे नागाओं के प्रतिनिधियों के साथ पांच अलग-अलग अवसरों पर अब तक जो बातचीत हुई है, वह निश्चित रूप से पता लगाने के लिए थी। बातचीत के दौरान इस विषय पर भारत सरकार की स्पष्ट स्थिति की इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सामान्य सहमति प्राप्त करने की कोशिशें की गई कि नागालैंड भारतीय संघ का अभिन्न अंग है। हालांकि छिपे नागाओं के प्रतिनिधिमंडल ने यह कहा कि वे उस समय सार्वजनिक रूप से लिए गए निर्णय से हटने की स्थिति में नहीं थे, तो भी वे इस बात पर सहमत हुए कि वे अब तक की गई बातचीत को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार करेंगे और उन्होंने अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि वे इस विषय पर आगे किसी तारीख को और बातचीत करेंगे। इस तरह के सभी मामलों में शांतिपूर्ण समाधान खोजने की इच्छा के अनुरूप भारत सरकार ने आगे की बातचीत के लिए द्वार खुला रखने पर अपनी सहमति व्यक्त की है।

20 मार्च 1967 को होने वाली सदन की बैठक के लिये परमाणु बिजलीघर, तारापुर

*16 **श्री चार्ल्स फरनेन्डीज** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के तारापुर नामक स्थान पर परमाणु बिजलीघर के निर्माण के कारण तथा उसके चालू होने पर वहां के कितने गांवों को खाली कराना पड़ेगा;

(ख) इसके कारण कितने परिवारों को फिर से बसाना पड़ेगा, और

(ग) उन लोगों को रोजगार तथा भूमि देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, जो अपनी भूमि तथा जीविका के साधनों से वंचित हो जायेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गान्धी) :—(क) से (ग) : लगभग 100 परिवारों के एक छोटे से गांव (पद) के निवासियों को तारापुर के परमाणु बिजलीघर के इर्द गिर्द के क्षेत्र से हटाकर पास ही एक नये स्थान पर उनकी खेतीबाड़ी की जमीनों के समीप, जिनका बिजलीघर के लिये अधिग्रहण नहीं किया जा रहा, बसाया जायेगा।

फरवरी, 1967 में भारत में अवैध रूप से घुस आने वाले पाकिस्तानी विमान का मार गिराया जाना

*17 **श्री नाथपाई :**

श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री बलराज मधोक :

श्री ओंकार लाल बेरा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1967 में एक पाकिस्तानी विमान भारतीय राज्यक्षेत्र में अवैध रूप से घुस आया था और भारतीय वायु सेना के एक विमान ने मार गिराया था; और

(ख) पाकिस्तान के इस दावे में क्या सार है कि इस विमान को एक विद्यार्थी चला रहा था और यह प्रशिक्षण देने वाला विमान था जिसमें कोई हथियार नहीं था ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) (क) और (ख) : 2 फरवरी, 1967 को 12 बजकर 59 मिनट पर एक पाकिस्तानी विमान फिरोजपुर के निकट भारतीय क्षेत्र में घुस आया जबकि मौसम बिल्कुल साफ था और सब कुछ अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। विमान 5,000 फुट की ऊँचाई पर पूर्व दिशा की ओर भारतीय राज्यक्षेत्र में उड़ता रहा और फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ा और तत्पश्चात् दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता चला आ रहा था। जब यह विमान भारतीय क्षेत्र में 48 किलोमीटर अन्दर तक आ गया तो भारतीय वायु सेना के एक विमान को इसे रोकने के लिये कहा गया। भारतीय वायु सेना के विमान ने पाकिस्तानी विमान को 13.15 बजे देखा और रेडियो टेलीफोन पर उससे सम्पर्क स्थापित करने हेतु कई बार प्रयास किया। कोई उत्तर न मिलने पर, भारतीय विमान पाकिस्तानी विमान के साथ-साथ लड़ने लगा और फिर वह उससे आगे बढ़ कर उड़ने लगा जिससे पाकिस्तानी विमान को भारतीय हवाई अड्डे की ओर ले जाया जा सके, परन्तु पाकिस्तानी विमान बचकर भाग निकलने हेतु बड़ी तेजी से नीचे उतरने लग गया। भारतीय वायु सेना के विमान ने तब एक विस्फोट द्वारा चेतावनी दी परन्तु इस चेतावनी के बावजूद, पाकिस्तानी विमान बच कर भाग निकलने का प्रयत्न करने लगा। भारतीय वायु सेना के विमान को मजबूर हो कर पाकिस्तानी विमान को गोली मार कर नीचे गिराना पड़ा। पाकिस्तानी विमान को गोली मार कर 13.30 बजे नीचे गिराया गया और पाकिस्तानी विमान के चालक की मृत्यु हो गई।

इस विमान की अभूतपूर्व गहरी घुपपैठ चालक के संदिग्ध व्यवहार और उस द्वारा नीचे न उतरने से ऐसा लगा कि वह कोई जासूसी करने आया था। चूंकि विमान में वी० एच० एफ सेट और वी० ओ० आर० लगे हुए थे, चालक इस प्रकार गलती से भारतीय राज्यक्षेत्र में नहीं आ सकता था विशेषकर जबकि मौसम बिल्कुल साफ था और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था।

विमान के मलबे की जांच करने से मालूम हुआ कि चालक ने सेना की कोई पदक नहीं लगा रखा था और वह असैनिक कपड़ों में था। विमान के भग्न शेष से मिले दस्तावेजों के अनुसार वह पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स का एक कर्मचारी था। विमान हथियारों से सुसज्जित नहीं था परन्तु ऐसे विमान का केवल प्रशिक्षण के लिये ही प्रयोग नहीं किया जाता है।

मिग विमानों का निर्माण

*18 **श्री सी० सी० देसाई :**

डा० कर्णी सिंह जी :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग विमान बनाने के कारखानों का निर्माण पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मिग विमानों का निर्माण आरम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। कारखाने के भवनों के निर्माण में काफी प्रगति हुई है। संयन्त्र, मशीनों, साजसामान, दस्तावेजों के अनुवादन, कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण समन्वित निर्माण कार्यक्रम के अनुरूप सन्तोषजनक रूप से प्रगतिशील हैं।

(ग) जी हां।

(घ) मिग कारखानों में विमानों का उत्पादन 4 प्रावस्थाओं में आयोजित किया गया है अर्थात् वृहद् संयोजनों से, उपसंयोजनों से, विस्तृत अंशों से और खाद्य पदार्थों से। पहली प्रावस्था (स्टेज) 1966-67 में शुरू हो गई, और कुछ विमान वायु सेना को वितरित कर दिए गए हैं। अन्तिम प्रावस्था (स्टेज) के अन्तर्गत विमान उत्पादन पंक्ति से लगभग 3 वर्षों में बाहर आने शुरू हो जाएँगे।

सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये उच्च शक्तिशाली ट्रांसमीटर

1. **डा० कर्णी सिंह जी :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) ये ट्रांसमीटर वस्तुतः कब तक लगाये जायेंगे ; और

(ग) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम चल रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) सीमावर्ती पांच क्षेत्रों में शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। शेष पांच मामलों में भी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है परन्तु जन पर स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) वित्त मन्त्रालय की मन्जूरी से इन सभी ट्रांसमीटरों को लगाने के सामान के आर्डर दे दिए गए हैं। एक को छोड़ कर अन्य सभी ट्रांसमीटरों के लगाने के स्थान चुन लिये गए हैं और तीन ट्रांसमीटरों के भवन निर्माण का काम चालू है। आशा है कि इन उच्चशक्ति के ट्रांसमीटरों में से तीन 1967-68 के वित्तीय वर्ष में चालू हो जायेंगे और शेष अगले दो वर्ष के अन्दर पूरे हो जायेंगे।

लड़ाकू तथा हेलीकाप्टर विमानों का निर्माण

2. **डा० कर्णी सिंह जी** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लड़ाकू तथा हेलीकाप्टर विमानों का देश में निर्माण करने के बारे में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) (क) तथा (ख) : जी हां। हिन्दुस्तान वैमानिकी लिमिटेड द्वारा हस्तगत किए गए मुख्य काम यह है :—

(1) लाइसेंस अधीन नेट विमानों का निर्माण।

(2) जेट लड़ाका विमान एच० एफ० 24 का अभिकल्पन, विकास और निर्माण।

(3) इंजन तथा अन्तरिक्ष वहित वैद्यूती साजसामान सहित अतिस्वन इंटर्सेप्टर मिग–21 का निर्माण।

(4) इंजन समेत लाइसेंस के अधीन अलौटी हेलीकाप्टर का निर्माण।

नेट हिन्दुस्तान वैमानिकी लि० में सम्पूर्णतः उत्पादन अधीन है। 1966-67 में नेट विमान के और वितरण किए गए थे।

एच० एफ० 24 मार्क 1 का उत्पादन आरंभ कर दिया गया है, और उनकी कुछ संख्या भारतीय वायु सेना को वर्ष के दौरान वितरित कर दी गई थी। हिन्दुस्तान वैमानिकी लि० ने एच० एफ० 24 विमान के एक उन्नति प्राप्त प्रतिरूप का विकास भी हस्तगत कर रखा है।

मिग–21 विमानों के संयोजन की प्रथम प्रावस्था सम्पूर्ण हो चुकी है। निर्माण की अन्य प्रावस्थाएं हस्तगत हैं।

अलौटी हेली-काप्टर का उपसंयोजनों से निर्माण हिन्दुस्तान वैमानिकी लि० में आरम्भ हो चुका है। खाम पदार्थों से अलौटी हेलिकाप्टर का उत्पादन 1967 68 वर्ष के दौरान शुरू होने की प्रव्याशा।

भारत और चीन के बीच राजनयिक पत्र-व्यवहार

श्री यशपाल सिंह :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद् के पिछले सत्र की समाप्ति के पश्चात् चीन लोक गणराज्य सरकार को कोई राजनयिक पत्र भेजे गये हैं तथा उसकी ओर से प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : संसद का पिछला सत्र समाप्त होने के बाद से चीन लोक गणराज्य की सरकार के साथ कई नोटों का आदान-प्रदान हुआ है। फरवरी 1966 से लेकर अब तक चीन सरकार के साथ जिन नोटों, ज्ञपनों आदि का आदान-प्रदान हुआ है, वे श्वेत पत्र नम्बर XIII में हैं जो जल्दी ही संसद के सामने रखा जा रहा है।

परमाणु बिजलीघर, तारापुर

4. **श्री जार्ज फरनैंडीज :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में तारापुर में परमाणु बिजलीघर के निर्माण के लिये जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी और बखटल इंडिया लिमिटेड के साथ भारत सरकार द्वारा किये गये करार की शर्तें क्या हैं;

(ख) निर्माण लागत का मूल अनुमान कितना था और अन्तिम अनुमान कितना है ; और

(ग) अवमूल्यन के कारण तारापुर परमाणु बिजलीघर परियोजना की निर्माण लागत पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु-शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इस बिजलीघर के निर्माण का ठेका संयुक्त राज्य अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी तथा इंटरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी (इण्डिया) को दिया गया है और न कि वैचल इण्डिया लिमिटेड को जो कि मुख्य ठेकेदार के उप-ठेकेदारों में से एक हैं।

ठेके के अन्तर्गत ठेकेदार स्टेशन को चालू करने की स्थिति तक तैयार करके देगा तथा इस ठेके में स्टेशन का डिजायन तैयार करना, उपकरणों को हासिल करना तथा बिजलीघर का निर्माण करना शामिल है। इस काम के लिए ठेकेदार को एक निश्चित राशि दी जाएगी जिसमें केवल मजदूरी या काम में आने वाले सामान की कीमत या कुछ विशेष टैक्सों या चुंगी की दर में होने वाले परिवतनों के आधार पर ही परिवर्तन किया जायेगा। करार के अन्तर्गत बिजलीघर के चालू होने की निश्चित तिथि करार के कार्यान्वित होने की तिथि जो कि 19 जून 1964 है से 52 मास है। ठेकेदार ने बिजलीघर की उत्पादन क्षमता तथा कार्य-कुशलता, क्वालिटी और कारीगरी तथा ईंधन की उपयोगिता की गारंटी दी है।

(ख) तथा (ग) : प्रारम्भिक रूप से बिजलीघर के बनाने का खर्च लगभग 48.5 करोड़ रुपये आंका गया था जिसमें ईंधन की कीमत शामिल नहीं थी। अन्तिम संशोधित कीमत लगभग 64.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। कीमत में वृद्धि का मुख्य कारण आयात शुल्क में बहुत अधिक वृद्धि का होना है जिससे 6 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। रुपये के अवमूल्यन के कारण 10 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध

5. **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ।

(ख) जर्मन लोकतंत्र गणराज्य की राजनयिक मान्यता के प्रश्न पर स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू ने और बाद में भारत सरकार के अन्य सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में भारत सरकार की नीति कई मौकों पर बताई है । नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

चुनाव सम्बन्धी बुलेटिनों का प्रसारण

6. **श्री सूपकार :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आम चुनावों के परिणाम बताने वाले कितने विशेष बुलेटिन अंग्रेजी में तथा भारत की प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित किये गये थे ; और

(ख) उपरोक्त प्रसारणों में कुल कितना समय खर्च किया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) फरवरी 21 से फरवरी 25 तक दिल्ली से अंग्रेजी और हिन्दी में रोजाना छः छः विशेष बुलेटिन प्रसारित किये गये । कुछ वर्तमान बुलेटिनों के समय को भी बढ़ाया गया । जिन दिनों चुनाव परिणामों की घोषणा की गई उन दिनों प्रादेशिक केन्द्रों से हिन्दी में कुल 68 और अन्य भाषाओं में 12 बुलेटिन रोजाना प्रसारित किये गये।

(ख) दिल्ली से प्रसारित होने वाले अंग्रेजी के विशेष बुलेटिनों की कुल अवधि 70 मिनट होती थी जबकि हिन्दी के विशेष बुलेटिनों की 65 मिनट । अंग्रेजी तथा हिन्दी के वर्तमान बुलेटिनों का समय रोज बीस-बीस मिनट बढ़ा दिया गया । अंग्रेजी के सारे बुलेटिन सभी प्रादेशिक केन्द्रों से रिले किये गये । हिन्दी के बुलेटिन हिन्दी केन्द्रों से रिले किये गये । प्रादेशिक केन्द्रों से जो विशेष बुलेटिन प्रसारित किये गये उनके प्रसारण समय की कुल अवधि 560 मिनट थी । इसके अतिरिक्त वर्तमान बुलेटिनों की प्रसारण अवधि 120 मिनट बढ़ा दी गई ।

परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने के बारे में संधि

श्री नाथपाई :

श्री बलराज मोधक :

श्री राम किशन :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री विभूति मिश्र :

श्री क० ना० तिवारी :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में संधि किये जाने के मामले में की जा रही बातचीत में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) परमाणु शक्ति वाले प्रमुख देशों का इस विषय में क्या दृष्टिकोण है; और

(ग) इस बातचीत में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने क्या योगदान दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) महासभा के पिछले अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें जेनेवा स्थित अट्ठारह राष्ट्रों की हथियार-परिहार समिति से कहा गया था कि वह महासभा के प्रस्ताव 2028 (XX) में लिखित आदेश के अनुसार एटमी हथियार न बनाने के प्रश्न को उच्च प्राथमिकता दे। वह 21 फरवरी 1967 को जेनेवा में फिर आयोजित की गई और उसका अधिवेशन अभी चल रहा है।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ एटमी हथियार न बनाने के कई पहलुओं पर निजी तौर पर बातचीत करते रहे हैं और खबर है कि उनके दृष्टिकोणों में अन्तर कम रह गया है। ऐसा पता चला है कि एटमी हथियारों का उत्पादन न करने से सम्बद्ध एक संधि के कुछ अनुच्छेदों पर उनमें सहमति हो गई है और इन अनुच्छेदों के द्वारा एटमी देशों पर संतुलन सम्बन्धी कोई दायित्व डाले बिना ग़ैर-एटमी देशों पर पाबंदियां लगाई गई हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस विषय पर बातचीत में पूरा हिस्सा लिया। उसका मुख्य कार्य बराबर और पक्की तौर पर यह कहना रहा कि एटमी हथियारों का उत्पादन न करने से संबद्ध कोई भी संधि संतुलित होनी चाहिये तथा उसके द्वारा किसी के प्रति कोई भेदभाव न बरता जाना चाहिये और वह सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा में एक कदम हो।

पालम हवाई अड्डे से टायरों और ट्यूबों की चोरी

9. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या **प्रतिरक्षा मन्त्री** 7 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 739 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर हुई टायरों और ट्यूबों की चोरी के बारे में की जा रही जाँच इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जाँच पूरी करने में कितना समय लगेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) (क) तथा (ख) : जाँचें अभी प्रगतिशील हैं।

(ग) अभी निश्चित-तौर पर बताना सम्भव नहीं है, कि किस अवधि तक जाँच सम्पूर्ण हो पायेगी, परन्तु उसे यथाशीघ्र सम्पूर्ण करने का हर यत्न किया जायेगा।

महाबलेश्वर सड़क पर दुर्घटना

10. **श्री हुकुम चन्द कछवाय : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री 7 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 740 के उत्तर के सम्बम्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाबलेश्वर सड़क पर हुई दुर्घटना के बारे में सैनिक जाँच न्यायालय द्वारा की जा रही जाँच की रिपोर्ट इस बीच तैयार हो चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) न्यायालय के मुख्य निष्कर्ष हैं कि (1) दुर्घटना गाड़ी में किसी तकनीकी त्रुटि के कारण नहीं हुयी थी, (2) दुर्घटना का ठीक-ठीक कारण निर्धारित कर पाना कठिन है, परन्तु संभाव्यतायें हैं दोषपूर्ण निर्णय, या अस्थायी असामर्थ्य या दुर्घटना से पहले हृद्रोग के पुनः आघात के कारण, अफसर

की मृत्यु, जो उस जीप को चला रहा था, (3) यात्रा अनधिकृत थी, और उस अफसर और जीप के चालक के अतिरिक्त, सभी व्यक्ति उस सैनिक गाड़ी में यात्रा करने के अधिकारी न थे, और (4) राज्य को लगभग 9000 रुपये की क्षति हुई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

झांसी जिले में चांदमारी क्षेत्र में विस्फोट

11. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 14 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1282 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी जिले में आर्म्ड ब्रिगेड के चांदमारी क्षेत्र में हुए विस्फोट के परिणामस्वरूप तीन लड़कों की मृत्यु हो जाने की घटना के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या मृत लड़कों के निकटतम सम्बन्धियों ने मुआवजे के लिये कोई प्रार्थनापत्र भेजे हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) कोर्ट आफ इन्क्वायरी सम्पूर्ण हो चुकी है।

(ख) क्वीना चान्दमारी रेंज सर्वथा, एक निषिद्ध क्षेत्र है, और रेंजों में अनधिकृत व्यक्तियों को किसी भी समय दिन में या रात में जाने की अनुमति नहीं है। भंडरा बुजुर्ग के ग्रामीणों को इसका पूर्ण ज्ञान था। तदपि, भंडरा बुजुर्ग के चार लड़के 24 सितम्बर 1966 को लगभग 3 बजे बाद दोपहर, चरते चरते भटक कर उस रेंज क्षेत्र में पहुँच गए अपने पशुओं को ढूंढ़ लाने के लिए, क्वीना चांदमारी रेंज में चले गए थे। यह लड़के केशोधन गांव और झंडा गांव के बीच एक गोले के फटने से घायल हो गए थे। दो लड़के (अमर सिंह और आसा राम) वहीं मर गए थे और एक और लड़का (अक्षय राज) अपने गांव में पहुँचने के पश्चात् मर गया था। गांव वाले 24-25 सितम्बर 1966 की रात को रेंज क्षेत्र में न जा सके, क्योंकि एक विमान द्वारा गोली चलाई जा रही थीं। गांव वालों ने 25 सितम्बर 1966 को प्रात: पोलीस में मामले की रिपोर्ट की, और पोलीस की सहायता से रेंज क्षेत्र से 25 सितम्बर 1966 को दोनों शव प्राप्त कर लिए गए।

(ग) इन लड़कों के निकट कुटुम्बियों से क्षतिपूर्ति संबंधी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। तदपि, अनुग्रहपूर्वक क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए, हमने अपने तौर पर कार्यवाही शुरू कर दी है।

केन्द्रीय आयुध डिपो, चिऔकी में अग्निकांड

12 **श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री 14 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1275 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद के निकट केन्द्रीय आयुध डिपो चिऔकी में हुए अग्निकांड के कारणों संबंधी रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :—(क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कई प्रशासनिक कारणों-वश, अभी तक निम्न विरचना के लिए, सैनिक मुख्यालयों की मार्फत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं हो सका। तदपि, यह सुनिश्चित करने के लिये कि उन्हें एक मास के अन्दर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए, निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

पेकिंग में भारतीय दूतावास

डा० कर्णी सिंहजी :—क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या चीन में हाल में हुए राजनीतिक उपद्रवों को ध्यान में रखते हुए, पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों की जान व माल की सुरक्षा के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) : यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चगला) : (क) और (ख) : सभी संभव सतर्कता बरती गई है। कोई विस्तृत जानकारी देना सार्वजनिक हित में न होगा।

योल, घुरकरी और कछियारी के चांदमारी क्षेत्र

14. **श्री हेम राज :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में कांगड़ा जिले के योल, घुरकरी और कछियारी के चांदमारी क्षेत्रों में कितने व्यक्ति मरे और कितने व्यक्ति घायल हुए;

(ख) क्या इसकी कोई जांच की गई है और क्या घायल व्यक्तियों को अथवा मृत व्यक्तियों के सम्बन्धियों को कोई प्रतिकर दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि ये चांदमारी क्षेत्र योल और घुरकरी क्षेत्रों के निकट हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या गांव के लोगों ने कोई अभ्यावेदन दिया है कि चांदमारी क्षेत्रों को आबादी योग्य क्षेत्रों से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाये;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इन चांदमारी क्षेत्रों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(च) क्या यह भी सच है कि योल, घुरकरी तथा कछियारी गांवों के निवासियों ने भी इनके लिये अन्य स्थानों का सुझाव दिया है और यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (च) : सूचना संबंधित अधिकरणों से इकट्ठी की जा रही है। जभी प्राप्य हुई यह सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

———

मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
POINT OF PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : श्रीमान्, आज प्रातः श्रीमधुलिमये द्वारा यह आक्षेप लगाया गया था कि मैं भारतीय युवक कांग्रेस का अधिकारी हूँ और यह भी कहा गया था कि युवक कांग्रेस को अमरीका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से धन मिलता है, मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि युवक कांगेस का नियंत्रण मेरे अधीन नहीं है। मैं तो केवल इसकी केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य हूँ और मुझे उसका सदस्य होने और कांग्रेस प्रेजीडेंट का विश्वास पात्र होने का गर्व है। जहाँ तक विदेशों से धन प्राप्त करने की बात है, मुझे यह कहना है कि युवक कांग्रेस को कहीं बाहर से धन प्राप्त नहीं होता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Quite wrong.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : Mr. Speaker, the question is whether he had ever been its Member or not :

श्री विनेश सिंह : मेरे विचार में माननीय सदस्य इसका सम्बन्ध अपने युवक संगठन से जोड़ रहे हैं।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Mr. Speaker, in this connection, the All India Congress Committee had pointed out to me that he is all in all of the Congress youth Organisation. Is this information wrong ?

Shri Madhu Limaye : Does the office of the All India Congress Committee give wrong information ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात का आप स्वयं पता लगायें। मुझे इस बात का पता लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि कांग्रेस समिति के कार्यालय ने क्या कहा है। **(अन्तर्बाधा)**

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)
RE CALLING ATTENTION NOTICES (QUARY)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कार्य-सूची की अगली मद को लेने से पहिले मुझे आप से यह निवेदन करना है कि आपके कार्यालय ने मुझे सूचित किया है कि आपने "टाइम्स आफ इण्डिया" में ताला बन्दी के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार कर लिया है। इसके लिये समय निश्चित कर दिया जाये जिससे इस मामले को शीघ्र निपटाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली तथा स्थगन प्रस्तावों की कई सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। इसकी सूचना सरकार को दे दी गयी है। आशा है, मैं इन्हें कल ले सकूंगा, परन्तु इसमें समय लग सकता है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहाँ जा सकता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : In the previous Lok Sabha, two call-attention notices used to be taken up on a single day. Why should not this call-attention notice on the lock-out in the "Times of India" be taken up in the evening to day :

अध्यक्ष महोदय : एक दिन में कितनी ध्यान-दिलाने वाली सूचनाओं को लिया जाना चाहिये, इस बात का फैसला करने के लिये यह अच्छा होगा कि सभी दलों के नेता आपस में बैठकर कोई निर्णय कर लें। इसके लिये सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई जायेगी। इस बीच में, मैंने कुछ ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं की अनुमति दे दी है और इन्हें सरकार को सूचित कर दिया गया है, स्पष्ट है इस में उन्हें कुछ समय अवश्य लगेगा। जैसा भी हो, सदस्यों को इन सूचनाओं के बारे में सूचित कर दिया जायेगा कि उन्हें सभा में कब लिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे आपके कार्यालय से सूचना मिली है कि आपने यह सूचना ग्राह्य कर ली है मैं केवल यह जनाना चाहता हूँ.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। यह अभी इसी समय घोषणा नहीं की जा सकती कि इसे कल लिया जायेगा।

प्रो० समर गुह (कन्टाइ) : मैंने प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी है.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैंने ध्यान दिलाने वाली सभी सूचनाओं के बारे में बता दिया है । इनमें से कुछ सूचनाओं की अनुमति दी गई है । आपको इनकी सूचना दे दी जायेगी । अत: मैं यहां इनका हवाला देने की अनुमति नहीं दूंगा ।

प्रो० समर गुह : कल 'नेताजी म्यूज़ियम' में एक राष्ट्रीय समारोह हुआ था जिसमें जनरल फुजीवाड़ा द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की खड़ग प्रस्तुत की गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें । वह इस तरह से यह सब बातें नहीं कह सकते हैं ।

प्रो० समर गुह : इस समारोह में जनरल फुजीवाड़ा के माध्यम से जापान की सरकार द्वारा संग्रहालय को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की खड़ग दी गई थी परन्तु इस राष्ट्रीय समारोह में नेताजी को जो एक बड़े राष्ट्रीय क्रान्तिकारी थे, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ·····

कुछ माननीय सदस्य : धिक्कार है !

प्रो० समर गुह : उन्होंने नेताजी का अनादर किया है·····

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही के वृतांत में सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रो० समर गुह **

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : (केन्द्रपाड़ा) आपने अभी बताया कि आपने कुछ ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं की अनुमति दे दी है । माननीय सदस्य ने इसी विषय पर, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, ध्यान दिलाने वाली सूचना दी है । वह जानना चाहते हैं कि इसकी अनुमति न देने के कारण क्या हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग मामला है । सभा में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में पुरानी प्रक्रिया अपनाई जायेगी अथवा इसमें कोई फेर बदल किया जायेगा । आप प्रक्रिया की घोषणा करें ।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाऊँगा और तत्पश्चात प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी । इस बीच में उसी पुरानी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा ।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : हमने पहले कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय किया था कि प्रात:काल केवल एक ही ध्यान दिलाने वाली सूचना ली जाया करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो एक सायंकाल ली जाया करेगी तदनुसार आप को कम-से-कम एक सूचना तो आज लेनी ही चाहिये थी ।

• कार्यवाही के वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

* Not recorded.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Ujjain) : Mr. Speaker, when Shri Hukam Singh was the Speaker, at least 10 questions were orally answered in a day, but to day we have only reached upto 4 questions in an hour. These questions are of extreme importance and if only four questions will be answered in a day, how the purpose of these questions will be served ?

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : आप जानते हैं कि संसद सदस्य, श्री नाथ पाई, जो चिकित्सक की अनुमति से चिकित्सालय से आज शपथ लेने के लिये आये हैं, प्रश्न-काल से पूर्व नहीं आ सके। अत: आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें अब शपथ लेने की अनुमति दे दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : वह काफी समय से अस्वस्थ थे।

श्री नाथबापू पाई (राजापुर) * [हिन्दी]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

राजस्थान के बारे में उद्घोषणा गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत दिनांक 13 मार्च, 1967 की उद्घोषणा की एक प्रति जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य सरकार के समस्त कृत्यों को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है और जिसे दिनांक 13 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 345 में प्रकाशित किया गया।

(दो) उपरोक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उप-खंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा निकाले गये दिनांक 13 मार्च, 1967 के आदेश की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये एल० टी० संख्या 11/67]

(2) राष्ट्रपति को राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये दिनांक 12 मार्च, 1967 के प्रतिवेदन के सारांश की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 12/67]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
पैंतीसवां और छतीसवां प्रतिवेदन

सचिव : श्रीमान् जी, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति ने 3 मार्च, 1967 को अध्यक्ष को निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे।

* सदस्य के नाम के आगे दी गई भाषा इस बात की द्योतक है कि सदस्य ने उसी भाषा में शपथ ली थी।

*The language shown against the name of a Member indicates that he took oath in that language.

(1) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (मार्केटिंग डिवीजन) के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन ।

(2) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (रिफाइनरीज़ डिवीजन) के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन ।

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम 280 के अन्तर्गत अध्यक्ष ने इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन तथा परिचालन का आदेश दिया था ।

मैं इन दो प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

गोवा दमण और दीव का आय- व्ययक 1967-68

GOA, DAMAN AND DIU BUDGET, 1967-68

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : On a point of order, Sir, the appointment of Shri Morarji Desai as a Deputy Prime Minister is against the Constitution as there is no provision for such a post in it.

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसका उस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ।

उप-प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं वर्ष 1967-68 के लिये गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य-क्षेत्र की अनुमित आय तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

विवरण

सभा को उन परिस्थितियों का अच्छी तरह से पता है जिनमें गोआ, दमन और दीव की विधान सभा को भंग करने के लिए 3 दिसम्बर 1966 को राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया था । उसके बाद, संसद ने गोआ, दमन और दीव (मत-संग्रह) अधिनियम, 1966 पास किया और बाद में संघीय राज्य क्षेत्र में मत-संग्रह भी हो चुका है । 28 मार्च, 1967 को विधान-सभा और लोक-सभा के लिए सामान्य निर्वाचन होने वाले हैं । इस बीच, संघीय राज्य-क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए लेखानुदान प्राप्त करना जरूरी है । तदनुसार, चार महीने के लिए लेखानुदान प्राप्त करने के लिए संसद के सामने, जिसे इस समय संघीय राज्य-क्षेत्र के विधान-मण्डल के अधिकार प्राप्त हैं, गोआ, दमन और दीव के संघीय राज्य-क्षेत्र का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(2) चालू वर्ष के बजट में संघीय राज्य क्षेत्र की राजस्व-प्राप्तियां 4.32 करोड़ रुपया रखी गयी थीं । इस सम्बन्ध में संशोधित अनुमान 4.05 करोड़ रुपये का है, जिसका मुख्य कारण बिजली सम्बन्धी योजनाओं की प्राप्तियों में 20 लाख रुपये की कमी होना है । राजस्व खाते का व्यय, जो बजट के समय 8.66 करोड़ रुपया आंका गया था, अब बढ़ाकर 9.04 करोड़ रुपया हो जाने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण सामाजिक और विकास सम्बन्धी कार्यों, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में नये स्कूल और मौजूदा स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएँ खोलने पर अधिक खर्च होना है । कुछ वृद्धि सिंचाई के छोटे-छोटे कामों पर अतिरिक्त व्यय के कारण हुई, जिसमें पम्प-सेटों का खरीदा और लगाया जाना तथा खपाये गये कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की दरों पर भत्तों की अदायगी करना शामिल है । पूंजी खाते का व्यय, बजट में जिसका अनुमान 3.73 करोड़ रुपये का था,

अब 3.69 करोड़ रुपया रखा गया है। भारत सरकार से प्राप्त होने वाली कुल सहायता की रकम में, जो मूल बजट में 8.46 करोड़ रुपये रखी गयी थी, कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नही हुआ है। किन्तु अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली रकम में 25.2 लाख रुपये की वृद्धि होगी और ऋणों के अन्तर्गत लगभग 25.3 लाख रुपये की कमी हो जायगी।

(3) अगले वर्ष संघीय राज्य क्षेत्र के राजस्व खाते में 4.37 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होने का अनुमान है, जबकि इस वर्ष का अनुमान 4.05 करोड़ रुपया है। यह वृद्धि मुख्यतः बिजली सम्भरण के प्रत्याशित विस्तार और बिक्री-कर की पहले से अधिक प्राप्तियों के कारण हुई है। राजस्व खाते से 9.91 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है, जबकि चालू वर्ष की रकम 9.04 करोड़ रुपया है। वृद्धि का मुख्य कारण लोक-निर्माण कार्यों और बिजली योजनाओं पर पहले से अधिक खर्च होना और चिकित्सा सेवाओं, लोक-स्वास्थ्य, कृषि और पशु-पालन के क्षेत्रों में किये जाने वाले कार्यों का विस्तार किया जाना है। अगले वर्ष का पूंजीगत व्यय 4.58 करोड़ रुपया रखा गया है, जबकि इस वर्ष का यह व्यय 3.69 करोड़ रुपया है, वृद्धि का कारण बिजली योजनाओं के लिए, जिनमें छोटे बिजली-घरों और प्रेषण-मार्गों (ट्रांसमिशन लाइन्स) की योजनाएँ भी शामिल हैं, पहले से अधिक व्यवस्था किया जाना और शिक्षा, चिकित्सा और कृषि विभागों के लोक-निर्माण कार्यों पर अधिक खर्च किया जाना है। इस प्रकार राजस्व खाते में 5.54 करोड़ रुपये का घाटा होगा जिसकी पूर्ति केन्द्रीय सरकार के अनुदान द्वारा की जायगी, और पूंजी खाते में 4.55 करोड़ रुपये का घाटा होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार से ऋण लेकर पूरा किया जायगा। इस प्रकार इस वर्ष के 8.46 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वर्ष आयोजना सम्बन्धी आवश्यकताओं और उनसे भिन्न आवश्यकताओं के लिए केन्द्रीय सहायता की कुल रकम 10.09 करोड़ रुपया होगी।

(4) अगले वर्ष के बजट में चौथी पंचवर्षीय आयोजना की विकास-योजनाओं के लिए 7.62 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है, जो चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिए की गयी व्यवस्था से 1.19 करोड़ रुपया अधिक है। राजस्व खाते में आयोजना के लिए की गयी व्यवस्थाओं में 55 लाख रुपया शिक्षा के लिए, 40 लाख रुपया वेस्ट कोस्ट रोड के लिए, 25-25 लाख रुपया क्रमशः कृषि और लोक-स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के लिए, 18 लाख रुपया सामुदायिक विकास के लिए और 17 लाख रुपया पशु-पालन के लिए है। पूंजी खाते में आयोजना के लिए की गयी व्यवस्था में, 1.50 करोड़ रुपया बिजली योजनाओं के लिए और 1.50 करोड़ रुपया विभिन्न विभागों की लोक-निर्माण-कार्यों सम्बन्धी योजनाओं के लिए है। लोक-स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 50 लाख रुपये, औद्योगिक बस्तियों सहित औद्योगिक विकास के लिए और गोआ विकास निगम और सहकारी समितियों में पूंजी लगाने के लिए 28 लाख रुपये और कृषि योजनाओं तथा मीन-क्षेत्रों के विकास के लिए 26 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(5) आयोजना को क्रियान्वित करने से जो महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त हुई हैं उनमें मैसूर से बिजली लाने के एक नये प्रेषण-मार्ग (ट्रांसमिशन लाइन) का निर्माण, सभी स्तरों पर शिक्षा का व्यापक प्रसार और दमन में एक नये आर्टस कालेज का खोला जाना उल्लेखनीय है। नलों द्वारा पानी पहुँचाने की व्यवस्था बढ़ा कर दुगुनी की जा रही है और पानाजी में मल-निकासी की योजना लगभग पूरी हो चुकी है। संचारी (कम्यूनिकेबल) रोगों के सम्बन्ध में अनेक नियंत्रण-

कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया है और देहाती व शहरी आबादी तक पहुँचाने के लिए परिवार नियोजन कार्य-क्रमों का विस्तार किया गया है। गोआ में मंडोवी नदी पर एक पुल के निर्माण में भी काफी प्रगति हुई है। भारी पैमाने पर सागौन, यूकेलिप्टस आदि के पेड़ लगाने का काम हाथ में ले लिया गया है। अगले वर्ष रासायनिक खाद और बढ़िया किस्म के बीजों का और अधिक उपयोग करने से खेती की पैदावार में भी वृद्धि होने की आशा है। सहकारिता आन्दोलन से 50 प्रतिशत से भी अधिक देहाती जनता को लाभ पहुँच रहा है और औद्योगिक विकास निगम के कार्यों का भी प्रभाव पड़ने लगा है। गैर-सरकारी क्षेत्र में खनिज लोहे के लिए 'पेलेटाइजेशन' संयंत्र की स्थापना की गयी है। मार्मागोआ बन्दरगाह से किये जाने वाले लोहे का निर्यात 1965 के 68 लाख मेट्रिक टन से बढ़ कर 1966 में 72 लाख मेट्रिक टन तक पहुँच गया। अगले वर्ष के बजट में, उन योजनाओं की गति को बनाये रखने और परिव्यय में उचित वृद्धि करके उसे बढ़ाने की भी व्यवस्था है। आयोजना सम्बन्धी व्यवस्थाओं में और वृद्धि करने के प्रश्न पर वर्ष के दौरान, आवश्यकताओं और साधनों का समुचित ध्यान रखते हुए, विचार किया जायगा।

रेलवे आय-व्ययक 1967-68

RAILWAY BUDGET. 1967-68

रेलवे मन्त्री (श्री चे० म० पुनाचा) :

अध्यक्ष महोदय, मैं 1967-68 में भारत की सरकारी रेलों की अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का वित्तीय विवरण सदन में पेश करने के लिए खड़ा हूँ। प्राप्तियों और खर्च का यह अनुमान सम्पूर्ण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए है, लेकिन चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में अब केवल कुछ ही दिन बाकी हैं और संसद् के इस अधिवेशन में मांगों पर बहस के लिए बहुत थोड़ा समय उपलब्ध है, इसलिए इस समय मैं सदन से केवल इतना ही लेखानुदान स्वीकार करने का अनुरोध कर रहा हूँ जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों का खर्च पूरा हो सके। वर्ष के शेष भाग में खर्च के लिए बाद में पृथक् स्वीकृति ली जायेगी।

बजट प्रलेखों के साथ माननीय सदस्यों को जो श्वेत पत्र दिया गया है, उसमें स्थूल रूप से तीसरी योजना के दौरान रेलों के विकास की समीक्षा की गयी है और उसमें प्रायः उन सब विषयों का भी समावेश है जिनकी बजट-भाषण में आमतौर पर चर्चा की जाती है। अतः इस वक्तव्य में मैं रेलों की वित्तीय स्थिति के केवल कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ही चर्चा करूंगा।

(2) 1965-66 में रेल-संचालन का वित्तीय परिणाम यह रहा कि इस वर्ष बचत केवल 18.56 करोड़ रुपये रही जबकि इसका संशोधित अनुमान 29.99 करोड़ रुपये लगाया गया था। बचत में 11.43 करोड़ रुपये की गिरावट यातायात से होने वाली प्राप्तियों में 8.23 करोड़ रुपये की कमी और संशोधित अनुमान की अपेक्षा संचालन-व्यय में 3.20 करोड़ रुपये की उपान्त वृद्धि के कारण है।

(3) चालू वर्ष 1966-67 में यातायात से कुल प्राप्तियों के संशोधित अनुमान को घटाकर अब 783.75 करोड़ रुपये कर देना पड़ा है जो बजट अनुमान से 11.58 करोड़ रुपये कम है। इस कमी का कारण यह है कि बजट में 120 लाख मीटरिक टन अतिरिक्त यातायात का जो

पूर्वानुमान लगाया गया था, उसके अनुरूप यातायात में वृद्धि नहीं हुई। राजस्व उपार्जक यातायात में इस वर्ष अब केवल लगभग 45 लाख से लेकर 50 लाख मीटरिक टन वृद्धि की आशा है। यह कमी मुख्य रूप से इस्पात कारखानों को जाने वाले और वहाँ से आने वाले माल, जनता के कोयले और कुछ हद तक सीमेंट और आम माल के यातायात में कमी के कारण है।

संचालन-व्यय में लगभग 27 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि अधिकांश बजट के बाद उत्पन्न कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण है जो रेलवे के नियंत्रण से परे हैं। संचालन-व्यय में आधी से अधिक वृद्धि अक्टूबर, 1966 में महंगाई भत्ते की दरें बढ़ा दिये जाने के कारण है : भत्ते की दरों में कुछ वृद्धि 1 दिसम्बर, 1965 से और कुछ 1 अगस्त, 1966 से की गयी। अप्रैल और दिसम्बर, 1966 के बीच कोयले की कीमत में पांच बार संशोधन हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रति मीटरिक टन कोयले की कीमत 1 रुपया 89 पैसे बढ़ गयी। मरम्मत और अनुरक्षण के काम आने वाले सामान की कीमतों में वृद्धि और कई राज्यों के बिजली-बोर्डों द्वारा बिजली की शुल्क-दर बढ़ा दिये जाने के कारण भी संचालन-व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। परिचालन-व्यय में भारी वृद्धि और यातायात के पूर्वानुमानों में काफी गिरावट के परिणामस्वरूप इस वर्ष भारतीय रेलों को अनुमानत: अब 15.27 करोड़ रुपये का घाटा होने की संभावना है।

चालू वर्ष का बजट पेश करते समय मेरे पूर्ववर्ती मंत्री महोदय ने कहा था कि "1966-67 में रेल यातायात के पूर्वानुमानों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि 1965-66 में प्रत्याशित 2040 लाख मीटरिक टन प्रारंभिक भाड़ा यातायात में इस वर्ष संभवत: 120 लाख मीटरिक टन तक की वृद्धि होगी।" लेकिन वास्तव में पिछले वर्ष प्रारंभिक माल यातायात केवल 2031 लाख मीटरिक टन रहा और चालू वर्ष के पहले 10 महीनों के उपलब्ध आंकड़ों से मालूम होता है कि राजस्व उपार्जक यातायात में केवल लगभग 40 लाख मीटरिक टन की वृद्धि हुई है। राजस्व उपार्जक यातायात में गिरावट अंशत: चालू वर्ष के दौरान देश की आर्थिक गतिविधियों, विशेषरूप से इस्पात के उत्पादन की धीमी गति और अंशत: कई अन्य बातों के कारण है, जैसे "बंगाल बन्द", मैसूर-महाराष्ट्र सीमा-विवाद, आंध्र प्रदेश में इस्पात कारखाने से सम्बन्धित आन्दोलन आदि नागरिक उपद्रवों के फलस्वरूप यातायात में बार-बार व्यवधान पड़ना। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सूखे, असम में भारी बाढ़ और कारोमण्डल समुद्र तट पर तूफानों के कारण भी रेल परिचालन पर गम्भीर रूप से बुरा प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ट्रक मालिकों की लम्बी हड़ताल के कारण भी कई टर्मिनल स्टेशनों पर बहुत अधिक माल इकट्ठा हो गया था। इस स्थिति में उत्पादन केन्द्रों से इन टर्मिनल स्टेशनों को माल भेजने पर पाबन्दी लगानी पड़ी। प्रारंभिक यातायात में जो गिरावट आयी है, वह इन सब बातों के सम्मिलित प्रभाव के कारण है।

विदेशों से मंगाये गये अनाज को बन्दरगाहों से देश के भीतरी भागों तक पहुँचाने का काम सन्तोषजनक रहा है। इस वर्ष 85 लाख मीटरिक टन से अधिक आयात अनाज और उर्वरक ढोया जा चुका है जबकि पिछले वर्ष के पहले 11 महीनों में केवल 60 लाख मीटरिक टन आयात अनाज ढोया गया था। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनाज, पम्पिंग सेट और अन्य आवश्यक सामान भी, जहां-कहीं उनकी जरूरत है, शीघ्रता के साथ पहुँचाये जा रहे हैं। केवल नवम्बर, 1966 और फरवरी, 1967 के बीच देश के विभिन्न भागों से लगभग $7\frac{1}{2}$

लाख मीटरिक टन अनाज बिहार भेजा गया और अक्टूबर, 1966 से फरवरी, 1967 के बीच लगभग $1\frac{1}{2}$ लाख मीटरिक टन चावल आंध्र प्रदेश से केरल पहुँचाया गया।

पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कुछ कठिन मार्गों और यानांतरण स्थलों पर यातायात की स्थिति बहुत सुगम हो गयी है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के पहले 10 महीनों में गंगा के आर-पार 19 प्रतिशत अधिक माल डिब्बे नाव से ढोये गये। रेल इंजनों के कोयले के यानान्तरण के लिए समस्तीपुर में बड़ी लाइन की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के फलस्वरूप गड़हरा यार्ड से गंगा के पार के स्टेशनों के लिए जनता को अधिक कोयला भेजा जा रहा है। शाहगंज में भी बड़ी और मीटर लाइनों के बीच माल के यानांतरण के लिए अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था की गयी है। इन सब उपायों के फलस्वरूप उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में माल भेजना सुगम हो गया है।

सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलाने की योजना में अब स्थायित्व आ गया है। इन गाड़ियों के चलने से कई महत्वपूर्ण स्थानों के बीच पारवहन समय बहुत कम हो गया है। पहले-पहल यह सेवा बम्बई-नयी दिल्ली, नयी दिल्ली-कलकत्ता, कलकत्ता-बम्बई, कलकत्ता-टाटानगर, कलकत्ता-मद्रास और मद्रास-बेंगलूरु सिटी छः मार्गों पर आरम्भ की गयी थी। अब मद्रास-बम्बई मार्ग पर भी यह सेवा आरंभ की जा रही है।

सवारी गाड़ियों की व्यवस्था से इस वर्ष कुछ और सुधार हुआ है। चालू वर्ष में कुल 69 नयी गाड़ियां चलायी गयीं, इनमें से 35 बड़ी लाइन की, 28 मीटर लाइन की और 6 छोटी लाइन की गाड़ियां हैं और इनके चलाये जाने से दैनिक गाड़ी किलोमीटर के आंकड़ों में 12,535 की वृद्धि हुई है। इन नयी गाड़ियों में से एक दैनिक जनता एक्सप्रेस है जो हवड़ा और मद्रास के बीच चलती है। इसी अवधि में वर्तमान 41 गाड़ियों का चालन-क्षेत्र भी बढ़ाया गया है : 19 बड़ी लाइन पर, 20 मीटर लाइन पर और 2 छोटी लाइन पर। इस कारण दैनिक गाड़ी किलोमीटर के आंकड़ों में 3,865 की वृद्धि हुई है। जिन गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है, उनमें अहमदाबाद-बीरमगाम जनता गाड़ी भी शामिल है जो अब बम्बई सेंट्रल तक चलायी जाती है। दिल्ली-बम्बई और दिल्ली-कलकत्ता के बीच चलने वाली लोकप्रिय वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियां अब हफ्ते में दो दिन के बजाय तीन दिन चलायी जा रही हैं। यह परिवर्तन अभी हाल में किया गया है। अगले महीने की पहली तारीख से मद्रास-हवड़ा, हवड़ा-बम्बई वी० टी० (नागपुर के रास्ते) और बम्बई वी० टी०-मद्रास के बीच भी वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी जायेंगी। वर्ष के पहले 9 महीनों में उपनगरीय खण्डों पर 83 नयी गाड़ियां चलायी गयीं जिनमें से 60 पूर्व रेलवे में, 19 पश्चिम रेलवे में और 4 दक्षिण रेलवे में हैं। इनसे दैनिक गाड़ी किलोमीटर 2628 बढ़ गया है। पश्चिम और पूर्व रेलों में बड़ी लाइन की 14 उपनगरीय गाड़ियों का चालन-क्षेत्र बढ़ा दिया गया है; इससे दैनिक गाड़ी किलोमीटर के आंकड़ों में 192 की वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर चालू वर्ष के दौरान दैनिक गाड़ी किलोमीटर के आंकड़ों में तीन प्रतिशत वृद्धि हुई है।

लम्बे सफर की कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों को डीज़ल रेल इंजन से चलाकर उनमें अधिक स्थान की व्यवस्था की गयी है। भाप रेल इंजन की अपेक्षा डीज़ल रेल इंजन अधिक डिब्बे खींचते हैं।

पिछले वर्ष के बजट-भाषण में इस बात की चर्चा की गयी थी कि बहुत सी गाड़ियों के कुल चालन-समय में कमी हुई है। इस वर्ष लगभग 250 गाड़ियों के चालन-समय में कमी की गयी है जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियां इस प्रकार हैं :—नयी दिल्ली-मद्रास सदर्न/त्रातानुकूल एक्सप्रेस : एक दिशा में इस गाड़ी के सफर में $4\frac{1}{2}$ घंटे और दूसरी दिशा में 4 घंटे की कमी हुई है। हवड़ा-अमृतसर डाक गाड़ी के समय में लगभग 2 घंटे और बम्बई और दिल्ली के बीच फ्रंटियर डाक गाड़ी के समय में लगभग 45 मिनट की कमी हुई है।

योजना आयोग और सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से समय-समय पर आंके गये यातायात की मांग को पूरा करने के लिये जितनी वहन-क्षमता जुटायी गयी थी, इस वर्ष उसका पूरा पूरा उपयोग नहीं हुआ। अतः इस वर्ष अतिरिक्त वहन-क्षमता विकसित करने के लिये आगे और पूंजीगत व्यय में बहुत काट-छांट कर दी गयी है। यह बात निर्माण और चल-स्टाक की व्यवस्था में की गयी भारी कमी से स्पष्ट है जिसकी चर्चा मैं आगे चलकर करूँगा। जहां तक राजस्व लेखे से होने वाले खर्च का सम्बन्ध है, कार्यकुशलता और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए, परिचालन-लागत में किफ़ायत बरतने के प्रयास और तेज कर दिये गये हैं। प्रशासी कार्यालयों के लिये लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती पर अगस्त, 1966 से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और यहाँ तक कि सेवा-निवृत्ति और सेवा-मुक्ति आदि के कारण खाली होने वाली जगहों पर भी नयी भर्ती नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में जो कमी हुई है, उसकी वजह से काम में कोई रुकावट न आये, इस उद्देश्य से कार्यविधि को युक्तिसंगत और सरल बनाया जा रहा है तथा अनुत्पादक कार्य समाप्त किया जा रहा है। यह भी विचार है कि धीरे-धीरे अधिकाधिक नेमी काम मशीनों से किया जाये। इससे कर्मचारियों की कुशलता बढ़ेगी और वे अधिक काम करेंगे और इस प्रकार खर्च में अधिक से अधिक किफ़ायत की जा सकेगी। बढ़ते हुए यातायात के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता यथासम्भव उन कर्मचारियों से पूरी की जायेगी जो भाप रेल इंजन के बजाय अधिकाधिक डीजल और बिजली से गाड़ी चलाने के फलस्वरूप फालतू पाये जा रहे हैं। खर्च में किफ़ायत करने के उद्देश्य से रेलवे की इमारतों का नियतकालिक अनुरक्षण कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। ईंधन की खपत पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। कार्य अध्ययन टोलियां रेल परिचालन के कुछ ऐसे पहलुओं की जाँच कर रही हैं जहाँ कार्य अध्ययन तकनीक लागू करने से प्रक्रिया और काम के ढंग में सुधार करके कार्य-कुशलता में वृद्धि और खर्च में किफ़ायत की संभावना है। अब तक जो परिणाम निकले हैं, वे बहुत उत्साहवर्द्धक हैं। इसलिए रेल परिचालन के अधिकाधिक अन्य क्षेत्रों में कार्य अध्ययन तकनीक लागू की जा रही है। आगामी वर्षों में उत्पादकता बढ़ाने और खर्च में किफ़ायत करने के उद्देश्य से ये तथा अन्य उपाय जारी रहेंगे और कार्य-कुशलता बढ़ाने और खर्च में किफ़ायत लाने के हमारे प्रयास में किसी प्रकार की ढील नहीं आने दी जायेगी।

4. अब मैं 1967-68 के बजट अनुमान की चर्चा करूँगा। यातायात से कुल 826 करोड़ प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है, जो चालू वर्ष के 783.75 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 42.25 करोड़ रुपये अधिक है। इस अनुमान में यात्री यातायात की आमदनी में लगभग 8 करोड़ रुपये और माल यातायात की आमदनी में लगभग 33 करोड़ की वृद्धि का अन्दाज़ा लगाया गया है। माल यातायात की आमदनी में वृद्धि का अनुमान इस आशा पर लगाया गया है कि अगले वर्ष प्रारम्भिक यातायात लगभग 85 लाख मीटरिक टन अधिक होगा।

5. राजस्व संचालन-व्यय में लगभग 17.4 करोड़ रुपये की वृद्धि की संभावना है। इस वृद्धि में लगभग 9 करोड़ रुपये अगले वर्ष प्रत्याशित अतिरिक्त सवारी और माल यातायात के सम्बन्ध में; लगभग $5\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये रेलवे की बढ़ती हुई परिसम्पत्तियों, विशेषरूप से चल-स्टाक, की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए और बाकी $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये कीमतों के बढ़ जाने के कारण परिचालन-लागत में वृद्धि तथा कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों, जैसे चिकित्सा-सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफ़ाई, शिक्षा और प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए हैं। इन वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में विनियोग से पहले, यातायात से शुद्ध प्राप्तियों का अनुमान, चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 25 करोड़ रुपये अधिक होने की सम्भावना है। जिन छोटे-मोटे पूँजीगत निर्माण कार्यों का खर्च राजस्व लेखे से किया जाता है, उन पर 11.25 करोड़ रुपये तक खर्च होने की सम्भावना है। 1 अप्रैल, 1957 से पहले सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों को जो अनुग्रह-पेंशन मंजूर की गयी है, उसके लिए राजस्व से पेंशन निधि में 1.4 करोड़ रुपये अधिक विनियोग किया गया है। वर्ष के दौरान लगायी गयी अतिरिक्त पूँजी पर सामान्य राजस्व को लाभांश के रूप में लगभग 9 करोड़ रुपये अधिक देने हैं। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग के लिए केवल 99 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। 1965 की रेल अभिसमय समिति ने 1967-68 के लिए 115 करोड़ रुपये की जो सिफ़ारिश की थी और जिसे संसद् ने स्वीकार किया था, उससे यह विनियोग 16 करोड़ रुपये कम है और यह उस रकम से भी एक करोड़ रुपये कम है जो चालू वर्ष में मूल्यह्रास निधि में विनियोजित की गयी है। इस कमी को यथासम्भव शीघ्र पूरा करना होगा, विशेषरूप से, इसलिये क्योंकि इस निधि से 1967-68 में 110 करोड़ रुपये, अर्थात् इस विनियोग से 11 करोड़ रुपये अधिक, खर्च होने का अनुमान है।

1967-68 के बजट के लिए संचालन-व्यय का जो अनुमान इस समय तैयार किया गया है, वह कीमतों तथा कर्मचारियों की लागत के वर्तमान स्तर के आधार पर है और आगे चलकर यदि इन दोनों मदों मे से किसी मद में कोई वृद्धि होती है, तो उसके लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है।

6. तीसरी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में विकास निधि में काम चलाने के लिए काफी रकमें रहा करती थी। लेकिन चालू वर्ष के अन्त में इस निधि में प्रायः कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसका कारण यह है कि इस निधि में केवल रेलवे बचत की रकम डाली जाती है और दो वर्षों में इस निधि से निकाली गयी रकम की अपेक्षा रेलवे बचत बहुत कम रही है और इस वर्ष कोई बचत नहीं होगी। इस समय जो बजट अनुमान पेश किया जा रहा है, उसमें 1967-68 के दौरान इस निधि से किये जाने वाले खर्च के लिए सामान्य राजस्व से लगभग 22 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का प्रस्ताव है। चूंकि यात्री-सुविधाओं, कर्मचारियों के कल्याण अथवा परिचालन-सम्बन्धी अलाभकर सुधार-कार्यों का खर्च कर्ज लेकर पूरा करना न वांछनीय है और न सम्भव, इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कर्ज यथासम्भव शीघ्र लौटा दिया जाये और विकास-कार्यों पर होने वाला खर्च रेलवे के अपने साधनों से पूरा किया जाये।

7. चालू वर्ष में निर्माण, मशीन और चल-स्टाक पर खर्च का संशोधित अनुमान लगभग 312 करोड़ रुपये (शुद्ध) रखा गया है जो 325 करोड़ रुपये (शुद्ध) के बजट से 13 करोड़ रुपये कम है। संशोधित अनुमान में यह कमी भारतीय रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव (जो लगभग

20 करोड़ रुपये आंका गया है) को खपा कर है और खर्च घटाने के लिए विभिन्न चालू निर्माण कार्यों की गति में समंजन और चल-स्टाक के उत्पादन और खरीद से भारी कटौती की गयी है । 1967-68 में निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम पर खर्च का अनुमान, इस समय, 305 करोड़ रुपये रखा गया है । लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले एक या दो वर्षों में यातायात में सामान्य वृद्धि को सम्हालने के लिए रेलों की क्षमता पर, इन कार्रवाइयों का, कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

8. संगठित रेल कर्मचारियों के दोनों संघों के साथ पूरे वर्ष सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहा । विगत जनवरी में राष्ट्रीय परिषद् (National Council) बनायी गयी है । इस परिषद् की स्थापना से हमें आशा है कि प्रशासन और कर्मचारियों के बीच समान हित के प्रश्नों पर भविष्य में निकटतर और अधिक उपयोगी परामर्श होता रहेगा ।

9. रेल कर्मचारियों ने वर्ष पर्यन्त निष्ठापूर्ण सेवा की है । वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं उनकी इस सेवा की सराहना करना चाहता हूँ । बड़ी और मीटर दोनों लाइनों पर ढके हुए माल डिब्बों की कमी थी और बन्दरगाहों की सीमित क्षमता के कारण आयात अनाज लम्बे रास्तों से ढोना पड़ा है । इन कठिनाइयों के बावजूद विदेशों से अभूतपूर्व मात्रा में मंगाया हुआ अनाज जिस ढंग से ढोया गया है, वह रेल कर्मचारियों के लिए बड़े श्रेय की बात है । मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि बाहरी और आन्तरिक आपात के समय रेलों ने सदैव जिस भावना और उत्साह का परिचय दिया है, भविष्य में भी वे उसी भावना और उत्साह से काम करती रहेंगी और जब कभी परिवहन की व्यवस्था के लिए इस प्रकार की अचानक और आकस्मिक मांग की जायेगी, तो उसे पूरा करेंगी । इस अवसर पर मैं सब रेल कर्मचारियों को इस वर्ष उनके अच्छे काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क) संशोधन विधेयक

MINERAL PRODUCTS (ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE AND CUSTOMS) AMENDMENT BILL

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूँ ।

अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT re. ORDINANCE

उप-प्रधान मन्त्री एवं वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 1966 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण

बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति, जैसा कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित है, सभा-पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये एल० टी० संख्या 13/67]

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन (विशाखापटनम) : महोदय, क्या अध्यादेश की प्रति सभा-पटल पर रखी गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि उसको परिचालित किया गया था। आप इसका पताकर लीजिये।

मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS (contd)

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा होगी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) The famine is spreading throughout the country. This Government is doing nothing to solve this problem. It is engaged in importing large quantities of foodgrains from U.S.A. We are not worried over humiliation, we are subjected to by other countries. Our Government has become habitual of depending on other countries. The State Governments of our country are also doing the same thing. Our effort should be to increase the production in our own country. Irrigation facilities should be increased. Big industrialists should be forced to manufacture machines and implements used by farmers. Habit of manual work should be inculcated. Another thing I want is that a ceiling on income and expenditure should be fixed.

I raised the issue of mink coat or the issue of diamond necklace because I know that these presents have not been given to her by his father or relation but by foreign Governments. Therefore it is all the more necessary to put a stop on their expenditure.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैं डा० राम मनोहर लोहिया को बहुत पहले से जानता हूँ। मैंने 10 वर्षों तक उनकी पार्टी में कार्य किया है। मैं उनका बहुत आदर करता था परन्तु उनके यहाँ पर व्यवहार को देखकर मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। मुझे खेद है कि वह तो एक साधारण व्यक्ति के बराबर भी नहीं हैं। डा० लोहिया ने हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री नेहरू और उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाये हैं। यह बहुत अनुचित है। श्री नेहरू इस देश के विकास के लिए जो कार्य कर गये हैं वह सदैव अमर रहेगा। इस कथन की पुष्टि विदेश के लोगों ने भी की है।

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : श्रीमान मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। राजस्थान में चुनावों में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई है। कांग्रेस को 198 स्थानों में कुल 89 स्थान प्राप्त हुए हैं जबकि अन्य दलों को 95 स्थान प्राप्त हुए हैं। पिछले दो चुनावों में अर्थात् 1952 तथा 1962 में कांग्रेस को केवल 40 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे परन्तु उस संमय प्रतिपक्ष वालों में एकता नहीं थी। इस बार सभी प्रतिपक्षी दलों ने एक संयुक्त दल बना लिया है और उनका वहाँ पर स्पष्ट बहुमत है। वहाँ के एकमात्र साम्यवादी सदस्य भी संयुक्त दल में शामिल हुए हैं। इस दल ने अपना नेता भी चुन लिया। नेता ने राज्यपाल को पत्र भेजा और माँग की

हमें मंत्रिमण्डल बनाने के लिये आमंत्रित किया जाये। राज्यपाल ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे। वे भी दे दिये गये। इसके बाद राज्यपाल ने कहा कि उन्हें कुछ निर्दलीय सदस्यों के बारे में और अधिक जानकारी की आवश्यकता है। हमने राज्यपाल को मिलकर पूरी स्थिति से अवगत किया परन्तु कॉंग्रेस पार्टी उन्हें गलत जानकारी देती रही। कांग्रेस ने उन असंतुष्ट कांग्रेसियों को भी अपने दल में शामिल कर लिया जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे। अलवर के श्री अब्दुल हाजी का उदाहरण हमारे समक्ष है। इस प्रकार कांग्रेसी अपने साथ कुछ निर्दलीय सदस्यों को मिलाने में सफल हो गये। परन्तु फिर भी बहुमत संयुक्त दल का ही रहा। कांग्रेस वालों ने हमारे एक सदस्य का अपहरण भी कराया। तीन मार्च को राज्यपाल ने अपना निर्णय देना था। हमें खेद है कि राज्यपाल ने अपना निर्णय स्थगित कर दिया और कहा कि हमारे एक सदस्य ने कोई कटु शब्द कहा है। राज्यपाल का ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। सदस्य ने केवल यही कहा कि 'मैं आशा करता हूँ कि आपका निर्णय निष्पक्ष होगा'। इसमें आपत्ति करने की कोई बात नहीं है। 3 मार्च की सायं को हमें पता चला कि निर्णय एक दिन के लिये स्थगित कर दिया गया है। हमें यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि 3 मार्च की शाम से जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह सब केन्द्रीय सरकार की मर्जी से हुआ क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से पुलिस बुलाई गई थी। इन सब बातों से भय हो गया था कि यह निर्णय लोग पसन्द नहीं करेंगे। फिर 4 मार्च को उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निमन्त्रित किया। हम जानना चाहते हैं कि यदि यही निर्णय होना था तो 4 मार्च तक विलम्ब क्यों किया गया।

हमने 4 मार्च की सायं एक सभा बुलाई। वहाँ हमने निर्णय किया कि 5 तारीख को हमारे पाँच नेता राज्यपाल से मिलेंगे। मैंने लोगों से कहा कि हमें धारा 144 का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। लोग मेरी बात मान गये और शान्त रहे। जब पुलिस ने नेताओं को गिरफ्तार किया तो जनता भड़क उठी। उन पर बिना पूर्व चेतावनी के अश्रुगैस के गोले छोड़े गये। पुलिस ने लोगों के घरों में जाकर लोगों को बाहर घसीटा। मेरे सम्बन्धियों को भी पीटा गया। बहुत से लोग जख्मी हो गये। उनके घर वालों को सूचना तक नहीं दी गई। मुझे लोगों को जेल में मिलने की आज्ञा नहीं दी गई।

इसके बाद हम यहाँ दिल्ली आये और राष्ट्रपति तथा गृहकार्य मंत्री को स्थिति से अवगत किया। उन्होंने हमारी बात सुनी और कहा कि आप विधान सभा में अपने बहुमत को सिद्ध करें। परन्तु जयपुर पहुँचने पर मुझे बहुत हैरानी हुई।

हमें यह जानकर खेद हुआ कि हमारे आने के दो घण्टे के अन्दर पुलिस ने गोली चलाई और कई निर्दोष व्यक्ति मारे गये। समूचे नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया। मैंने राष्ट्रपति, गृह-कार्य मंत्री, मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के साथ सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया परन्तु उसमें सफलता न मिली। अगले दिन मैंने प्रधान मन्त्री को टेलीफोन किया। उनका रवैया सहानुभूति-पूर्वक था।

लोग इस विचार से अपने कार्य पर जा रहे थे कि धारा 144 वापिस ले ली गई है परन्तु अकस्मात ही 3.30 बजे गोली चला दी गई। विरोधी दल पर प्रदर्शन करने का आरोप लगाया गया है। यह पूर्णतया असत्य है।

गृह-कार्य मन्त्री अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि राजस्थान में विधि तथा व्यवस्था नहीं है तथा राष्ट्रपति का शासन जारी रहेगा। हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि जब राजस्थान के

किसी भाग में धारा 144 लागू नहीं थी और राज्य में विधि तथा व्यवस्था थी तब सरकार बनाने के लिये विरोधी दल को क्यों नहीं कहा गया। हमें केन्द्रीय सरकार, राजस्थान के राज्यपाल, मुख्य सचिव तथा पुलिस के महानिरीक्षक पर कोई विश्वास नहीं रहा है।

खेद की बात है कि हमारे पक्ष के विधान सभा के एक सदस्य की मृत्यु हो गई परन्तु हम अब भी सरकार बनाने की स्थिति में हैं और हम नहीं चाहते कि काँग्रेस को और समय दिया जाये ताकि वह अपना बहुमत बनाने के प्रयोजन के लिये विधान सभा के सदस्यों को खरीदने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों का प्रयोग न करे।

मुझे अपने भाषण में उल्लिखित पत्रों तथा फोटो ग्राफों को सभापटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाये।

***अध्यक्ष महोदय** : आप उन्हें सभापटल पर रख सकती है। मैं बाद में इन पर विचार करूँगा।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : मुझे हर्ष है कि विरोधी दल आपस में मिल गये हैं। इसका श्रेय भी काँग्रेस को ही मिलना चाहिये। हम नहीं चाहते कि विरोधी दल कमजोर हो।

श्री द० स० राजू पीठासीन हुए।

SHRI D. S. RAJU *in the Chair.*

महारानी गायत्री देवी ने जो तथ्य बताये हैं, वे राजस्थान के अन्य सदस्यों द्वारा बताये गये तथ्यों से भिन्न हैं। प्रतिपक्षी सदस्य तथ्य असली रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हमने संसदीय जनतन्त्र को अपनाया है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों की व्यवस्था है। हमें उनका आदर करना चाहिये। यदि राज्यपाल ने कोई गलत निर्णय किया था तो स्थिति में सुधार करने के लिये लोकतन्त्रीय विधि अपनानी चाहिये। वास्तविकता यह है कि कुछ निर्दलीय सदस्यों ने दोनों ही दलों को उनका समर्थन करने का वचन दिया था। उन्होंने राज्यपाल को लिखकर कुछ दिया और मौखिक रूप में कुछ और बताया। इस अवस्था में राज्यपाल दुविधा में पड़ गये और यह न जान सके कि ऐसे सदस्य किस दल के समर्थक हैं। राज्यपाल को इसके लिये दोष नहीं दिया जा सकता।

यह माना जा सकता है कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श देकर गलती की परन्तु यदि वास्तव में विरोधी दल को बहुमत प्राप्त था तो वह राष्ट्रपति शासन की समाप्ति पर अपनी सरकार बना सकता है। हमें ऐसी परम्परायें बनानी चाहिये कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर उनके द्वारा गलती हो जाने पर भी, आरोप न लगाया जाये।

विधान सभा का अधिवेशन 20 मार्च को होना था परन्तु विरोधी दल के कहने पर राज्यपाल ने अधिवेशन 14 मार्च को बुला लिया। इसका कारण उनके विरोधी दल के प्रति सद्भावना ही है। वहाँ संयुक्त दल के अतिरिक्त एक "लोकतन्त्र बचाओ समिति" है। वे नहीं चाहते थे कि अधिवेशन हो। इन परिस्थितियों में राज्यपाल ने राष्ट्रपति का शासन लागू करवाना उचित समझा। मैं समझता हूँ कि उन्होंने राजस्थान की तथा देश की अच्छी सेवा की है।

---

*अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति न दिये जाने के कारण पत्र सभा-पटल पर रखा हुआ नहीं माना गया।

The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the letter was not treated as laid on the table.

श्री मनोहरन् (मद्रास उत्तर)। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से मैं श्री वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। कुछ परिस्थितियों के कारण वर्तमान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ता है। चुनाव में कांग्रेस दल शासन करने का नैतिक अधिकार खो बैठी है। तामिल नाड में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई है। जनता बधाई की पात्र है क्योंकि उसने देश की लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है।

सरकार द्वारा राजनैतिक संस्थाओं का गला घोंटने का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न लोकतन्त्र पर आघात है। राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू करना एक असंवैधानिक कार्यवाही है। यदि विपक्षी दल को सरकार बनाने का अवसर दिया जाता तो यह उचित ही होता। यह तर्क ठीक दिखाई नहीं देता कि इस राज्य में काफी अव्यवस्था है।

सत्तारूढ़ दल को सरकार के संघीय स्वरूप का पुनर्नवीकरण करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। यदि परिवर्तित परिस्थितियों के कारण राज्यों तथा केन्द्र के बीच शक्ति के पुनः बटवारे की आवश्यकता पड़े तो ऐसा करने में हिचकचाना नहीं चाहिये। आज आवश्यकता न तो पूर्ण स्वतन्त्रता की है और न ही पूर्ण निर्भरता की। अब उचित समय है कि सरकार इस दिशा में कार्यवाही करे। राज्यों में विभिन्न दलों द्वारा बनाई गई सरकारों की बात को देखते हुए यह आवश्यक है कि एक सहकारी संघवाद की रचना की जाये।

भारतीय संघवाद में संघ इतना शक्तिशाली है कि यह लगभग एकात्मक राज्य हो जाता है। भारत का संविधान देखने में तो संघवाद है परन्तु वास्तव में एकात्मक है। संघ सरकार को राज्य अपने पर निर्भर नहीं बनाने चाहिये। यदि केन्द्रीय सरकार का रवैया यह है कि यदि राज्य सरकारों को सहायता दी गई तो वे अच्छा कार्य करने लगेंगी और उन राज्यों में कांग्रेस सफल नहीं हो सकेगी तो मैं उसे यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह स्पष्ट बातें नहीं देख पा रही है। कांग्रेस का बहुमत कम होने का यही कारण है।

भाषा के सम्बन्ध में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के आश्वासनों को पूरा किया जाना चाहिये। उन्हें कानूनी रूप दिया जाना चाहिये। पहले भी आश्वासन दिया गया था परन्तु उसे पूरा नहीं किया गया। मैं अपने विचार अँग्रेजी में ठीक तरह व्यक्त नहीं कर सकता। हमें तामिल में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये।

उदाहरण के लिये मैं श्री अ० क० गोपालन के बारे में कहूँगा वह मलयालम के एक अच्छे वक्ता हैं परन्तु उन्हें यहां पर अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। यहाँ पर यदि कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में बोलना चाहे तो पहले उसे अपने भाषण की प्रति हिन्दी अथवा अँग्रेजी भाषा में देनी होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। हमें अपनी भाषा में भाषण देने की सुविधा होनी चाहिये। मेरे दल के कुछ सदस्य अँग्रेजी नहीं जानते। खेद की बात है कि वे हिन्दी भी नहीं जानते। उन्हें अपनी भाषा में भाषण देने की अनुमति दी जानी चाहिये। अतः मेरा निवेदन है देश की सभी की सभी 14 भाषाओं में बोलने की यहाँ पर अनुमति होनी चाहिये।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : यह अविश्वास का प्रस्ताव बहुत जल्दबाजी से लाया गया है। यह उचित नहीं है। राजस्थान की स्थिति अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आयी। यदि प्रतिपक्ष वालों का वहां बहुमत है तो हम उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। मुझे प्रसन्नता है राजा लोग एकत्र होकर प्रतिपक्ष के लिये कार्य कर रहे हैं। मुझे कांग्रेस दल में कार्य करने का

अनुभव है । यही पार्टी देश को प्रगति की ओर ले जा सकती है । प्रतिपक्ष वाले तो केवल सत्ता के भूखे हैं । कांग्रेस पार्टी लोकतन्त्रात्मक तरीकों में विश्वास रखती है और प्रतिपक्ष वालों की जीत का श्रेय कांग्रेस को ही है । हमें लोकतन्त्रात्मक पद्धति की रक्षा करनी है । मद्रास, केरल तथा कई अन्य राज्यों में कांग्रेस ने सत्ता खोई है परन्तु यह लोकतन्त्रात्मक ढंग से हुआ है । इसलिये हमें कोई चिन्ता नहीं है । यदि इस ढंग से राजस्थान में कांग्रेस सत्ता खोती है तो कोई बात नहीं । कांग्रेस पार्टी देश में लोकतन्त्र को पनपते देखना चाहती है । मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस वाले विरोधियों की बातों से उत्तेजित न हों । हमारे देश में एक शक्तिशाली प्रतिपक्ष की बहुत आवश्यकता है । यदि ऐसा कोई दल बन जाये तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी ।

राजस्थान में जो लोग मरे हैं उनसे हमें पूरी सहानुभूति है । मैं चाहता हूँ कि मृतकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता दी जाये । वहां की घटनाओं पर हमें बहुत दुःख हुआ है । हमें सत्ता हथियाने के लिये भागना नहीं चाहिये । सेवा करना हमारा ध्येय होना चाहिये । हमें अपने देश की निर्धन जनता की सेवा करनी चाहिये । हमें गन्दी गलियों की स्वयं सफाई करनी चाहिये । मैं इस प्रकार का कार्य करने को तैयार हूँ । मैं शोर मचाने या चिल्लाने को उचित नहीं समझता । हमें एक दूसरे के साथ भाईयों जैसा व्यवहार करना चाहिये । हमें देश की खुशहाली के लिये मिलजुल कर काम करना चाहिये । कांग्रेस वालों को भी देश में स्वच्छ शासन के लिये प्रयत्न करना चाहिये और भ्रष्ट तत्वों को समाप्त की कोशिश करनी चाहिये । खेद की बात है कि उन्होंने अपनी सम्पत्ति आदि ब्यौरा नहीं दिया है । मैंने नियमित रूप से अपनी सम्पत्ति तथा बैंक खाते का ब्यौरा पार्टी को भेजा है । हमें सता के भागना नहीं चाहिये । मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को उचित नहीं समझता अतः इसका विरोध करता हूँ ।

श्री श्रीपद अमृत डांगे (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : मैं कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से श्री वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किये गये अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । यह ठीक है कि इस सरकार को बने अभी केवल 5 या 6 दिन हुए हैं परन्तु कांग्रेस दल पहले से सत्तारूढ़ चला आ रहा है । सरकार ने देश के समक्ष समस्याओं का समाधान नहीं किया है और इसके विपरीत देश की जनता पर गोली चलायी है और लोगों को बन्दी बनाया है । इस प्रकार लोगों की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता ।

प्रतिपक्ष वालों ने लोकतन्त्रात्मक ढंग से इसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करके इसे हटाने का प्रयत्न किया है ताकि एक लोकतन्त्रात्मक सरकार स्थापित की जा सके । कांग्रेस वालों को आशंका भी नहीं थी कि चुनावों में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी । आज देश का बहुमत इनके विरुद्ध है । यदि हमारे देश में अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रचलित होती तो आज कांग्रेस का यहां पर बहुमत नहीं होता । यह तथ्य सर्वविदित है कि कांग्रेस को देश के मतदाताओं का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिये हमारी ओर से यह अविश्वास प्रस्ताव तर्कसंगत है ।

सरकार ने शप्थ लेते ही पांच घण्टों के बीच राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया । क्या ऐसा करने से उन्होंने देश की किसी समस्या का समाधान किया है । क्या राजस्थान में ऐसी गम्भीर स्थिति खड़ी हो गई थी ? हमारे देश में कई स्थानों पर गड़बड़ हो जाती है परन्तु इस कारण राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं किया जाता । उत्तरप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण स्थिति बहुत बिगड़ गई थी परन्तु वहाँ राष्ट्रपति राज लागू नहीं किया गया

था। बिहार में अकाल फैला और वहाँ स्थिति बहुत बिगड़ गई थी परन्तु वहाँ राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं किया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में इसे लागू करने के क्या विशेष कारण थे। क्या यह काँग्रेस को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिये किया गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का शासन समाप्त होने वाला था परन्तु काँग्रेस पार्टी ने कुछ निदर्लीय लोगों को साथ मिला लिया। यदि उत्तर प्रदेश में काँग्रेस का शासन समाप्त हो जाये तो काँग्रेस की देश समाप्ति हो जायेगी।

आपात कालीन स्थिति को यह तीन महीनों के बाद समाप्त करेंगे परन्तु राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन तो इन्होंने अपने पद ग्रहण करने के छः घंटे बाद लागू कर दिया। मैं सभा को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस देश की जनता उन लोगों को बर्दाशत नहीं करेगी जो अपने वायदों को पूरा नहीं करते। हम चाहते हैं कि संकट कालीन स्थिति पूरे देश में समाप्त होनी चाहिये। यह एक अनुचित बात है कि आज भी देश में भूतपूर्व महाराजाओं को विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

हम राजाओं और महाराजाओं के विरुद्ध हैं परन्तु कांग्रेस दल उनका समर्थन करता रहा है। उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हैं। महारावल लक्ष्मण सिंह को तो पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि उसके लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी अनिवार्य थी परन्तु अन्य कृषकों, श्रमिकों, मध्य वर्ग के लोगों तथा व्यापारियों को कारावास में रखा गया।

मंत्रि परिषद् ने जो सबसे पहला कार्य किया है, वह लोकतन्त्र पर आघात है। इसलिए, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। यह कहा गया है कि मंत्रि-परिषद को कार्य करने का अवसर नहीं दिया गया है परन्तु अब भी कांग्रेस दल के नेता वही हैं जो पहले थे। अवमूल्यन तथा खाद्य समस्या के लिए कौन जिम्मेवार है। चुनाव से पहले भू-राजस्व समाप्त किये जाने की बातें की जाने लगी हैं परन्तु इस बारे में पहले विचार क्यों नहीं किया गया।

प्रधान मन्त्री के प्रसारण भाषण में श्रमिकों, कृषकों, एकाधिकार वाले बैंकों तथा नई नीति का कोई वर्णन नहीं। वित्त मंत्रालय के प्रभारी उप-प्रधान मन्त्री की पिछली नीतियों को हम भूल नहीं सकते। वह पहले भी असफल रहे हैं और अब भी असफल रहेंगे। हमें गृह-कार्य मन्त्री पर भी कोई विश्वास नहीं हो सकता। इसी प्रकार पैट्रोलियम तथा उर्वरक के प्रभारी मन्त्री श्री अशोक मेहता पर भी हमें कोई विश्वास नहीं है।

यह बात बिलकुल गलत है कि मेरा दल सत्ता प्राप्त करने का इच्छुक है। वास्तविकता यह है कि काँग्रेस सत्ता से चिपके रहना चाहती है जबकि सत्ता उसके पास नहीं रह गई है। काँग्रेस द्वारा पिछले 19 वर्ष के दौरान बनाया गया यह विचित्र ढांचा तोड़ना होगा और ऐसा ढांचा बनाना होगा जिसमें कृषक तथा श्रमिक भी रह सकें।

नये मंत्रि परिषद् से यह आशा थी कि वे लोकहित के लिए कुछ विभिन्न प्रकार की कार्य-वाहियां करेंगी परन्तु उनकी अतीत से चली आ रही नीतियों तथा परम्पराओं के आधार पर किसी प्रकार के भी क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं लाये जा सकते।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : कुछ सदस्यों ने भाषण अविश्वास प्रस्ताव के विशिष्ट मामले अर्थात् राजस्थान की समस्या तक सीमित रखा है। कुछ अन्य सदस्यों ने और व्यापक मामले लिये हैं। मैं आरम्भ में राजस्थान के मामले को ही लूँगा। इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू करना उचित नहीं है।

निस्संदेह यह बात तो अच्छी नहीं है परन्तु वास्तविकता यह है कि इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था।

एक सदस्य ने यह कहा है कि चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के बाद राष्ट्रपति ने इतने दिन तक प्रतीक्षा क्यों की। राज्यपाल को तब तक प्रतीक्षा करनी ही थी क्योंकि उसी दिन ही पहली विधान सभा का विघटन होना था। सरकार बनाने का कार्य उससे पूर्व आरम्भ नहीं किया जा सकता था।

चुनाव के परिणामों को देखने से मालूम होता है कि किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। कुछ लोगों ने इसे कांग्रेस की हार बताया है, परन्तु इस तर्क को माना नहीं जा सकता क्योंकि प्रत्येक दूसरे दल इससे भी बुरी तरह पराजित हुए हैं। यह तर्क भी गलत है कि निर्दलीय सदस्यों ने कांग्रेस को हराया। उन्होंने जनसंघ तथा स्वतन्त्र दल को भी हराया। चुनाव के बाद की स्थिति यह थी कि एक दल के 89 सदस्य निर्वाचित हुए तथा दूसरे दलों के कुल मिलाकर 80 सदस्य निर्वाचित हुए।

ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल ने स्वविवेक से काम लेकर अपना यह विचार प्रकट किया कि किसी भी दल के सदस्यों को गिनते हुए वह निर्दलीय सदस्यों को उस दल का भाग नहीं मानेंगे। ऐसी स्थिति में राज्यपाल यही कर सकते थे कि सब से बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए कहें।

यह सम्भव हो सकता है कि वह निर्णय गलत हो। परन्तु यदि गलत व्यक्ति की सरकार बुलाने के लिए कहा गया है तो उसे विधान सभा के सामने तो आना ही पड़ेगा और यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसका बहुमत है।

राज्यपाल के इस निर्णय के तुरन्त बाद विरोधी दल आंदोलन शुरू करने के लिए मिल गये और उन्होंने संघर्ष समिति स्थापित की। इससे जयपुर नगर की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। ऐसा वातावरण बना दिया गया कि विधान मण्डल की शान्तिपूर्ण बैठक बुलाना सम्भव नहीं था तथा कोई भी जिम्मेवार सरकार काम करने में असमर्थ होती।

इस अविश्वास प्रस्ताव द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि हम उत्तरदायी सरकार को समाप्त करना चाहते हैं। हमने राजस्थान में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किये हैं।

महारानी गायत्री देवी इस सम्बन्ध में मुझे मिली थीं। मैंने उन्हें बताया कि राजस्थान सरकार विधान सभा के अधिवेशन की तिथि 21 मार्च की बजाय 14 मार्च करने के लिए सहमत हो गई है। श्रीमती गायत्री देवी के सुझाव पर और मेरे कहने पर राजस्थान के मुख्य मंत्री ने धारा 144 हटाना भी मान लिया था। इसके बाद की घटनाओं के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उनके बारे में न्यायिक जांच हो रही है।

राजस्थान में कुछ विरोधी नेताओं ने प्रदर्शन आदि की तैयारियां शुरू कीं। इन परिस्थितियों को देखकर श्री सुखाडिया ने राज्यपाल को लिखा कि यद्यपि बहुमत उनके साथ है तथापि वह सरकार बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते।

इन परिस्थितियों को देखते हुए राज्यपाल ने यह अनुभव किया कि विरोधी दल को सरकार बनाने के लिए बुलाना हिंसा को प्रोत्साहन देना है। इसलिए तब तक के लिए विधान सभा को

स्थगित करने का निश्चय किया गया कि विधान सभा का विघटन अथवा निलम्बन कर दिया जाये। हम चाहते हैं कि राजस्थान में ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जायें कि वहाँ उत्तरदायी सरकार स्थापित की जा सके। यह उद्घोषणा अन्तरिम अवधि के लिए है। राज्यपाल पर आक्षेप करना लोकतन्त्रीय सरकार की स्थापना के हित में नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : May I know which party is in majority there in the view of Hon'ble Minister ? Whether it is not a fact that when he was standing beside President, there were 93 members physically present ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस प्रकार के सवालों के लिए तैयार नहीं। (**व्यवधान**) इस अविश्वास प्रस्ताव का आधार बिल्कुल गलत है। यह एक असाधारण निश्चय है परन्तु राजस्थान में प्रजातन्त्र बनाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ा। हम यह चाहते हैं कि वहां शीघ्र से शीघ्र जनता का अपना शासन हो जाय। सभा में दिए गए भाषणों से पता चलता है कि किन्हीं राजनीतिक उद्देश्यों से यह अविश्वास प्रस्ताव सभा के सामने रखा गया है। कुछ अन्य सदस्य राजस्थान के विषय से हट कर, इधर-उधर की दलीलें देकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। चुनाव परिणामों को देखते हुए हम यह सोच ही नहीं सकते थे कि देश में हमारा एकाधिकार होगा। कांग्रेस दल देश को इस प्रकार के चुनाव तथा संविधान देकर गर्व का अनुभव करता है। कुछ स्थानों पर कांग्रेस हार गई है और कुछ राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें बन गई हैं। हमारा उद्देश्य जनता की सेवा करना है और यही उद्देश्य विरोधी दलों का भी होना चाहिए। चाहे कोई दल शासन चलाए परन्तु हमारा उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति होना चाहिए। श्री डांगे ने कहा कि किसी चाल के कारण राजस्थान में मैं किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन करता हूँ, यह बात उचित नहीं। हमें सही ढंग से समस्या को समझना चाहिए। श्री डांगे ने मुझे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बताया। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने मुझे इस पद से हटाने का कोई सूत्र नहीं निकाला। मैं तो जनता का एक सेवक हूँ। मेरा काम अपने नेता का अनुकरण करना है। मैं प्रजातंत्र और देश की उन्नति में विश्वास रखता हूँ। हमारी सरकार का एक अपना दर्शन है और कठिन समय में हम उसी का सहारा लेते हैं।

मैंने डा० राम मनोहर लोहिया के भाषण को बड़े दुःख के साथ सुना। मैं उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। सन् 1940 और 1942 में हम ऐसे नेताओं की पूजा करते थे। जब उन्होंने कहा कि एक बड़ा किला ढह रहा है तो मुझे बहुत दुःख हुआ। उन्हें कांग्रेस की हार पर बड़ी प्रसन्नता हुई। यदि आप कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। परन्तु उसका स्थान कौन ग्रहण करेगा। क्या आप संयुक्त दल बनायेंगे ? इससे देश के भविष्य का निर्माण कैसे होगा। आप एक चीज को समाप्त करने में लगे हुए हैं परन्तु पुनर्रचना का कोई प्रयास नहीं हो रहा। यही बात डा० लोहिया के भाषण में थी। उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू के खाते की बात चलाई जो बिल्कुल गलत थी। इस विषय में मैं एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ कि लन्डन में सन् 1936 से पण्डित जी का अपने प्रकाशक और साहित्यिक एजन्ट के पास खाता चलता है। विदेशी प्रकाशकों से उनको जितनी रायलटी मिलती है वह इसी खाते में जमा होती है। वर्ष 1947 में पंडित जी के खाते में 3,864.1 पौंड थे और तब से जितना और धन इस खाते में आया, वह सब भारत में आता रहा है। इस धनराशि में से पंडित जी को जितनी आवश्यकता पड़ती थी, वह मंगवा लेते थे। विदेशी मुद्रा के नियम 1947 के बाद लागू हुए हैं।

पंडित जवाहर लाल नेहरू हमारे देश के प्रधान मंत्री अथवा नेता ही नहीं थे, वह इसके साथ कुछ और भी थे । वह समस्त मानवजाति के नेता थे और संसार भर के माने हुए विचारक भी थे । करोड़ों लोग उनकी पुस्तकों तथा भाषणों का अध्ययन करने के लिए उत्सुक रहते थे । उनके प्रकाशक के पास कुछ धनराशि होना स्वाभाविक ही है परन्तु उस पर विदेशी मुद्रा के सभी विनियम लागू होते हैं । यह सब बातें मैं इस लिए कह रहा हूँ कि महान् व्यक्तियों के विषय में आक्षेप करना उचित नहीं जिनसे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगे ।

राजनीतिक चर्चा के समय हम एक दूसरे दल की नीतियों का विरोध कर सकते हैं । परन्तु व्यक्तिगत आक्षेप लगाना अनुचित है । कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों पर आक्षेप लगाए और वे निर्वाचन में हार गए । ऐसी बातें करने से गड़बड़ी का वातावरण बनता है और इससे जनता को सही दिशा का ज्ञान नहीं रहता । मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम अपने दिए गए वचनों को पूरा करेंगे । जिस दल का बहुमत होगा, हम उसका समर्थन करेंगे और अपना रचनात्मक सहयोग देंगे ।

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : राजस्थान के बारे में आपने क्या कहा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने पहले ही कह दिया है कि आप इस सरकार के साथ सहयोग करें और राज्यपाल राजस्थान में सामान्य वातावरण का निर्माण करेंगे ।

श्रीमती गायत्री देवी : जब 13 मार्च को श्री मोहन लाल सुखाडिया ने राज्यपाल को कहा था कि चाहे उनके दल का बहुमत है, वह राजस्थान में सरकार नहीं बनाना चाहते, तब राज्यपाल ने संयुक्त दल के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण क्यों नहीं दिया जबकि उनका स्पष्ट बहुमत भी था । ऐसा करने की बजाय उन्होंने राष्ट्रपति शासन क्यों लागू कर दिया जो बड़ी भारी ज्यादती है ?

मैंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है । मैं अब सभा से प्रार्थना करता हूँ कि इस अविश्वास प्रस्ताव को, जो गलत आधार पर यहां प्रस्तुत किया गया है, अस्वीकार कर दे ।

श्री पी० रामामूर्ति (मदुरै) : माननीय गृह-मन्त्री का सारा भाषण सुन कर भी मेरी यह धारणा है कि राजस्थान में जो स्थिति पैदा हुई है वह केन्द्रीय सरकार, कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान के राज्यपाल में हुई साजश का फल है । गृह-मन्त्री ने अपनी कार्यवाही सही बताने के लिए कुछ आवश्यक तथ्यों को छुपाया है । मैंने कल श्री शान्ति लाल शाह की बड़ी-बड़ी बातें सुनी कि कोई सदस्य जब किसी दल के टिकट पर या निर्दलीय रूप में चुनाव में जीत जाता है तो उसे अन्य दलों में शामिल नहीं होना चाहिए । मैं यह बताना चाहता हूँ कि 1952 से लेकर कांग्रेस दल यही काम करता रहा है । वर्ष 1952 में मद्रास में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था और उन्होंने कामनवील तथा टायलरस दलों को कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया था । श्री शान्ति लाल शाह तब से कांग्रेस दल के सदस्य हैं । परन्तु यह काम उन्हें अनैतिक प्रतीत नहीं हुआ । राजस्थान में भी इसी प्रकार की सौदेबाजी चलती रही है । 2 मार्च को श्री सुखाडिया ने कहा कि उनका बहुमत नहीं है और विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया जायगा । परन्तु जब कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज का इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ तो राज्यपाल ने देश में स्थिरता की खातिर कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाने का निश्चय किया । यह निश्चय ही पक्षपात पूर्ण रवैया है । राज्यपाल ने निर्दलीय सदस्यों को गिनने से इन्कार कर दिया । उनका सामर्थ्य होता तो वह निर्दलीय

सदस्यों को विधान सभा में वोट देने के अधिकार से भी वंचित कर देते। उनकी कार्यवाही श्री कामराज के आदेश नुसार है।

केन्द्रीय सरकार को जब यह ज्ञान हुआ कि श्री सुखाड़िया का वास्तविक रूप में बहुमत नहीं है तो कानून और व्यवस्था के नाम पर राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जो दूसरे शब्दों में कांग्रेस दल का ही शासन है। अब तो जब श्री सुखाडिया को बहुमत का विश्वास हो जायगा, कानून और व्यवस्था के सामान्य होने की घोषणा कर दी जायगी। राज्यों में कई बार राजस्थान की स्थिति से भी गम्भीर स्थिति पैदा हुई है, कई बार सेना भी बुलाई गई परन्तु वहां राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं किया गया। ये सब बातें कांग्रेस दल की सुविधा पर निर्भर करती है। बहुमत दल के नाम पर कांग्रेस ने 1952 में मद्रास में तथा 1965 में केरल में यही काम किया। क्या कांग्रेस दल में उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करने की भावना समाप्त हो गई है? कांग्रेस दल के दर्शन, कार्यक्रमों, गतिविधियों का जनता ने अस्वीकार कर दिया है।

श्री खाडिलकर (खेड) : जनता ने हमें निश्चित बहुमत प्रदान किया है।

श्री पी० रामामूर्ति : आपको 39 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। यह भी तब मिले जब आपने प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता ली। क्या जिला कलक्टर विरोधी दलों के लिए भी सभाएँ बुलाने में सहायता करेंगे? त्रिपुरा में छः महीने तक कोई धन खर्च नहीं किया गया परन्तु बाद में विधान सभा के सदस्यों के सुझाव पर वह सब रुपया एकदम खर्च कर दिया ताकि वे सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकें। (**व्यवधान**) आप इन तथ्यों की जाँच करवा सकते हैं।

चुनावों में कितनी गुण्डागर्दी हुई है और कितने लोगों की जानें गई हैं। कांग्रेस दल के गुण्डों ने कम्युनिष्ट दल की सभाओं में गड़बड़ी की (**व्यवधान**)

इसके अतिरिक्त धन का प्रश्न है। काँग्रेस दल को बड़े-बड़े व्यापारियों, तथा चोरबाजारी से कितना धन मिला जिससे चुनावों का संचालन किया गया। काश्मीर में नामाँकन पत्रों को किस प्रकार अवैध घोषित किया गया। इस पर भी आप प्रजातन्त्र और निष्पक्ष चुनावों का दावा करते हैं।

यदि आप चुनावों में इस प्रकार के धन का प्रयोग न करें, सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग न करें, मतदाताओं को डराना धमकाना बन्द कर दें, जाति और समुदाय के नाम पर चुनाव न लड़ें, तो मुझे विश्वास है कि आप का बहुमत अल्पमत में परिवर्तित हो जायगा। हमें यहां तक उप-प्रधान मंत्री से पता चला है कि प्रधान मंत्री के चुनाव में बड़े व्यापारियों का हाथ है।

हमसे कहा जाता है कि राज्यपाल का निर्णय हमें मानना चाहिए। यदि ऐसा है तो केन्द्रीय सरकार किस लिए है। परन्तु इस मामले में तो केन्द्रीय सरकार का भी हाथ है। इसलिए मैं अपने दल की ओर से इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : जब श्री बाजपेयी ने अविश्वास प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा था तब तो मेरा विचार था कि हमें कुछ देर और प्रतीक्षा कर लेनी चाहिये थी। परन्तु गृह-मन्त्री के भाषण के पश्चात् अब मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि यह प्रस्ताव सत्र के पहले दिन ठीक ही प्रस्तुत किया गया है।

कांग्रेस पार्टी बहुत लम्बे समय से सत्ताधारी चली आ रही है इसलिए इन्होंने संविधान की धाराओं से अनुचित लाभ उठाना आरंभ कर दिया है। इसने हाल के चुनाव से सबक नहीं सीखा। लोगों ने इस पार्टी की नीतियों के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है। जहाँ भी इन्होंने सरकार

बनायी है वहां पर लोगों का बहुमत इनके साथ नहीं है । हरियाणा तथा पाण्डिचेरी में जो कुछ हो रहा है उसकी यहां भी पुर्नवृति हो जाये तो बड़ी बात नहीं । इस दल की संविधान का उल्लंघन करने की आदत हो गई है । यह लूट का माल आपस में ही बाँट लेते हैं । जब यह लूट का माल मिलना बन्द होगा तो पार्टी समाप्त हो जायेगी ।

राजस्थान के बारे में गृहकार्य मन्त्री ने वहां की नाजुक स्थिति पर प्रकाश डाला है । मेरा विश्वास है कि जो कुछ वहां हुआ केन्द्रीय सरकार को उसकी जानकारी थी । राज्यपाल ने अपनी ओर से कुछ नही किया । डा० सम्पूर्णानन्द में इसके करने का साहस है । संविधान में यह व्यवस्था कहाँ है कि राष्ट्रपति और केन्द्रीय सरकार के लिये राज्यपाल की रिपोर्ट अन्तिम होगी । अनुच्छेद 356 में स्पष्ट व्यवस्था है कि यदि स्थिति इस प्रकार की बन जाये कि राज्य में विधि और व्यवस्था को खतरा होने की संभावना हो और राष्ट्रपति राज्यपाल की स्थिति से सन्तुष्ट हो तो वहां राष्ट्रपति का शासन लागू हो सकता है । धाँधली नहीं चल सकती । हमारे यहाँ संविधानिक सरकार है । क्या राज्यपाल ने इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दी थी कि वह विधान सभा को भंग करना चाहते हैं । राज्यपाल ने जो कुछ किया वह उनके गलत निर्णय का परिणाम था ।

दो सिद्धान्त एक साथ लागू नहीं किये जा सकते । संवैधानिक व्यवस्था यह है कि जिस व्यक्ति के साथ बहुमत हो उसे सरकार बनाने का निमन्त्रण मिलना चाहिये । हम केवल परम्पराओं पर आधारित नहीं हैं । हमारा लिखित संविधान है । आप उसमें से अपने ही पक्ष की बात निकालें तो यह उचित नहीं है । उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने सारी स्थिति को देखकर ही कांग्रेस वालों को सरकार बनाने के लिए बुलाया । इस बारे में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या राज्यपाल को कानूनी मश्विरा दिया गया था । मेरा यह निवेदन है कि संविधान का गलत निवर्चन नहीं किया जाना चाहिये बल्कि संविधान का संशोधन होना चाहिये । संविधान में यह व्यवस्था तो होनी ही चाहिये जिससे लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति तो कर सकें । यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो संविधान में कोई कमी है । यह केवल एक या दूसरे राज्य का प्रश्न नहीं । यह देश की स्थिति का सामना करने की बात है । हो सकता है कि अगले चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो जाये । कहीं भी उसका बहुमत न हो । अतः इस बारे में संविधान में बड़ी स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिये ।

मैं गृह-कार्य मन्त्री से यह पूछना चाहता हूँ । कि वह सारे मामले को स्पष्ट करने के लिये विधान सभा का अधिवेशन क्यों नहीं बुला लेते । उससे पता चल जायेगा कि श्री सुखाड़िया की स्थिति क्या है । बात यह है कि समय प्राप्त करने के लिये राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है । एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हर पाँच साल के बाद चुनाव लड़े जाते हैं और कोई भी विधायक यह नहीं चाहता कि संसद अथवा विधान सभा भंग कर दी जाये । मगर हमारी सरकार सन्देहात्मक स्थिति बनाये रखना चाहती है । कुछ विधायकों को तोड़ा जायेगा और फिर श्री सुखाड़िया कहेंगे कि अब मैं सरकार बनाने के समर्थ हूँ । इस प्रकार हमारे महानुभाव लोकतन्त्र की हत्या कर रहे हैं । पर देश में लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हो चुकी और उनकी नींव बहुत ठोस है । चुनावों के परिणाम बड़े स्पष्ट हैं । जिससे पता चलता है कि इस देश में संवैधानिक ंग से क्रान्ति की जा सकती है । यह हमारे देश और जनता की महान् सफलता है जिसका हमें आदर करना होगा ।

मेरा निवेदन यह है कि यदि हमारी केन्द्रीय सरकार की दृष्टि में संविधान का कोई आदर और वह शान्तिमय वातावरण चाहते हैं तो उन्हें अपनी भूल स्वीकार करनी चाहिये और इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये । मुझे विश्वास है कि श्रीमती गांधी अपने उत्तर में इस भूल को स्वीकार

करेंगी और इस प्रकार एक नई परम्परा का निर्माण करेंगी। यदि वह ऐसा कर दे तो हम इस प्रस्ताव पर जोर नहीं देंगे।

मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि सरकार शीघ्र ही इस उद्घोषणा को समाप्त करने वाली है। वह 15 अप्रैल तक प्रतीक्षा करने का विचार रखती है जबकि डा० सम्पूर्णानन्द अपने पद से रिटायर हो जायेंगे। सरकार उन्हें अपमानित होने से बचाना चाहती है। यदि ऐसा न होता तो सरकार किसी समय भी ठीक कार्यवाही कर सकती थी। मैं फिर कहता हूँ कि यदि प्रधान मन्त्री अपनी भूल स्वीकार करें तो वहाँ स्थिति को सुधारा जा सकता है।

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं समझती हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव के लाये जाने की संख्या के बढ़ जाने से इन प्रस्तावों का प्रभाव कम हो जायेगा। विभिन्न दलों ने अपने विचार यहाँ प्रकट किये है। उनकी विचारधाराओं में बहुत भिन्नता है। काँग्रेस पार्टी पर आक्षेप भी किये गये हैं। परन्तु काँग्रेस पार्टी ने देश में ऐसी परम्पराएँ स्थापित की हैं कि आज देश के अनेक राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनी हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हम सत्ता असंविधानिक ढंग से अपने हाथ में नहीं रखना चाहते। हमारे देश में संविधान पर ठीक ढंग से अमल होने दिया जा रहा है जबकि कई अन्य देशों में सरकारें इस प्रकार कार्य नहीं करती हैं।

राजस्थान के बारे मे बहुत से माननीय सदस्यों ने संवैधानिक स्थिति का उल्लेख किया है और स्पष्ट दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है। अतः मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहूँगी।

हम समझते हैं कि हमारे देश में एकदम कोई परिवर्तन आ गया है। हम भूल जाते हैं कि चुनाव से पहले भी परिवर्तन का आभास होने लगा था। यह लोकतन्त्र के चिह्न हैं। हमने स्वयं इसको बढ़ावा दिया है। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। हमने प्रयत्न किया है कि इसमें लोकतन्त्र पनपे। इसी के फलस्वरूप आज की नई स्थिति उत्पन्न हुई है।

सबसे पहला काम मैंने यह किया है कि मैंने गैर-कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों को अपने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है और उन्होंने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं। हमें एक दूसरे के सहयोग से देश की आर्थिक तथा खाद्यान्नों सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना है। हमें अनुचित आलोचना नहीं करनी चाहिये।

हम चाहते थे कि राजस्थान में भी अन्य राज्यों की तरह शान्तिमय ढंग से सरकार बनती परन्तु वहां अहिंसात्मक घटनाएँ होने के कारण स्थिति असामान्य हो गई। हमें जयपुर की सड़कों पर निर्णय नहीं करने हैं और स्थिति को और बिगड़ने से रोकना है।

राज्यपाल ने सारे विषय की अदालती जांच का आदेश दिया है। उसके बाद तथ्य का पता चल जायेगा। इस समय पुलिस पर आरोप लगाना उचित नहीं है। जयपुर में जनहानि पर मुझे बहुत दुःख हुआ है। वहाँ जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके परिवारों के प्रति मैं अपना संवेदन तथा सहानुभूति व्यक्त करती हूँ। राजस्थान की घटनाओं से हमें बहुत चिन्ता हुई है। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। यह आरोप लगाया गया है कि मेरी सभाओं के आयोजन में सरकारी मशीनरी तथा धन का प्रयोग किया गया है। मैं इसका खण्डन करती हूँ। हां, सुरक्षा के लिये नियमों के अनुसार सरकारी मशीनरी की व्यवस्था की जाती है। हमारे देश के 6 राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनी है। इनमें कुछ राज्यों में कांग्रेस की हार नहीं हुई है। इन राज्यों में हम जिम्मेदार प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करेंगे। राजस्थान में शीघ्र ही जिम्मेदार सरकार बनेगी। ऐसी हमें आशा है। हमें लोकतन्त्र में सच्ची निष्ठा रखनी चाहिये। हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में सहायता करनी

चाहिये कि जिसमें राष्ट्रपति का शासन समाप्त करने में सहायता हो। अब हमारे सब दलों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्योंकि एक दल यहां पर प्रतिपक्ष में है तो किसी राज्य में वह सत्तारूढ़ भी हो सकता है। इसलिये अब सभी दलों की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

मैं यहां यह भी कहना चाहती हूँ कि श्री बलराज मधोक ने राजस्थान में राष्ट्रपति के राज की मांग भी की थी।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : यह अच्छा है कि आपने इसका उल्लेख किया है। जब हमें राजस्थान से कर्फ्यू के समाचार मिले और पता चला कि वहां प्रतिपक्ष वालों को एक प्रकार से बन्दी बना दिया गया है और कांग्रेस वाले अर्थात् श्री सुखाड़िया और उनके साथी स्वतन्त्रता से घूम रहे हैं उस समय हमने मांग की कर्फ्यू हटा दिया या राष्ट्रपति का राज लागू किया जाये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम इन आरोपों की जाँच करवाने के बारे में सोच रहे हैं।

Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : I amgreateful to all the members who have spoken for and against this motion. Some members have asked whether Rajasthan was a fit case for no-confidence motion. In this connection I may say that in our opinion Rajasthan is a test case in which we would like to know whether the Central Government stand for justice, impartiality and whether it will co-operate with the non-congress Ministries in various States. There is no reason why non-congress Ministry should not have been formed in Rajasthan. It is true that non-congress Ministries have been formed in some of the States but why Rajasthan should be deprived of it. The Hon'ble Home Minister, in his speech, could not clarify as to how the decision taken by the Governor was always in favour of Congress party and adverse in case of non-congress parties ? At the time of formation of Ministry in Kerala even Socialist party of 19 members was called by the Governor but in Rajasthan only Congress party was called even after the decision that Ministry will be formed by the Congress party. It is not understood how the Governors of Kerala and Rajasthan adopt different rules in formation of a Ministry. The question of largest single party was not followed in Kerala. When Shri Sukhadia had expressed his inability to form a Ministry, why non-Congress parties were not allowed to form the Ministry ? It has been argued that the said action has been taken to preserve peace, I want to ask whether peace was disturbed before the constitution was violated ? It is just putting cart before the horse. Now as complete calm has been restored in Rajasthan the Governor has perhaps taken it as prestige issue and Central Govt. is also silent over this important issue. The members of Rajasthan Legislative Assembly came to Delhi with high hopes but they were badly disappointed. They have lost all faith in Central Government. I am pained to note that some Congress member had said that 93 members who had come here were forced to do so. May I have the permission to place a photograph of these 93 members on the Table of the House ? We had contemplated that it will perhaps be announced by the President or Prime Minister or Home Minister that situation in Rajasthan is now peaceful. There is a limit of patience of the people of Rajasthan. It is high time when impartiality of the central Govt. could be established. We will continue to have our faith in Central Govt. in case non-Congress Ministry is formed in Rajasthan *(Interruptions)* The Congress members have charged that opposition parties have been joined to form Governments when Congress has in herself Communists and Socialists and.....

Shri Y. B. Chavan : also Jansanghis.

Shri Atal Behari Vajpayee : If you so believe, it is not Congress party but a mixture of all and which is always running after power.

We are forming the Governments in order to serve the people. In case we fail in our minimum programme, we shall quit the Govts.

I now request the members of the House to accept this motion.

It has also come to our notice that even now the Chief Secretary of Rajasthan Govt. carries files to Shri Sukhadia and I want to know whether the Hon'ble Home Minister will call back the Chief Secretary if this fact is substantiated.

Shri Y. B. Chavan : We will call him definitely.

Shri Atal Behari Vajpayee. No one can appreciate the action of President's rule in Rajasthan and it has been done to gain time to favour Shri Sukhadia. In order to remove this type of high-handedness, I request the House to accept this motion and change the present Government.

अध्यक्ष महोदय : मैं अब इस प्रस्ताव को मतदान के लिए सभा के समक्ष रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रि परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

LOKSABHA DIVIDED

मेरे विचार में मतदान में थोड़ा सा समय लगेगा । मतदान के पश्चात् हम दस मिनट के लिए अपना कार्य स्थगित कर देंगे और वित्त मन्त्री के भाषण को सुनेंगे । मुझे आशा है कि सभा को इसमें आपत्ति नहीं होगी । अब आपको पर्चियां दी जायंगी । कृपया अपने स्थान से न उठिये । कृपा करके पर्ची पर अपना नाम और निर्वाचन क्षेत्र लिख कर पर्ची लौटा दें । कर्मचारी आप से पर्चियाँ वापिस ले लेंगे ।

अब गोष्ठी-कक्ष से सब लोग चले गये हैं, अब मतदान होगा । सभी सदस्यों को पर्चियाँ बांटी जा रही हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : How can you exercise your control on the number of slips that have been distributed ?

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को एक पर्ची दी जायगी ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरे विचार में अच्छा यह होगा कि पहले जो सदस्य इस प्रस्ताव से सहमत हैं उन्हें खड़ा करवा कर गिन लिया जाय और फिर जो इसके विरोध में हैं उन्हें खड़ा होने को कहा जाय ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह हमारे पास कोई रिकार्ड नहीं रहेगा । इसलिए यह प्रक्रिया अच्छी है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, you are going to announce the results of this voting just now. Before the result is announced, I am going to raise a point of order (Interruptions) I want to invite your attention to Rule 367 (Interruptions) which you have already followed. In accordance with Rule 367 (3) (c) the speaker should direct that the votes be recorded either by operating the automatic vote recorder or by the members going into the Lobbies.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रक्रिया सब की सुविधा के लिए है।

अब मैं सब माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि वे बैठ जाएँ।

विभाजन का परिणाम इस प्रकार है।

पक्ष में : 162 विपक्ष में 257 Ayes 162 Noes 257

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

सभा की कार्यवाही अब दस मिनट के लिए स्थगित की जाती है। दस मिनट के बाद वित्त मन्त्री बजट प्रस्तुत करेंगे।

इसके पश्चात सभा दस मिनट के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for ten minutes.

लोक सभा 5 बज कर 20 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled at twenty minutes past Seventeen of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सामान्य बजट, 1967-68
GENERAL BUDGET, 1967-68

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The Finance Minister has taken his oath as Deputy Prime Minister and therefore he has no right to present the budget until he takes oath as Finance Minister.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Hon'ble member had raised this objection in the morning also but the same was overlooked. Now I am here to support his view. In this connection I would like to invite your attention to clause 4 of Section 75 of the Constitution in which the words "oath of office" are very much significant. I would like to know whether Mr. Morarji Desai has taken oath in respect of both the offices **viz.** The Deputy Prime Minister and Finance Minister ? If not, the budget presented by him will not be valid.

Shri Chandra Jeet Yadav : There is no seperate provision for taking oath for the Prime Minister or Deputy Prime Minister. Every Minister is supposed to take the oath of secrecy as Minister. The Prime Minister can keep any portfolio with him if he so desires. The point of order is therefore not valid.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The objection raised by the Hon'ble member and seconded by Shri Madhu Limaye is constitutional one. The question is whether he can present the budget without taking the oath as Finance Minister. In my view this point should be referred to the Attorney General for his opinion before giving any ruling.

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur) : The position may be got clarified from Shri Morarji Desai.

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सब मन्त्रियों के लिए शपथ एक सी है। प्रधान मन्त्री तथा अन्य सभी मन्त्री वही शपथ लेते हैं। बाद में प्रधान मन्त्री द्वारा उन्हें विभाग बांट दिये जाते हैं। अलग-अलग मन्त्रियों के लिए अलग-अलग शपथ लेने का कोई उपबन्ध नहीं। इसलिए इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्तमन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : महोदय, बजट प्रस्तुत करने का अवसर एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। उस समय सरकार अगले राजस्व वर्ष के खर्च और

साधन जुटाने के अपने प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए इस सम्माननीय सभा के सम्मुख उपस्थित होती है। किन्तु इस समय हम विशेष परिस्थितियों में एकत्र हुए हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, लेखानुदान पर विचार करना और 31 मार्च से पहले उसके लिए स्वीकृति देना आवश्यक है, ताकि सरकार 1967-68 के वित्तीय वर्ष में अपना काम-काज चला सके। किन्तु नयी केन्द्रीय सरकार और यहां एकत्रित माननीय सदस्य, इस समय और मार्च की समाप्ति के बीच, पूरे अगले वर्ष की बजट सम्बन्धी आवश्यकताओं पर अच्छी तरह से विचार नहीं कर सकते। इसलिए, सरकार कुछ ही सप्ताहों में इस सम्माननीय सभा के सम्मुख एक बजट पेश करना चाहती है जिस में 1967-68 के पूरे वर्ष के प्रस्तावों की रूपरेखा दी जायगी। पूरे तौर पर तैयार किये गये उस बजट के साथ, पहले की ही तरह, सभा के सम्मुख 'आर्थिक समीक्षा' भी प्रस्तुत की जायगी।

2. मेरा आज का उद्देश्य सीमित है। मैं, सदा की भांति, सबसे पहले चालू वर्ष के संशोधित अनुमान पेश करना चाहता हूँ। मैं 1967-68 के लिए राजस्व और पूंजी खाते, दोनों की सरकारी प्राप्तियों के अनुमान भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ और ये अनुमान करों की वर्तमान दरों के हिसाब से और करों से भिन्न प्राप्तियों के सम्बन्ध में उपलब्ध वर्तमान संकेतों के आधार पर होंगे। जहाँ तक 1967-68 के सरकारी खर्च का सम्बन्ध है, मैं केवल चार महीने के लिए लेखानुदान की स्वीकृति चाहूँगा। 1967-68 के सारे वर्ष के व्यय के जो अनुमान मैं आज प्रस्तुत करूंगा वे अस्थायी हैं और केवल उपलब्ध साधनों तक ही सीमित हैं। बाद में जो बजट पेश किया जायगा उसमें इन्हें आवश्यकताओं और साधनों की पूर्ण समीक्षा के आधार पर, जो हम बीच की अवधि में कर लेना चाहते हैं, उचित रूप से संशोधित किया जायगा। मैं आज एक वित्त विधेयक प्रस्तुत करूँगा जिसका उद्देश्य केवल मौजूदा कर-व्यवस्था को एक वर्ष के लिए और जारी रखना है।

आर्थिक स्थिति

3. मेरा उद्देश्य यद्यपि सीमित है फिर भी मेरे लिए यह उचित होगा कि मैं माननीय सदस्यों का ध्यान वर्तमान आर्थिक क्षेत्र की कुछ उल्लेखनीय बातों की ओर आकृष्ट करूँ। चौथी पंच वर्षीय आयोजना का पहला वर्ष, जो अब समाप्त हो रहा है, कई तरह से निराशाजनक सिद्ध हुआ है। आर्थिक परिस्थितियों से चिन्ता केवल इसलिए उत्पन्न नहीं हुई कि उत्पादन कम हुआ और विदेशी मुद्रा की स्थिति चिन्तनीय रही, बल्कि इसलिए भी कि मुद्रा-बाहुल्य (मोनेटरी एक्सपैंशन) की गति धीमी होते हुए भी मूल्यों का तेजी से बढ़ना जारी रहा है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि लगातार दूसरे वर्ष भी मौसम की प्रतिकूल स्थितियों के कारण भारत की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है और पिछले कई महीने से आर्थिक-क्षेत्र पर सूखे का असर पड़ रहा है। फिर भी, पिछली तीन आयोजना-अवधियों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था ने जो शक्ति और लचीलापन प्राप्त किया है, हमारी वर्तमान कठिनाइयों को उन पर बिलकुल ही हावी नहीं होने दिया जाना चाहिए। किन्तु हमारी अल्पकालीन नीतियां और आशाएं वर्तमान स्थिति के यथार्थ मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिएं।

4. यद्यपि खेती के क्षेत्र में, 1965-66 के निम्नतम स्तरों की तुलना में, पैदावार में कुछ बढ़ोतरी होने की आशा है, फिर भी पहले की सूचनाओं को देखते हुए हाल में किये गये अनुमान बहुत कम आशाजनक हैं। भय है कि चालू वर्ष के उत्पादन-स्तर, 1964-65 की भरीपूरी

फसल की तुलना में बहुत नीचे रह जायंगे। उदाहरण के लिए, 1966-67 का अन्न का कुल उत्पादन घट कर 7 करोड़ 60 लाख मेट्रिक टन ही रह जाने की सम्भावना है, जबकि 1964-65 में 8 करोड़ 90 लाख मेट्रिक टन और 1965-66 में 7 करोड 23 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। वर्षा न होने से देश के बड़े-बड़े भागों के लोगों की आमदनी और खरीदने की ताकत खतम हो गयी है और न सिर्फ अन्न, बल्कि बहुत तरह के कच्चे माल के सम्बन्ध में भी सम्भरण (सप्लाई) की विकट समस्या पैदा हो गयी है। एक बार फिर, हमें अपनी अल्प विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (फारेन एक्सचेंज रिजर्व) की हानि उठाकर और मित्र देशों द्वारा दी गयी अन्न की सहायता से आयातों में वृद्धि करनी पड़ रही है। इतने पर भी, खरीफ की नयी फसल आने से पहले की कठिन स्थिति पर काबू पाने के लिए जल्दी ही और भी काफी आयात करने की आवश्यकता है। भारत को दी जाने वाली अन्न-सहायता के प्रश्न पर अगले महीने के शुरू में भारत सहायता संघ की बैठक में विचार किया जाने वाला है। जो कुछ भी उपलब्ध होगा उसे उचित रूप से बांटा जायगा और इस सम्बन्ध में हम राज्य सरकारों की सहायता से शीघ्र ही कोई सर्वसम्मत नीति निर्धारित करना चाहते हैं। पर, साथ ही रासायनिक खादों और अधिक उपज करने वाले बीजों की सुलभता को शीघ्रता के साथ बढ़ाने, खेती सम्बन्धी ऋणों में वृद्धि करने और कृषि-गवेषणा को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम उचित रूप से आगे बढ़ रहा है।

5. तीसरी आयोजना के अन्तिम वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई थी। चालू वित्तीय वर्ष में भी उत्पादन प्राय: धीमी गति से बढ़ा है। 1966 में अप्रैल से नवम्बर तक की अवधि में इससे पहले के वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। औद्योगिक उत्पादन में शिथिलता सभी क्षेत्रों में आयी है और वास्तव में खेती पर निर्भर रहने वाले बहुत से उद्योगों में, जैसे कि सूती वस्त्र, बनास्पती, जूट आदि के उद्योगों में उत्पादन बिलकुल घट गया है। दूसरी ओर, खेती की आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले उद्योगों, जैसे कि डीजल के पम्पिंग सेट और हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाएं बनाने वाले उद्योगों का उत्पादन खासा बढ़ा है। वर्षा न होने से उद्योगों को कई तरह से हानि पहुँची है। पहले तो यह कि खेती से मिलने वाला तरह-तरह का कच्चा माल दुर्लभ हो गया है और उसके भाव बढ़ गये हैं, दूसरे यह कि खेती से होनेवाली आमदनी घट गयी और उस के कारण निर्मित अर्थात् कारखानों आदि में बनायी गयी उपभोक्ता वस्तुओं की प्रभावी मांग में कमी हुई है। तीसरे यह कि खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से शहरों के लोगों की निर्मित वस्तुएँ खरीदने की ताकत घट गयी है। और अन्तिम यह कि सरकार ने मितव्ययता के जो उपाय किये हैं--जिनका उद्देश्य ऐसे समय मुद्रा-बाहुल्य को सीमित करना है जब खाद्य पदार्थों की तंगी है—उनसे कुछ किस्म की निर्मित वस्तुओं के लिए कहीं-कहीं मांग घटी है, जैसे कि मालगाड़ी के डिब्बों और मशीनी औजारों के लिए।

6. 1966-67 में हमारे निर्यात व्यापार के ठीक न होने का आंशिक कारण देश में उत्पादन का घटना है। प्रारम्भिक आंकड़ों से पता चलता है कि 1966 की अप्रैल-दिसम्बर की अवधि में, 1965 की इसी अवधि की तुलना में, समुद्री जहाजों से बाहर भेजे गये माल का विदेशी-मुद्रा-मूल्य लगभग 9 प्रतिशत कम था। देशी माल की सप्लाई में कमी के अलावा इन महीनों की निर्यात-स्थिति से उस व्यापारिक अव्यवस्था का पता चलता है जो विनिमय दर में

परिवर्तन होने के कारण पैदा हुई। हमारी बड़ी-बड़ी विदेशी मण्डियों में से कुछ में मांग में कमी हुई। इन बातों और दुनियां की मण्डियों में अन्य घटनाओं के कारण हमारी परम्परागत वस्तुओं, जैसे कि चाय, जूट की वस्तुओं और सूती कपड़े के निर्यात के मूल्य में कमी हुई है। दूसरी ओर, चमड़े की वस्तुओं, जूतों, खनिज लोहे, इस्पात की चीजों और काजू की गिरी जैसी मदों में वृद्धि होने के कारण ये कमियां कुछ हद तक बराबर हो गयी हैं।

7. निर्यात में कमी और साथ ही ऋण सम्बन्धी अदायगियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से हमारी अन्तर्राष्ट्रीय निधियों में कमी हुई है। अप्रैल 1966 और दिसम्बर 1966 के बीच हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (फारेन एक्सचेंज रिजर्व) में लगभग 1 करोड़ 80 लाख डालर के बराबर की कमी हुई, यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इण्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड) से 13 करोड़ 75 लाख डालर की वास्तविक रकम निकाली गयी। यह भी उल्लेखनीय है कि यह कमी उस समय हुई जब 1965 की इसी अवधि की अपेक्षा आयात में काफी कमी हुई। आयात सम्बन्धी प्राप्तियों की कमी से 1965-66 में, अन्न से भिन्न अधिकांश मदों पर लगे हुए परिमाण सम्बन्धी प्रतिबन्धों की कठोरता का पता चलता है। यद्यपि कुल आयात में प्रायः कमी हुई, लेकिन चालू राजस्व वर्ष में अन्न के आयात में काफी वृद्धि हुई, क्योंकि देश में जितना अन्न उपलब्ध था उस का परिमाण बढ़ाना आवश्यक था। पहले के वर्षों की अपेक्षा रासायनिक खादों का भी काफी अधिक मात्रा में आयात किया गया। लाइसेंस देने की नीति नरम कर देने पर भी वास्तविक आयात पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यद्यपि इस बात के संकेत मिलते हैं कि इस वर्ष जो अधिक संख्या में आयात-लाइसेंस जारी किये गये हैं उनके आधार पर बड़े-बड़े आर्डर दिये गये हैं। 1966 के दिसम्बर से विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में थोड़ी-सी वृद्धि हुई है, किन्तु इस वृद्धि का कुछ कारण अस्थायी और परिवर्तनीय स्थितियां हैं, जैसे कि बैंकों की रकमों का देश में आना।

8. माननीय सदस्यों को याद होगा कि तीसरी आयोजना के अन्तिम वर्ष में विदेशी सहायता आंशिक रूप से बन्द हो गयी थी। इस रुकावट से और साथ ही देश की सामान्य स्थिति के कारण, इस वर्ष पहले के अनुमान की अपेक्षा कुछ कम मात्रा में विदेशी सहायता का वितरण किया जा सका है। सब मिला कर, 1966-67 में सहायता संघ (कंसार्दियम) के देशों ने गैर-प्रायोजना सहायता के रूप में 90 करोड़ डालर देने का वचन दिया है। दिये गये इस वचन के अनुसार 76 करोड़ डालर के लिए पक्के करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। बाकी रकम के लिए भी शीघ्र ही करार हो जाने की आशा है। माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि एक जारी रहने वाले कार्यक्रम के पक्के वायदे से हमें रकमें मिलने से पहले आयातों के लिए लाइसेंस देने में सहायता मिल जाती है। इसलिए, व्यावहारिक रूप से, सहायता संघ का 90 करोड़ डालर का वचन हमें अपना आयात-कार्यक्रम बढ़ाने के लिए कुछ समय से प्राप्त है। इसके अलावा इस्पात, बिजली, रेलों आदि के क्षेत्र में सहायता संघ के सदस्यों ने कई ऋण-करारों पर हस्ताक्षर किये हैं। अन्य मित्र देशों, जैसे कि सोवियत रूस, यूगोस्लाविया, हंगरी और स्वीडन के साथ भी सहायता सम्बन्धी करार हुए हैं। इस सहायता के लिए हम अपने विदेशी मित्रों के कृतज्ञ हैं। अन्न-संकट दूर करने के उद्देश्य से अनेक देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो उदारतापूर्ण सहायता प्राप्त हुई है

उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस कठिन खाद्य स्थिति में इस सहायता से बड़ी मदद मिली है ।

9. कृषि संकट से न केवल औद्योगिक उत्पादन में शिथिलता, निर्यात-क्षमता में कमी और अन्न के आयात के खर्च में भारी वृद्धि हुई है, बल्कि इससे मुद्रा-बाहुल्य की समस्या और भी जटिल हुई है। पहले के वर्ष की तुलना में 1966-67 में अन्न के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। अपने रहन-सहन के स्तर को कायम रखने के लिए निश्चित आय वाले वर्गों की क्षतिपूर्ति-भत्ते की मांग सफल होने से सरकारी कोष पर भारी दबाव पड़ा है। 26 मार्च 1966 और 18 फरवरी 1967 के बीच थोक मूल्यों के सूचक अंक में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

10. चालू वर्ष में मुद्रा-बाहुल्य की गति धीमी हुई है। किन्तु अधिक कामकाज के चालू मौसम में, बैंकों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों में, 1965-66 की अपेक्षा ज्यादा तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि बैंकों को, जमा रकमों से पहले की बनिस्बत कम प्राप्ति हुई है। अधिक कामकाज का मौसम अभी खतम नहीं हुआ है, और मूल्यों की मौजूदा स्थिति में मुद्रा विषयक घटनाओं पर सावधानी से निगाह रखने की जरूरत होगी।

11. मूल्य-वृद्धि की गति सबसे अधिक चिन्तनीय बात है जिसे सरकार को, अपनी वित्तीय और आर्थिक नीतियों का निर्धारण करते समय ध्यान में रखना होगा। हमने जो कुछ देखा है वह वास्तव में मूल्यों की क्रमिक वृद्धि है जहाँ कमियों और बजट के घाटों के कारण मूल्य और भी बढ़े हैं और वेतनों तथा महंगाई-भत्तों में और भी वृद्धि हुई है। इसके कारण बजट सम्बन्धी कठिनाइयाँ बढ़ी हैं और मूल्यों में और भी वृद्धि हुई है। कई मोर्चों पर सामूहिक कार्रवाही करके इस बढ़ोतरी को रोकना है। किन्तु मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इन परिस्थितियों में हमारा पहला काम वित्तीय और सामान्य आर्थिक स्थायित्व उत्पन्न करना है, जिसकी आवश्यकता चालू वर्ष की बजट सम्बन्धी घटनाओं की संक्षिप्त समीक्षा से स्पष्ट हो जायगी, जो मैं अब करने जा रहा हूँ।

1966-67 का संशोधित अनुमान

12. जैसा कि सामान्य आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में हुआ, चालू वर्ष की बजट सम्बन्धी स्थिति पर भी कृषि के ह्रास का काफी प्रभाव पड़ा है। व्यय के क्षेत्र में, राज्यों को अन्न की तंगी से राहत दिलाने के लिये काफी सहायता देनी पड़ी, ताकि वहाँ लाभदायक धन्धे निकल सकें और संकटग्रस्त लोगों को अन्य प्रकार से भी सहायता पहुँचायी जा सके। मूल्य-वृद्धि को और अधिक न बढ़ने देने के उद्देश्य से भारी परिमाण में विदेशों से मंगाये गये अन्न के लिए राज सहायता दी गई। इतने पर भी बढ़े हुए मूल्यों के कारण महंगाई-भत्ते का बोझ और भी बढ़ गया और सरकार के दूसरे खर्चों में भी वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ गयी। अन्न की उपज में शीघ्रता से वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि सम्बन्धी योजनाओं पर होने वाले खर्च में और भी वृद्धि की गयी।

13. जहाँ तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है, आर्थिक-क्षेत्र की मन्दी का प्रभाव करों की पहले से कम प्राप्तियों में दिखायी देता है। अन्न से भिन्न वस्तुओं के आयात में कमी होने से आयात शुल्कों के अन्तर्गत कम वसूलियां हुई हैं। माँग में कमी होने और खाद्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के कारण वेतन सम्बन्धी अदायगियों में वृद्धि होने से रेलों को भी हानि उठानी पड़ी है; कई दशकों में उन्हें पहली बार सामान्य लाभ प्राप्त करने में असफलता मिली है।

14. वर्ष के प्रारम्भ में जो कल्पना की गयी थी उसकी अपेक्षा केन्द्र को राज्यों के लिए पहले से कहीं अधिक बड़े दायित्वों का भार उठाना पड़ा। इस सबका परिणाम यह हुआ कि सरकार द्वारा मितव्ययता के उपाय किये जाने के बावजूद चालू वर्ष में, प्रारम्भिक अनुमान की अपेक्षा कहीं अधिक भारी घाटा होने की सम्भावना है।

15. सीमा-शुल्कों में, बजट अनुमान की तुलना में, 36 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। यह तब होगा जब अवमूल्यन के बाद लगाये गये निर्यात-शुल्कों से होने वाली बड़ी-बड़ी प्राप्तियों को भी जमा कर लिया जायगा। आयात-शुल्कों के अन्तर्गत लगभग 79 करोड़ रुपये की कमी हुई है। आयकर की प्राप्तियों में 40 करोड़ रुपये की कमी हुई है, जबकि उत्पादन शुल्कों से 10 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त होने का अनुमान है। केन्द्रीय करों और शुल्कों में से राज्यों का हिस्सा 12 करोड़ रुपया अधिक होगा, जिसका मुख्य कारण बकाया रकमों की अदायगी है। इस प्रकार करों की जो वास्तविक प्राप्तियाँ केन्द्र के पास बच रहेंगी वे बजट अनुमान की अपेक्षा कुछ कम बैठेंगी, यद्यपि निर्यात-शुल्कों के अन्तर्गत 117 करोड़ रुपये की भारी प्राप्तियाँ होंगी।

16. ऋण-सहायता के रूप में विदेशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से बजट सम्बन्धी जो वास्तविक रकमें प्राप्त होंगी वे 135 करोड़ रुपया अधिक होंगी। किन्तु इसका कारण हिसाब-किताब का फर्क है, जो विनिमय दर (एक्सचेंज रेट) में परिवर्तन होने के कारण पड़ा है। विदेशी विनिमय की भाषा में इसे यों कहेंगे कि कुल सहायता का भुगतान पहले के अनुमानों की अपेक्षा कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये गये आयातों से रुपयों के रूप में प्राप्त होने वाली रकम लगभग 93 करोड़ रुपये अधिक होगी। कनाडा, आस्ट्रेलिया, सोवियत रूस और दूसरे अनेक देशों से अन्न-उपहार के रूप में 85 करोड़ रुपये की जो सहायता प्राप्त हुई है वह भी बजट में शामिल है।

17. जहाँ तक भुगतान का सम्बन्ध है, अन्न और रासायनिक खादों की खरीद और बिक्री से 235 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इसका अधिकांश—लगभग 179 करोड़ रुपया—बाहर से मंगाये जाने वाले अन्न और रासायनिक खादों के लिये सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता के रूप में है।

18. इस वर्ष, राज्यों को दी जाने वाली सहायता में काफी वृद्धि करने के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ी। इसके लिये 108 करोड़ रुपये की अधिक व्यवस्था की गयी, ताकि वे आयोजना के सम्बन्ध में और भी अधिक खर्च कर सकें। इस रकम में से 60 करोड़ रुपया सिंचाई की छोटी और बड़ी योजनाओं और देहात में बिजली पहुँचाने की योजनाओं के लिए है, ताकि खेती के कार्यक्रमों को बढ़ावा मिले, खासकर उन कार्यक्रमों को जिनसे जल्दी लाभ हो सके। राज्यों के लिए अभाव सम्बन्धी जो अतिरिक्त सहायता मंजूर की गयी उसकी रकम 40 करोड़ रुपया है। 113 करोड़ रुपये के विशेष ऋणों की भी व्यवस्था की गयी, ताकि कुछ राज्यों ने रिजर्व बैंक से, अनधिकृत रूप से, अपनी जमा से जो अधिक रुपया निकाल लिया है, वे उसका हिसाब साफ कर दें। इस प्रकार राज्यों को कुल 261 करोड़ रुपये की अधिक सहायता दी गयी।

19. बजट द्वारा वित्त-पोषित केन्द्रीय आयोजना पर, जिसमें संघीय राज्य-क्षेत्रों का खर्च भी शामिल है, बजट अनुमानों की अपेक्षा 117 करोड़ रुपया अधिक खर्च होने का अनुमान है। इस वृद्धि का कारण सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए अधिक रकमों की व्यवस्था करने और भूमि-बन्धक बैंकों के ऋण-पत्र (डिबेंचर) कार्यक्रमों, कृषि ऋण-स्थिरीकरण (स्टेबिलाइ-

जेशन) निधियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों और परिवार नियोजन (फेमिली प्लानिंग) के लिए पहले से अधिक सहायता देने तथा कृषि विषयक महत्व की योजनाओं पर अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता है। वित्तीय संस्थाओं के लिए 13 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था भी इस में शामिल की गयी है। माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि रुपये के अवमूल्यन के बाद कई आयोजना सम्बन्धी प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए और भी अधिक धन की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया था।

20. गैर-आयोजना व्यय में, रक्षा के अन्तर्गत, जिसमें सीमावर्ती सड़कें भी शामिल हैं, 29 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण रुपये का अवमूल्यन और महंगाई भत्ते में वृद्धि होना है। इसी प्रकार, ब्याज सम्बन्धी प्रभार में 48 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है। बहुत सी और मदों में भी घटबढ़ हुई है, जो कुल मिलाकर एक दूसरे को प्रतिसन्तुलित करती हैं, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा।

21. यदि इस वर्ष मितव्ययता यानी कमखर्ची के उपाय न किये जाते, तो खर्च में और भी बढ़ोतरी हो जाती। वर्ष के दौरान, बजट-अनुदानों पर फिर से विचार किया गया और राजस्व सम्बन्धी खर्च और दूसरे खर्चों में भारी कमी की गयी। इस प्रकार 91 करोड़ रुपये की बचत की गयी जिससे अनिवार्य अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकी।

22. संशोधित अनुमान में, केन्द्र में कुल मिलाकार 350 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है, जबकि बजट तैयार करते समय 32 करोड़ रुपये के ही घाटे का अनुमान किया गया था। बजट में इतना बड़ा घाटा सरकार के लिए चिन्ता का विषय है और निश्चय ही इस सभा को भी इससे चिन्ता होगी। लेकिन मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि यदि कुछ राज्यों को, रिजर्व बैंक से अपनी जमा रकमों से अधिक निकाली गयो रकमों का हिसाब साफ करने के लिए और अनाज तथा रासायनिक खाद को सस्ते दामों पर बेचने के लिए अतिरिक्त सहायता न दी जाती, तो केन्द्र का घाटा लगभग उतना ही होता जितने का मूल बजट में अनुमान लगाया गया था।

23. कुछ राज्यों को, रिजर्व बैंक से अपनी जमा रकमों से अधिक रकमें निकालने के कारण, 113 करोड़ रुपये की जो सहायता दी गयी है उस से केन्द्र के घाटे में वृद्धि हो गयी है। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति तब तक स्पष्ट नहीं होगी जब तक उनके अगले वर्ष के बजट पेश नहीं कर दिये जाते। मै माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूँगा कि जहां कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके कारण केन्द्र के घाटे में वृद्धि हुई है, वहां कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रही है। वास्तव में, यह सम्भव है कि केन्द्र ने राज्यों को सहायता देने के लिए अपने ऊपर पहिले से काफी अधिक जिम्मेदारी लेकर, राज्यों की वित्तीय स्थिति में, कुल मिलाकर सुधार किया है।

24. लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी स्थिति का जारी नहीं रहने दिया जा सकता जिसमें कोई भी राज्य-सरकार, अनधिकृत रूप से, रिजर्व बैंक से अपनी जमा रकम से, बिना किसी सीमा के, अधिक रकम निकाल सके। इस बात के अलावा कि इससे केन्द्र सरकार के घाटे में वृद्धि होती है, विभिन्न राज्यों के बीच इस प्रकार की स्थिति न्यायपूर्ण नहीं है। इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय

सरकार के परामर्श से पिछले दिसम्बर में राज्यों को सूचित किया कि यदि भविष्य में, जमा रकमों से अधिक रकमों का निकालना जारी रहा, तो रिजर्व बैंक सम्बद्ध राज्य को नोटिस जारी करके यह अनुरोध करेगा कि अधिक निकाली गयी रकम तीन सप्ताह के अन्दर लौटा दी जाय और ऐसा न किये जाने पर रिजर्व बैंक को यह छूट होगी कि वह राज्य के सम्बन्ध में अदायगियां रोक दे। इसके साथ-साथ, अस्थायी ऋण की सुविधाओं में भी उपयुक्त रूप से वृद्धि की गयी, ताकि राज्य सरकारें अपनी अर्थोपाय स्थिति में अधिक लचीलापन ला सकें। मुझे पूरी आशा है कि इन प्रबन्धों से हम एक नया दौर शुरू कर सकेंगे, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा घाटे की वित्त-व्यवस्था का सहारा लिया जाना, एक पुरानी बात हो जायगी। इसके साथ ही, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यदि केन्द्र को, राजस्व और बजट सम्बन्धी उचित नीतियों को बनाये रखने की सुनिश्चित व्यवस्था करने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना है, तो उसे भी वित्तीय अनुशासन का और भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। इस समय, मैं सभा को यही विश्वास दिला सकता हूँ कि हम, यहां एकत्र माननीय सदस्यों सहित सभी सम्बद्ध पक्षों के सहयोग से, उपयुक्त वित्तीय नीतियों का स्वयं पालन करने और राज्यों में भी ऐसा किये जाने की निश्चित व्यवस्था कराने के लिए कृतसंकल्प हैं।

बजट अनुमान, 1967-68

25. अब मैं अगले वर्ष की सम्भावनाओं का उल्लेख करूँगा। 1967-68 का बजट तैयार करते समय बहुत सी अन्य, यहां तक कि परस्पर-विरोधी बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। चौथी पंचवर्षीय आयोजना के पहले वर्ष में आयोजना सम्बन्धी परिव्यय को सीमित रखा गया था और स्पष्टत, इस बात की आवश्यकता है कि विकास की गति को जितनी जल्दी हो सके पहले की तरह तेज किया जाय। कुछ भी हो, यदि कृषि सम्बन्धी नयी नीति को क्रियान्वित करने में हुई प्रगति को रोकना नहीं है, तो यह जरूरी है कि कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों को, जिनमें सिंचाई के छोटे और पूरे होने वाले बड़े निर्माण-कार्य, ऋण की व्यवस्था और इस प्रकार के अन्य कार्य शामिल हैं, जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया जाय। यही बात परिवार-नियोजन कार्यक्रम और औद्योगिक कार्यक्रमों पर भी लागू होती है, जिनमें रासायनिक खाद और हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाओं का उत्पादन भी शामिल है, जो हमारी भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों को सहारा देने के लिए बहुत जरूरी हैं। अन्य क्षेत्रों में किये जाने वाले विकास को भी, स्वावलम्बन की दिशा में होने वाली प्रगति को खतरे में डाले बिना, ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता।

26. एक तरह से, मौजूदा स्थिति, जिसमें कई क्षेत्रों में, विशेषत: पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों और परिवहन के क्षेत्रों में, मांग में कमी और क्षमता के अधिक होने के संकेत मिलते हैं, विकास सम्बन्धी परिव्यय में वृद्धि करने के लिए अनुकूल है। आयात नीति को नरम बनाने और गैर-प्रायोजना सहायता के अधिक उपलब्ध होने से हमारा काम आसान हो जाना चाहिए। दूसरी ओर, मूल्यों सम्बन्धी मौजूदा स्थिति और लगातार दूसरे वर्ष भी पड़ने वाले सूखे के कारण पैदा हुई सम्भरण सम्बन्धी बहुत कठिन स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पूंजीनिवेश में इस सीमा तक वृद्धि नहीं की जानी चाहिए जिससे अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर और अधिक दबाव पड़े।

27. अगले वर्ष का बजट निश्चय ही उसी जटिल स्थिति की पृष्ठभूमि में बनाना पड़ेगा जिस की रूपरेखा मैंने अभी-अभी बतायी है। इस उद्देश्य से कि सरकार और संसद दोनों को स्थिति का पूरी तरह से मूल्यांकन करने का पर्याप्त समय मिल सके, हमने निश्चय किया है कि फिलहाल माननीय सभा क समक्ष ऐसा बजट पेश किया जाय जिसमें खर्चों को इस समय उपलब्ध साधनों तक ही सीमित रखा गया हो। इसी के साथ मैं यह दोहराना चाहूँगा कि यह केवल एक अन्तरिम बजट है जिसको पेश करने का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार अगले वर्ष के पहले चार महीनों के खर्च के लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त करना है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सरकार स्थिति पर जल्दी ही फिर से विचार करना और अतिरिक्त खर्च करने और इस हेतु साधन जुटाने के लिए ऐसे प्रस्ताव पेश करना चाहती है, जो मौजूदा परिस्थितियों में जरूरी और व्यावहारिक हों। इसलिए अभी मैं केवल उन्हीं बातों का उल्लेख करूँगा जिनके आधार पर मौजूदा बजट तैयार किया गया है।

28. अनुमान लगाया गया है कि करों की मौजूदा दरों के आधार पर अगले वर्ष राजस्व के रूप में 3071 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होंगी, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 214 करोड़ रुपया अधिक हैं। मुख्य, अर्थात् 86 करोड़ रुपये की वृद्धि उत्पादन-शुल्कों के अन्तर्गत है जिसका मुख्य कारण तेल साफ करने के नये कारखानों से होने वाली अनुमानित निकासी है। सीमा शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व में भी 58 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, जिसका मुख्य कारण यह है कि अगले वर्ष अधिक आयात होने का अनुमान है। इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन, विशेषत: कृषि पर आधारित उद्योगों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न होने के कारण, आयकर के अन्तर्गत 15 करोड़ रुपये से अधिक वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है। बाकी 37 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यत: ब्याज-प्राप्तियों के अन्तर्गत हुई है। कुल राजस्व-प्राप्तियों में से 370 करोड़ रुपया राज्यों को, केन्द्रीय करों और शुल्कों में से उनके हिस्से के रूप में अन्तरित कर दिया जायगा।

29. अगले वर्ष बाजार ऋणों से 350 करोड़ रुपया मिलने का अनुमान किया गया है। यह देखते हुए कि अगले वर्ष 255 करोड़ रुपये के ऋण भुगतान के लिए पक जायंगे, इस साल के 81 करोड़ रुपये के वास्तविक ऋणों के मुकाबले अगले साल के वास्तविक ऋणों की राशि 95 करोड़ रुपया होगी। कुछ वृद्धि यह देखकर भी मान ली गयी है कि इस वर्ष अब तक रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) का वास्तविक (नेट) विक्रेता है, जो एक उत्साहवर्धक बात है।

30. पी० एल० 480 ऋणों से भिन्न विदेशी ऋणों की कुल रकम 835 करोड़ रुपये या 111. 5 करोड़ डालर रखी गयी है, जो चालू वर्ष के 80 करोड़ डालर के संशोधित अनुमानों की तुलना में काफी अधिक है। इस वर्ष 90 करोड़ डालर की जिस गैर-आयोजना सहायता का वचन दिया गया है उसके अधिकांश के अगले वर्ष प्राप्त होने का अनुमान है। और अधिक गैर-प्रायोजना सहायता का वचन मिलने और उसके आधार पर रकमों के निकाले जाने की भी सम्भावना है। अगले वर्ष वापसी सम्बन्धी देनदारियां लगभग 195 करोड़ रुपये की हैं, इस तरह 640 करोड़ रुपये की वास्तविक रकम प्राप्त होगी।

31. अनुमान है कि पी० एल० 480 सम्बन्धी आयातों से प्राप्त होने वाले रुपयों की रकम, जो सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में लगायी जाती है, लगभग 285 करोड़ रुपया होगी। कनाडा

द्वारा उपहार के रूप में दिये गये गेहूँ के सम्बन्ध में 5 करोड़ डालर की सहायता को भी हिसाब में ले लिया गया है।

32. अगले वर्ष के व्यय सम्बन्धी अनुमानों में रक्षा-व्यय के लिए 969 करोड़ रुपये रखे गये हैं, जबकि संशोधित अनुमानों में 942 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इस प्रकार 27 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण सामान्य वार्षिक वृद्धियों और सामान की लागत में हुई वृद्धि और खरीद के लिए व्यवस्था करना है। सीमावर्ती सड़कों के लिए 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जो संशोधित अनुमानों की व्यवस्था से 4 करोड़ रुपया अधिक है।

33. बाहर से मंगाये जाने वाले अन्न और रासायनिक खाद के, राजसहायता देकर सस्ते भावों पर बेचे जाने के कारण, अन्न और रासायनिक खाद की खरीद और बिक्री पर 159 करोड़ रुपये का वास्तविक खर्च होगा। 13 करोड़ रुपया, रासायनिक खाद के निर्माताओं को भी, बाहर से मंगाये गये उस कच्चे माल के सम्बन्ध में राजसहायता के रूप में दिया जायगा, जिसका वे इस्तेमाल करते हैं। सरकार को पड़ने वाली आर्थिक-लागत (इकनामिक कौस्ट) और मौजूदा वितरण मूल्य के आधार पर, अन्न और रासायनिक खाद के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अगले वर्ष कुल लगभग 185 करोड़ रुपये की राजसहायता दी जानी है।

34. अगले वर्ष के बजट में, रासायनिक खाद, बीज और हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाएं खरीदने और उनका वितरण करने के लिए, राज्यों को ऋण देने के लिए 105 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जबकि चालू वर्ष में इसके लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। खाद्य निगम के लिए 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जबकि चालू वर्ष में 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था है; राज्यों को अभाव सम्बन्धी स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए ऋण और अनुदानों के रूप में सहायता देने के लिए 37 करोड़ रुपये रखे गये हैं, जबकि इस वर्ष 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

35. अगले वर्ष राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों को 241 करोड़ रुपये के गैर-आयोजना अनुदान दिये जायंगे, जिनमें से 141 करोड़ रुपया वित्त आयोग के पंचाट (एवार्ड) के अनुसार और 16 करोड़ रुपया रेल-यात्री-किराये पर लगने वाले कर के बदले दिया गया है। अगले वर्ष विकास शीर्षकों के अन्तर्गत केन्द्र के गैर-आयोजना व्यय का अनुमान 183 करोड़ रुपया है, जबकि इस वर्ष की रकम 164 करोड़ रुपया है। 19 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, वैज्ञानिक गवेषणा और लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत हुई है। अगले वर्ष ब्याज सम्बन्धी कुल खर्च की रकम 510 करोड़ रुपया कूती गयी है, जो संशोधित अनुमान से 47 करोड़ रुपया अधिक है। प्रशासनिक व्यय इस साल के 154 करोड़ रुपये के मुकाबले 164 करोड़ रुपया रखा गया है।

36. व्यय के सम्बन्ध में, अगले वर्ष के लिए बजट व्यवस्था करते हुए मितव्ययता की आवश्यकता का ध्यान रखा गया है। ब्याज की अदायगी से सम्बन्ध रखने वाली व्यवस्थाओं, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों को किये जाने वाले अन्तरणों या ऐसी ही व्यवस्थाओं या अभाव सम्बन्धी सहायता, पड़ोसी देशों को दी जाने वाली सहायता और पेंशनों आदि जैसी अनिवार्य अदायगियों की रकमों में कमी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगले वर्ष के रक्षा-व्यय में कम से कम वृद्धि की गयी है और वह भी आवश्यकता के अनुसार। प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है, जिसमें से 3 करोड़ रुपया पुलिस के सम्बन्ध में और 2 करोड़ रुपया करों की वसूली के काम पर खर्च करने के लिए है। फिर भी मैं

सभा को विश्वास दिलाता हूं कि कार्य-कुशलता बनाये रखते हुए व्यय में अधिक से अधिक कमी करने के उद्देश्य को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

37. अभी जिन अनुमानों का जिक्र किया गया है उनके, और कई दूसरी विविध मदों के आधार पर जिनका यहां जिक्र नहीं किया गया, अगले वर्ष आयोजना के साधनों के रूप में 1711 करोड़ रुपया रखा गया है, जिसमें वह 189 करोड़ रुपया भी शामिल है जिसे सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान अपने साधनों से जुटायेंगे। इसमें से 535 करोड़ रुपया राज्यों को, उनकी आयोजना सम्बन्धी योजनाओं के लिए दिया गया है और बाकी केन्द्रीय आयोजना के खर्च के लिए रख लिया गया है, जिसमें संघीय राज्य-क्षेत्रों की आयोजना भी शामिल है।

38. राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था में 172 करोड़ रुपया कृषि-कार्यक्रमों के लिए और 145 करोड़ रुपया सिंचाई और देहात में बिजली पहुँचाने की योजनाओं के लिए है। इसके अलावा, संघीय राज्य क्षेत्रों के इसी तरह के कार्यक्रमों के लिए 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। केन्द्रीय आयोजना में कृषि-कार्यक्रमों के लिए रखा गया 51 करोड़ रुपया और कृषि पुनर्वित्त निगम (एग्रिकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन), भूमिबन्धक बैंकों के ऋण-पत्र कार्यक्रमों और कृषि-उद्योग निगमों के लिए रखा गया 25 करोड़ रुपया भी शामिल है। कृषि-ऋण स्थिरीकरण निधियों की स्थापना के लिए 4 करोड़ रुपये की एक और व्यवस्था राज्यों को अन्तरित करने के लिए की गयी है। इस तरह, अगले वर्ष के केन्द्रीय बजट में महत्वपूर्ण कृषि-कार्यक्रमों के लिए 405 करोड़ रुपया रखा गया है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, राज्यों को रासायनिक खाद सम्बन्धी ऋण देने के लिए 105 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। केन्द्रीय आयोजना में परिवार-नियोजन के लिए भी 28 करोड़ रुपया शामिल किया गया है। माननीय सदस्य इस बात की ओर ध्यान देना चाहेंगे कि खेती और परिवार-नियोजन को हम जो प्राथमिकता दे रहे हैं उसके अनुसार मौजूदा अनुमानों के आधार पर अभी ही इन दोनों की आवश्यकताओं के मुताबिक धन की व्यवस्था की गयी है, जबकि अगले वर्ष की आयोजना का अन्तिम रूप से अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है। दूसरे क्षेत्रों के लिए आयोजना सम्बन्धी जो अस्थायी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं उनका उल्लेख बजट-पुस्तकों में किया गया है।

39. महोदय, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि सरकारी क्षेत्र की अनेक प्रायोजनाओं, राज्यों और गैर सरकारी उद्योग की आवश्यकताओं के लिए, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा, जो व्यवस्थाएँ बजट में शामिल की गयी हैं वे अधिक नहीं हैं। इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि बजट सम्बन्धी व्यवस्थाओं पर फिर से विचार किया जायगा, ताकि यह निश्चित हो जाय कि अत्यावश्यक कार्यक्रमों की पूर्ति में बाधा न पड़े और जो धन पहले ही लगाया जा चुका है या लगाया जा रहा है उसका लाभ शीघ्रता से मिलने लगे। अड़चन डालने वाली सबसे बड़ी बात साधन प्राप्त होने की समस्या है पर हम अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए सभी सम्भव उपायों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे।

40. देश के करोड़ों लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने और उनके आर्थिक कल्याण की हमारी आकांक्षा और आशा विकास की गति के तेज होने पर टिकी हुई है। पर यह काम, मुद्रा-बाहुल्यकारी दबाव को और अधिक बढ़ाये बिना और उन साधनों के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाना है जिन्हें, अधिक मुद्रा फैलाये बिना जुटाया जा सकता है। इस उद्देश्य को कम से कम समय में पूरा करने के लिए सरकार भरपूर प्रयत्न करेगी। संसद के अगले सत्र में

बजट प्रस्तुत करते समय, सरकार की बजट सम्बन्धी और सामान्य आर्थिक नीतियों की पूरी तस्वीर पेश करने का मेरा विचार है। मुझे आशा और विश्वास है कि मौजूदा बजट पर बहस होते समय माननीय सदस्य हमारी भावी नीति के सम्बन्ध में बहुत से रचनात्मक सुझाव देंगे। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम आलोचना और सुझावों पर पूरे तौर पर विचार करेंगे, जिससे हम अपनी मौजूदा कठिनाइयों के बीच से कोई और भी अधिक निरापद मार्ग निकाल सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यह अन्तरिम बजट सभा के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

वित्त विधेयक, 1967
FINANCE BILL, 1967

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 1967 68 के वित्तीय वर्ष के दौरान आय-कर की वर्तमान दरों को कुछ रूपभेदों के साथ और वार्षिकी जमा की वर्तमान दर और प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के अधीन दिये गये कुछ वचनों को जारी रखने और उक्त वर्ष में नमक से कर समाप्त करने के लिये एक विधेयक पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 1967-68 के वित्तीय वर्ष के दौरान आय-कर की वर्तमान दरों को कुछ रूप भेदों के साथ और वार्षिकी जमा की वर्तमान दर और प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के अधीन दिये गये कुछ वचनों को जारी रखने और उक्त वर्ष में नमक से कर समाप्त करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री मोरार जी देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 21 मार्च, 1967/30 फाल्गुन, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha, then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 21st March, 1967/Phalguna 30, 1888 (Saka)